निदेशक
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत
लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

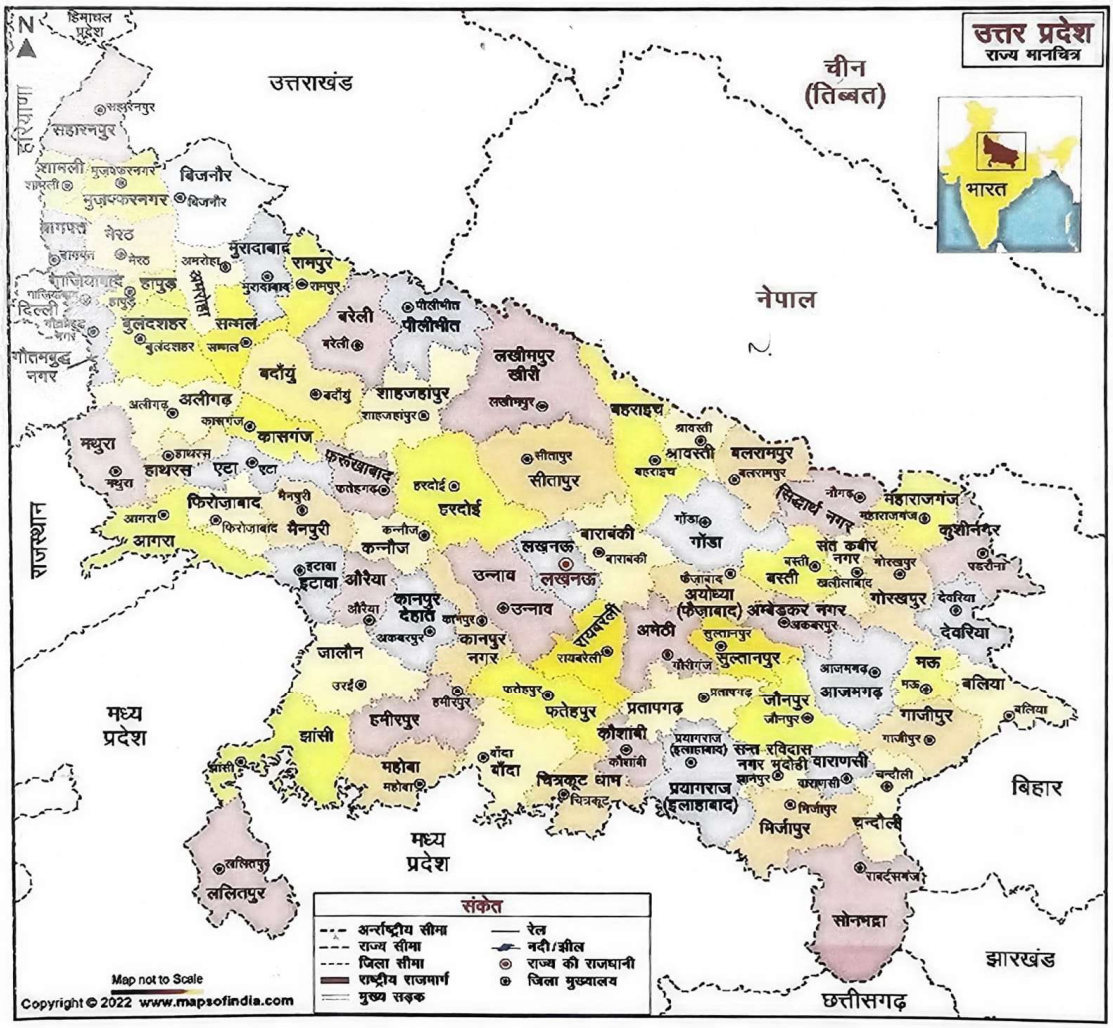

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022
भाग-8

अध्याय-4

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठसंख्या(भाग)
1	कानपुर मण्डल		**3596-4096(8)** **4097-4344(9)**

<u>जनपद का नाम-औरैया</u>

<u>वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22</u>

<u>(ग्राम पंचायतों से संबन्धित आपत्तियां)</u>

जनपद का नाम-औरैया **मण्डल - कानपुर**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

प्रारूप-4

विकास क्षेत्र सहार की ग्राम पंचायतों की अधिभार आपत्तियॉ

ग्राम पंचायत- पुरवा फकीरे

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत- पूर्वाफकीरे द्वारा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं **15** वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए **1064869.00** का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूलप्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण),मूल-पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्ययोजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्टरहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि **“** ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|**”** के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए **1064869.00** में से **50%** धनराशि रुपए **532434.50** तत्कालीन ग्राम

प्रधान- श्री विटटन कुवर से तथा शेष **50%** धनराशि रुपए **532434.50** सचिव ,ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)- श्री अनिल पाठक से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-**1947** के नियम-**256** के अनुसार वसूली की कार्यवाही जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या -1)

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत- पूर्वाफकीरे के वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे. अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू **783980.00 (**सामग्री पर व्यय रू **20000.00** व मजदूरी पर व्यय रू **783980.00)** के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी **|** पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि **"** ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी**|"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है **|** मनरेगा /पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों,अधिनियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अनिल पाठक एवं ग्राम प्रधान श्री विटटन कुवर से बराबर हिस्सों मे किया जाना अपेक्षित रहा। **(मूल आपत्ति संख्या -2)**

ग्राम पंचायत- अमौहार

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत- अमौहार द्वारा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं **15** वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए **1033973.00** का व्यय दर्शित किया गया है**|** उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूलप्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण),मूल-पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्ययोजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी**|** बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी**|**

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्टरहा **|** इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि **"** ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी**|"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है **|**अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए **1033973.00** में से **50%** धनराशि रुपए **516986.50** तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री विनय कुमारसे तथा शेष **50%** धनराशि रुपए **516986.50** सचिव **,**ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)- श्री सुरेश गौतम से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-**1947** के नियम-**256** के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही **(मू0आ0सं0 -1)**

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत**-** अमौहार के वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे. अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू **524818.00 (**सामग्री पर व्यय रू **10000.00** व मजदूरी पर व्यय रू **514818.00)** के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी **|** पंचायती राज विभाग**,**उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि **"** ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी**|"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है **|** मनरेगा /पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों**,**अधिनियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेश गौतम एवं ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार से बराबर हिस्सों मे किया जाना अपेक्षित रहा। **मू0आ0सं0 (2)**

ग्राम पंचायत- बादशाहपुर छौंक

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत**-** बादशाहपुर छौंक के वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे. अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू **762884.00 (**सामग्री पर व्यय रू **38000.00** व मजदूरी पर व्यय रू **724884 .00)** के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी **|** पंचायती राज विभाग**,**उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि **"** ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में

अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी**|"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है **|** मनरेगा /पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों,अधिनियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेश गौतम एवं ग्राम प्रधान श्रीमतीगीता देवी से बराबर हिस्सों मे किया जाना अपेक्षित रहा। **मू0आ0सं0 (1)**

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत**-** बादशाहपुर छौंकद्वारा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं **15** वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए **1100947.00** का व्यय दर्शित किया गया है**|** उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूलप्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण),मूल-पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्ययोजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी**|** बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी**|**

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्टरहा **|** इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी**|**" के अंतर्गत अधिभार योग्य है **|**अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए **1100947.00** में से **50%** धनराशि रुपए **550473.50** तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्रीमतीगीता देवी से तथा शेष **50%** धनराशि रुपए **550473.5** सचिव **,**ग्राम पंचायत (ग्रामपंचायत/ विकास अधिकारी)- श्री सुरेश गौतम से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-**1947** के नियम-**256** के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जाना अपेक्षित रही।
मू0आ0सं0 (2)

ग्राम पंचायत- हरवंशपुर

प्रस्तर-7 ग्राम पंचायत -हरवंशपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं **15** वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए **824546.00** का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूलप्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण),मूल-पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्ययोजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्टरहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए **824546.00** में से **50%** धनराशि रुपए **412273.00** तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री मोहित कुमार से तथा शेष **50%** धनराशि रुपए **412273.00** सचिव ,ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)- श्री राजीव कुमार से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-**1947** के नियम-**256** के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही।

मू0आ0सं0(2)

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत- हरवंशपुर के वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे. अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू **602394.00 (**सामग्री पर व्यय रू**00.00** व मजदूरी पर व्यय रू **602394.00)** के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी | पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि **"** ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि

को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | मनरेगा /पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों,अधिनियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मोहित कुमार से बराबर हिस्सों मे किया जाना अपेक्षित रहा। **मू0आ0सं0 (3)**

विकास खण्ड -अजीतमल की ग्राम पंचायतों की अधिभार आपत्तियॉ

ग्राम पंचायत- बेरधनकर

प्रस्तर-09 ग्राम पंचायत **-**बेरीधनकर द्वारा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं **15** वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए **2566253.00** का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूलप्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण),मूल-पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्ययोजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्टरहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए **2566253.00** में से **50%** धनराशि रुपए **1283126.50** तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्रीमती सावित्री देवी से तथा शेष **50%** धनराशि रुपए **1283126.50** सचिव ,ग्राम पंचायत (ग्रामपंचायत/ विकासअधिकारी)- श्री गवेन्द्र पाल से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-**1947** के नियम-**256** के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **मू0आ0सं0 (1)**

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत**-** बेरीधनकर के वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे. अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रू **914330.00 (**सामग्री पर व्यय रू **20000.00** व मजदूरी पर व्यय रू **894330.00)** के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा

सकी | पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | मनरेगा /पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों,अधिनियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गवेन्द्र पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी से बराबर हिस्सों मे किया जाना अपेक्षित रहा। **मू0आ0सं0 (2)**

ग्राम पंचायत- शेखूपुर आधार सिहं

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत -शेखूपुर आधार सिहं द्वारा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं **15** वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए **1168019.00** का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूलप्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण),मूल-पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्ययोजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्टरहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए **1168019.00** में से **50%** धनराशि रुपए **584009.50** तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्रीमती मुन्नी देवी से तथा शेष **50%** धनराशि रुपए **584009.50** सचिव ,ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)- श्री शिवम से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-**1947** के नियम-**256** के अनुसार वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रही। **मू0आ0सं0 (2)**

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत- शेखूपुर आधार सिहं के वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे. अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय

विवरण पर रू **825278.00 (**सामग्री पर व्यय रू **00.00** व मजदूरी पर व्यय रू **825278.00)** के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी **|** पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि **"** ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी**|"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है **|** मनरेगा /पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों,अधिनियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवम एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी से बराबर हिस्सों मे किया जाना अपेक्षित है। **मू0आ0सं0 (3)**

ग्राम पंचायत- सेगनपुटठा

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत **-** सेगन पुटठा द्वारा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं **15** वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए **647939.00** का व्यय दर्शित किया गया है**|** उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूलप्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफर विवरण),मूल-पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्ययोजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी**|** बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी**|**

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्टरहा **|** इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी**|**" के अंतर्गत अधिभार योग्य है **|**अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए **647939.00** में से **50%** धनराशि रुपए **323969.50** तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्रीमती गीता देवी से तथा शेष **50%** धनराशि रुपए **323969.50** सचिव **,**ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)- श्री अतुल मिश्रा से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-

1947 के नियम-**256** के अनुसार वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। **मू0आ0सं0 (1)**

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत- सेगन पुटठा के वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे. अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय पर रू **500993.00 (**सामग्री पर व्यय रू **5000.00** व मजदूरी पर व्यय रू **495993.00)** के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी **|** पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **7** यह कि **"** ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के प्रस्तर **8 (** क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी**|"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है **|** मनरेगा /पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों,अधिनियमों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अतुल मिश्रा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से बराबर हिस्सों मे किया जाना अपेक्षित है। **मू0आ0सं0-(2)**

ग्राम पंचायत-यदवंशपुर

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के राज्य वित्त एवं 15वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए 1879070.00 का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफरविवरण),मूल-पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्य योजना,प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन,सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी,वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा मेंअनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की

धनराशि रुपए 1879070.00 में से 50% धनराशि रुपए 939535.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती स्नेहलता से तथा शेष 50% धनराशि रुपए 939535.00 सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)-श्री राजबहादुर सिंह से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रही।

मू0आ0सं0 (1)

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत के वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे. अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर रु० 1242495.00 (सामग्री पर व्यय ₹ 00.00 व मजदूरी पर व्यय ₹ 1242495.00) के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणको के अभाव में नहीं की जा सकी |पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है.मनरेगा/पंचायती राज संस्था हेतु जारी सुसंगत नियमो,अधिनियम के अंतर्गत स्पष्टीकरण आवश्यक है.अन्यथा की स्थिति में इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजबहादुर सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती स्नेहलता से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित रहा। **मू0आ0सं0 (2)**

ग्राम पंचायत-सबलपुर

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत सबलपुर के वर्ष 2021-22 में ई ग्रामस्वराज पोर्टल/कैशबुक के अनुसार दिनांक 17-10-2021 के वाउचर नंबर 11 द्वारा कूडागाड़ी क्रय हेतु रूपए 19200.00 का व्यय दर्शित है.उक्त व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणक की मूल प्रति(बिल/भुगतान प्राप्तकर्ता की रशीद) एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,डेड स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी|

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपए 19200.00 में से 50% धनराशि रुपए 9600.00 तत्कालीन ग्राम

प्रधान- श्री सत्य नारायण से तथा शेष 50% धनराशि में रुपए 9600.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रामपंचायत /विकासअधिकारी)-श्री योगेंद्र कुशवाहा से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मू0आ0सं0 (5)

ग्राम पंचायत-सोनासी

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत सोनासी के वर्ष 2021-22 में 15वा वित्त के अंतर्गत ई ग्राम स्वराज पोर्टल/कैशबुक में वाउचर संख्या -32 द्वारा दिनांक 30-01-2022 को विवरण रहित रु0 13500.00 का व्यय दर्शित है।उक्त व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणक की मूल प्रति(बिल/भुगतान प्राप्तकर्ता की रशीद) एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी|

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपए 13500.00 में से 50% धनराशि रुपए 6750.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री अमित कुमार से तथा शेष 50% धनराशि में रुपए 6750.00 सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)-श्री शिवम सविता से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **मू0आ0सं0 (5)**

विकास क्षेत्र- भाग्यनगर की ग्राम पंचायतों की अधिभार आपत्तिया

ग्राम पंचायत-बबीना

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत बबीना द्वारा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के राज्य वित्त एवं 15वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए 740160.00 का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफरविवरण),मूल-पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्य योजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर,प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन,सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी,वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा मेंअनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए 740160.00 में से 50% धनराशि रुपए 370080.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री हरदयाल से तथा शेष 50% धनराशि रुपए 370080.00 सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)-श्री मनोज कुमार से जांचोपरांत उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **मू0आ0सं0 (1)**

प्रस्तर-20- ग्राम पंचायत बबीना के वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे. अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर ₹ 706878.00 (सामग्री पर व्यय ₹ 00.00 व मजदूरी पर व्यय ₹ 706878.00) के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणको के अभाव में नहीं की जा सकी |पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है.मनरेगा/पंचायती राज संस्था हेतु जारी सुसंगत नियमो,अधिनियम के अंतर्गत स्पष्टीकरण आवश्यक है.अन्यथा की स्थिति में इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार व ग्राम प्रधान श्री हरदयाल से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

मू0आ0सं0 (2)

ग्राम पंचायत-भर्रापुर

प्रस्तर-21- ग्राम पंचायत भर्रापुर के वर्ष 2021-22 में पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत ई ग्राम स्वराज पोर्टल/कैशबुक में वाउचर संख्या -09 द्वारा दिनांक 25-11-2021 को आयरन बेंच क्रय हेतु रु0 40500.00 का व्यय दर्शित है।.उक्त व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणक की मूल प्रति(बिल/भुगतान प्राप्तकर्ता की रशीद) एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,डेड स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी|

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है |अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपए 40500.00 में से 50% धनराशि रुपए 20250.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्रीमती रेनू मिश्रा से तथा शेष 50% धनराशि में रुपए 20250.00 सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)-श्री बाबू सिंह से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। **मू0आ0सं0 (1)**

ग्राम पंचायत-इटहा

प्रस्तर-22- ग्राम पंचायत इटहा द्वारा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के राज्य वित्त एवं 15वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए 808197.00 का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफरविवरण),मूल-पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्य योजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर,प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन,सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी,वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा मेंअनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए 808197.00 में से 50% धनराशि रुपए 404098.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री लक्ष्मण सिंह से तथा शेष 50% धनराशि रुपए 404098.50 सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)-श्री बाबू

सिंह से जांचोपरांत उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।**मू0आ0सं0 (1)**

प्रस्तर-23- ग्राम पंचायत इटहा के वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे. अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर ₹ 411060.00 (सामग्री पर व्यय ₹ 00.00 व मजदूरी पर व्यय ₹ 411060.00) के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणको के अभाव में नहीं की जा सकी |पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है.मनरेगा/पंचायती राज संस्था हेतु जारी सुसंगत नियमो,अधिनियम के अंतर्गत स्पष्टीकरण आवश्यक है.अन्यथा की स्थिति में इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री बाबू सिंह व ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मण सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **मू0आ0सं0 (2)**

ग्राम पंचायत-रूरूआ फफूंद

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत रूरूआ फफूंद द्वारा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के राज्य वित्त एवं 15वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए 1606584.00 का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफरविवरण),मूल-पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्य योजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर,प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन,सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी,वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा मेंअनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की

धनराशि रुपए 1606584.00 में से 50% धनराशि रुपए 803292.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री लाखन सिंह से तथा शेष 50% धनराशि रुपए 803292.00 सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)-श्री मनोज कुमार से जांचोपरांत उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मू0आ0सं0 (1)

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत रुरुआ फफूंद के वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में भौतिक रूप से अनुपलब्ध रहे. अतः ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के वित्तीय विवरण पर ₹ 1043825.00 (सामग्री पर व्यय ₹ 144221.00 व मजदूरी पर व्यय ₹ 899604.00) के दर्शित व्यय के पूर्णतः नियमानुसार होने की पुष्टि मूलभूत अभिलेखों/व्यय प्रमाणको के अभाव में नहीं की जा सकी |पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है.मनरेगा/पंचायती राज संस्था हेतु जारी सुसंगत नियमो,अधिनियम के अंतर्गत स्पष्टीकरण आवश्यक है.अन्यथा की स्थिति में इसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार व ग्राम प्रधान श्री लाखन सिंह से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0 -2)**

विकास क्षेत्र-बिधूना की ग्राम पंचायतों की अधिभार आपत्तिया

ग्राम पंचायत-बंथरा

प्रस्तर.26 ग्राम पंचायत-बंथरा के वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- बंथरा की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट दर्शित पंचम राज्य वित्त की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतो" के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में

कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट में पंचम राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि रू0-1581952.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-1581952.00 का 50 प्रतिशत रू0-790976.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उम्मेद कुमारी से एवं रू0-1581952.00 का 50 प्रतिशत रू0-790976.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रफुल्ल वर्मा से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **मू0आ0सं0 (1)**

प्रस्तर.27 ग्राम पंचायत-बंथरा के वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- बंथरा की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट दर्शित पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट में पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुसार व्यय की धनराशि रू0-1940231.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-1940231.00 का 50 प्रतिशत रू0-970115.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उम्मेद कुमारी से एवं रू0-1940231.00 का 50 प्रतिशत रू0-970115.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रफुल्ल वर्मा से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **मू0आ0सं0 (2)**

ग्राम पंचायत.डोंडापुर

प्रस्तर.28 ग्राम पंचायत-डोडापुर के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है

कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है। अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- डोडापुर की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में प्रिया साफ्ट के पंचम राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि रू0-595082.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-595082.00 का 50 प्रतिशत रू0-297541.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसमा देवी से एवं रू0-595082.00 का 50 प्रतिशत रू0-297541.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नृपेन्द्र कुमार से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **मू0आ0सं0 (1)**

प्रस्तर.29 ग्राम पंचायत-डोडापुर के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है। अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- डोडापुर की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पंचम राज्य वित्त की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में प्रिया साफ्ट के पंचम राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि रू0-430891.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-430891.00 का 50 प्रतिशत रू0-215445.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसमा देवी से एवं रू0-430891.00 का 50 प्रतिशत रू0-215445.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नृपेन्द्र कुमार से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर.30 ग्राम पंचायत- डोंडापुर के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है। अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- डोंडापुर की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवाॅ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि रू0-1059181.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-1059181.00 का 50 प्रतिशत रू0-529590.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसमा देवी से एवं रू0-1059181.00 का 50 प्रतिशत रू0-529590.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नृपेन्द्र कुमार से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0 2)**

ग्राम पंचायत-मढामाछीझील

प्रस्तर.31 ग्राम पंचायत-माढामाझी झील के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- माढामाझी झील की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में प्रिया साफ्ट के पंचम राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि रू0-26380.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-26380.00 का 50 प्रतिशत रू0-13190.00

तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी से एवं रू0-26380.00 का 50 प्रतिशत रू0-13190.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रवीन कुमार से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0 1)**

प्रस्तर.32 ग्राम पंचायत-माढामाझी झील के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- माढामाझी झील की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पंचम राज्य वित्त की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में प्रिया साफ्ट के पंचम राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि रू0-552900.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-552900.00 का 50 प्रतिशत रू0-276450.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी से एवं रू0-552900.00 का 50 प्रतिशत रू0-276450.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रवीन कुमार से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0 2)**

प्रस्तर.33 ग्राम पंचायत- माढामाझी झील के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- माढामाझी झील की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के

प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि रू0-1019322.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-1019322.00 का 50 प्रतिशत रू0-509661.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी से एवं रू0-1019322.00 का 50 प्रतिशत रू0-509661.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री प्रवीन कुमार से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मुढियाई

प्रस्तर.34 ग्राम पंचायत-मुढियाई के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- मुढियाई की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पंचम राज्य वित्त की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में प्रिया साफ्ट के पंचम राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि रू0-1271089.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-1271089.00 का 50 प्रतिशत रू0-635544.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आंकाक्षा से एवं रू0-552900.00 का 50 प्रतिशत रू0-276450.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र कुमार से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0 1)**

प्रस्तर.35 ग्राम पंचायत- मुढियाई के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- मुढियाई की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि आकडो के आधार पर की

गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि रू0-445738.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-445738.00 का 50 प्रतिशत रू0-222869.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आकॉक्षा से एवं रू0-445738.00 का 50 प्रतिशत रू0-222869.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र कुमार से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0 1)**

ग्राम पंचायत. रूपपुर सहार

प्रस्तर.36 ग्राम पंचायत-रूपपुर सहार के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- रूपपुर सहार की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पंचम राज्य वित्त की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में प्रिया साफ्ट के पंचम राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि रू0-339186.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-339186.00 का 50 प्रतिशत रू0-169593.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साधना कुमारी से एवं रू0-339186.00 का 50 प्रतिशत रू0-169593.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र कुमार से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0 1)**

प्रस्तर.37 ग्राम पंचायत- रूपपुर सहार के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- रूपपुर सहार की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि रू0-54000.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-54000.00 का 50 प्रतिशत रू0-27000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साधना कुमारी से एवं रू0-54000.00 का 50 प्रतिशत रू0-27000.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र कुमार से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0 2)**

ग्राम पंचायत- नौली

प्रस्तर 38 ग्राम पंचायत नौली द्वारा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के राज्य वित्त एवं 15वा केंद्रीय वित्त मद से रुपए 2013781.00 का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफरविवरण),मूल-पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-अनुमोदित कार्य योजना,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर,प्रमाणित कोशबही,बैंक पासबुक,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन,सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी,वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा मेंअनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में

कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए 2013781.00 में से 50% धनराशि रुपए 1006890.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री हरि प्रसाद से तथा शेष 50% धनराशि रुपए 1006890.50 सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)-श्री मनोज कुमार से जांचोपरांत उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं0- 01)**

विकास क्षेत्र-ऐरवाकटरा की ग्राम पंचायतों की अधिभार आपत्तिया

ग्राम पंचायत-सूरजपुर उमरैन

प्रस्तर.39 ग्राम पंचायत सूरजपुर उमरैन के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- सूरजपुर उमरैन की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पंचम राज्य वित्त की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतो" के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2021-22 में प्रिया साफ्ट के पंचम राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि रू0-450430.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-450430.00 का 50 प्रतिशत रू0-225215.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निशा देवी से एवं रू0-450430.00 का 50 प्रतिशत रू0-225215.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विनय यादव से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0 1)**

प्रस्तर.40 ग्राम पंचायत सूरजपुर उमरैन के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- सूरजपुर उमरैन की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में चैदहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि रू0-512868.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-512868.00 का 50 प्रतिशत रू0-256434.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निशा देवी से एवं रू0-512868.00 का 50 प्रतिशत रू0-256434.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विनय यादव से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0 2)**

ग्राम पंचायत-सुरेंधा

प्रस्तर.41 ग्राम पंचायत- सुरैन्धा के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है। अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- सुरैन्धा की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पंचम राज्य वित्त की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में प्रिया साफ्ट के पंचम राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि रू0-742355.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-742355.00 का 50 प्रतिशत रू0-371177.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज कुमारी से एवं रू0-742355.00 का 50 प्रतिशत रू0-371177.50

तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विनय यादव से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0 1)**

प्रस्तर.42 ग्राम पंचायत- सुरैन्धा के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- सुरैन्धा की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि रू0-1077035.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-1077035.00 का 50 प्रतिशत रू0-538517.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज कुमारी से एवं रू0-1077035.00 का 50 प्रतिशत रू0-538517.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विनय यादव से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0 2)**

ग्राम पंचायत-शेखूपुर

प्रस्तर.43 ग्राम पंचायत-शेखूपुर के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है। अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- शेखूपुर की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पंचम राज्य वित्त की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान

तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में प्रिया साफ्ट के पंचम राज्य वित्त अनुसार व्यय की धनराशि रू0-412300.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-412300.00 का 50 प्रतिशत रू0-206150.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से एवं रू0-412300.00 का 50 प्रतिशत रू0-206150.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विनय यादव से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0 1)**

प्रस्तर.44 ग्राम पंचायत- शेखूपुर के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- शेखूपुर की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित चैदहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ''ग्राम पंचायतो'' के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।'' अतः वर्ष 2021-22 में चैदहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि रू0-26265.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-26265.00 का 50 प्रतिशत रू0-13132.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से एवं रू0-26265.00 का 50 प्रतिशत रू0-13132.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विनय यादव से जमा कराया जाना अपेक्षित है।**(मू0आ0सं0 2)**

प्रस्तर.45 ग्राम पंचायत- शेखूपुर के वर्ष 2021-22 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये जब कि अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से अभिलेखो की मॉग की गयी ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 में कोई भी अभिलेख तैयार ही नही किये गये है।

अतः तमाम प्रयासो के बाद भी अभिलेख न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत- शेखूपुर की लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट में दर्शित पन्द्रहवा केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि आकडो के आधार पर की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के कोई भी व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा

परीक्षा में जाच हेतु प्रस्तुत नही किये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में किये गये व्ययो की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त के सन्दर्भ में पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-56 के (2) उप नियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार एवं पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी "ग्राम पंचायतो" के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवॉ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अनुसार व्यय की धनराशि रू0-453708.00 को काल्पनिक व्यय मानते हुये इस धनराशि की वसूली की संस्तुति की जाती है। अतः इस धनराशि रू0-453708.00 का 50 प्रतिशत रू0-226854.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विनय यादव से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 3)

विकास खण्ड- औरैया की ग्राम पंचायतों की अधिभार आपत्तियॉ

ग्राम पंचायत- रामपुर रामसहाय प्रस्तर-46 <u>मस्टर रोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना</u>

ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्षाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टर रोल उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वूसली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्र्तगत गबन का मुकददमा भी चलाया जा सकेगा। ग्राम पंचायत रामपुर रामसहाय की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के समय उक्त नियम के विषय में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों को बताया गया फिर भी दोनों के द्वारा निम्नलिखित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है।

क्र0	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	5वॉरा0 वि0 आ0/2021-22/पी/11	मस्टर रोल	5000
2	5वॉ रा0वि0आ0/2021-22/पी/4	मस्टर रोल	53574
3	5वॉ रा0वि0आ0/2021-22/पी/3	मस्टर रोल	11300
		योग	69874

अत: रू0 **69874**की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख ब्याज सहित निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्रं सं	**उत्तरदायी व्यक्ति का नाम**	**पदनाम**	**संन्निहित धनराशि**
1	श्री सर्वेन्द्र सिंह	ग्राम- प्रधान	34937.00
2	श्री सर्वेश दुवे	ग्राम पंचायत अधिकारी	34937.00
	योग		**69874.00**

मू0आ0सं0 (5)

प्रस्तर-47 ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वूसली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अर्न्तगत गबन का मुकद्दमा भी चलाया जा सकेगा। ग्राम पंचायत रामपुर रामसहाय की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के समय उक्तत नियम के विषय में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों को बताया गया फिर भी दोनों के द्वारा निम्नरलिखित बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तु त नही किये गये है। जिनका विवरण निम्न् प्रकार है:-

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	15वॉ के0वि0आ0/2021-22/ पी /6	अतुल उद्यम ~ एजेंसी	7575
2	15वॉ के0वि0आ0/2021-22/ पी /1	संस्कृति ट्रेडर्स ~ एजेंसी	161500
3	15वॉ के0वि0आ0/2021-22/ पी /3	संस्कृति ट्रेडर्स ~ एजेंसी	39100
4	15वॉ के0वि0आ0/2021-22/ पी /4	संस्कृति ट्रेडर्स ~ एजेंसी	74100
5	15वॉ के0वि0आ0/2021-22/ पी /2	संस्कृति ट्रेडर्स ~ एजेंसी	116500
6	15वॉ के0वि0आ0/2021-22/ पी /7	मीनाक्षीफर्नीचर~ एजेंसी	10500
7	5वॉ रा0वि0आ0/2021-22/ पी /4	अवस्थी उद्यम ~ एजेंसी	144701
8	5वॉ रा0वि0आ0/2021-22/ पी /1	संस्कृति ट्रेडर्स ~ एजेंसी	74750
9	5वॉ रा0वि0आ0/2021-22/ पी /3	अवस्थी उद्यम ~ एजेंसी	86222
योग----------			714948.00

अत: रू0 714948 की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख ब्याज सहित निम्नय विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र0	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराशि
1	श्री सर्वेन्द्र सिंह	ग्राम- प्रधान	357474.00
2	श्री सर्वेश दुवे	ग्राम पंचायत अधिकारी	357474.00
	योग----------		714948.00

(मूल आपत्ति सं0- 04)

जनपद -इटावा

परिशिष्ट 03

विकास खण्ड - चकर नगर

ग्राम पंचायत-विठौली के वर्ष-2021-22

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत का नाम-**विठौली** के **वर्ष-2021-22** के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त **वर्ष** में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये है।उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्शों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया साफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं0	**वर्ष**	प्रिया साफ्ट में दर्षित व्यय
1	**2021-22**	**988395.00**
2	**मनरेगा**	**2210512.00**
	योग	**3198907.00**

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तिया हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग.शासनादेश सं0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रू0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेषन और रू0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रायल्टी भुगतान की पुश्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दषा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा तथा दर्षित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से आधी -आधी की जायेगी। चूकि उक्त व्ययों की पुश्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्षित व्ययों रू0 988395.00को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्द्वारा उक्त अपहरितधनराषिरू0 988395.00में से रू0 494197.50 तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री रविन्द्र कुमार एवं रू0 494197.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/प्रशाशकश्री शिववीर सिंह सेंगर से वसूली की अपेक्षा की जाती है।

ग्राम पंचायत की वर्ष **2021- 22**की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण/दुरूपयोग एवंगंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके संम्बंध मे सम्बिन्धत जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों से, उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 केनियम 256 (1) के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि कीवसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीयअधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः- क- उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधिके आयव्यय की लेखा परीक्षा नही करायी गयी है।ऐसी स्थिति में

ग्रामपंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

ख ग्राम पंचायत के सचिव ,सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत सेबार-बार अभिलेख उपलव्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षो के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गये और नही प्रस्तुत कराये गये।

गउपरोक्त वर्षो से सम्बन्धित कैश बुक एवं प्रमाण कों का विवरण, ईग्रामस्वराज साइट पर प्रदर्शित तो है, परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूपव्यय प्रमाण कों कोव्ययोंकी पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोडन हीं किया गया है।ऐसी स्थिति में व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जाने के बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ व्ययपत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं ।जिसके कारण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कैशबुक में अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी ।ऐसी स्थिति में उक्त वर्षमें किये गये व्यय, विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम मंे उपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये अधिभार प्रतिवेदन निम्न आपत्तियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

12.अधिभार का सक्षिप्त विवरण:

क्रमसंख्या	आपत्तिसंख्या	उत्तरदायीकर्मचारी/अधिकारीकानाम श्री/श्रीमती- (योगकीधनराशिकाआधा-आधाभागनिम्नसेब्याज सहित वसूलीयोग्यहै।)	वर्ष	धनराशिरू0			आपत्तिकासारांश
				अपहरण	दुरूपयोग /गंभीरअनियमितता	योग	
1		प्रधान- सचिव-	2021-22	19900.00 19950.00 19900.00 106000.00 106150.00 63000.00 61300.00 19850.00 61000.00		19900.00 19950.00 19900.00 106000.00 106150.00 63000.00 61300.00 19850.00 61000.00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरण हीन व्ययदर्षितकर धनकागबनकरना।
2		प्रधान- सचिव-	2021-22	30600.00 16875.00 20400.00		30600.00 16875.00 20400.00	कूड़ादान मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्षित कर धन का गबन करना।उक्तमद में

							अत्यधिक बड़ी धनराषि का एक मुष्त भुगतान दर्षाया गयाहै।
4		प्रधान- सचिव-	2021-22	64567.00		64567.00	प्राथमिक विद्यालय /उच्च प्राथमिक विद्यालय में **डेस एवं फरर्नीचर क्रय का भुगतान किया गया है।**
5		प्रधान- सचिव-	2021-22	61000.00 19850.00		61000.00 19850.00	विवरणहीन व्यय दर्षित करधन का गबन करना।
6		प्रधान- सचिव-	2021-22	69800.00 10320.00 12000.00		69800.00 10320.00 12000.00	**फागिग मशीन एवं सेनिटाजर बलीचिंग पाउडरक्रय**
7		प्रधान- सचिव-	2021-22	60952.00		60952.00	**पचायत कार्यालय में फरर्नीचरक्रय का भुगतान।**
8		प्रधान- सचिव-	2021-22	10850.00 18703.00		10850.00 18703.00	**सोलर लाईट क्रय सोडिय महाइपोकलोराड क्रय का भुगतान।**
9		प्रधान- सचिव-	2021-22	107629.00		107629.00	**पंचायत धरपर शैचालय र्निमाण कार्यमें सामाग्रीक्रय एवंलेबर का भुगतान।**
10		प्रधान- सचिव-	2021-22	799.00		799.00	**अनटाइड क्रय।**
		प्रधान- सचिव-	2021-22	5000.00		5000.00	**स्टेशनरी क्रय।**
11		प्रधान-	2021-	2000.00		2000.00	समान्य

		सचिव-	22				लाभनिधि भुगतान।
		योग		**988395.00**		**988395.00**	

2- <u>महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत संचालित योजना</u>

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी| जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी | ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नही बनाया गया हैं | यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक269/सम्प्रेक्षा/आ०रि०/ 09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमे मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं | अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर - 7 के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 2210512.00काभुगतान किया गया है | उक्त दर्शित भुगतान सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, पंचायतीराजविभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों केअनुसार"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराये जाते है, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी |" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रू. 2210512.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम रु 2210512.00 की ब्याज सहित उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की अपेक्षा की जाती है |

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएँगे और ग्रामपंचायत के कार्यालय मे गार्ड फ़ाइल में रखे जाएँगे लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैण् अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहे.

ग्रामपंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखामैन्नुअलसम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिको की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामपंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृत पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा

है। खंड .6 नियम 407 तैयारकिये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये |

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ/प्राक्कलन /मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। कार्यपूर्तिप्रमाणपत्रप्रस्तुतनहींरहे।

फाइनेंसियल/ टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन नॉटप्रोदुसड खंड -6 नियम 316 एवं 317 सक्षमअधिकारी द्वारा दिए गए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया गया है और इस पंजिका का निर्माण नहीं किया गया है।

व्यय प्रमाणक-उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन काआहरण- पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय केसम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमोमेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्धनहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशीकी वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से कीजाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है.और वसूली के साथ साथसाथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 केअंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलयमें चलाया जा सकेगा.आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी मे आता है जिसके लिए प्रधान **श्री रविन्द्र कुमार** और सचिव **श्री शिववीर सिंह सेंगर** उत्तरदाई है।

मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना-

उक्त कार्यो कि र्निमाणपत्रवालीलेखापरिक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत -अनेठा

विकास खण्ड **-चकरनगर**

प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत का नाम-**अनेठा** के **वर्ष- 2021-22** के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त **वर्ष** में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये है।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्शों में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया साफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं0	**वर्ष**	प्रिया साफ्ट में दर्षित व्यय
1	**2021-22**	**1290645.00**
2	**मनरेगा**	**1530717.00**
	योग	**2821362.00**

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तिया हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रू0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेषन और रू0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिटटी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रायल्टी भुगतान की पुश्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दषा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा तथा दर्षित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूकि उक्त व्ययों की पुश्टि में कैष बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्तिरजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्षित व्ययों रू0 **1290645.00** को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 उक्त अपहरित धनराषि रू0 **1290645.00** में से रू0 645322.50तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्री मनोज कुमार** एवं **रू0**645322.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी **Jश्री शिववीर** सिंह सेंगर से वसूली की अपेक्षा की जाती है।

12.अधिभार का सक्षिप्त विवरण:

क्रमसंख्या	आपत्तिसंख्या	उत्तरदायीकर्मचारी/अधिकारी कानाम श्री/श्रीमती- (योगकीधनराशिकाआधा-आधाभागनिम्नसेवसूलीयोग्यहै।)	वर्ष	धनराशिरू0			आपत्ति का सारांश
				अपहरण	दुरूपयोग /गंभीरअनियमितता	योग	
1		प्रधान- सचिव-	2021-22	79600.00		79600.00	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्षित कर धन का गबन करना।
2		प्रधान- सचिव-	2021-22	30600.00 16875.00 18360.00		30600.00 16875.00 18360.00	कूड़ादान व्यय मद मेंप्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्षित कर धन का गबन करना।
3			2021-22	**44000.00**		**44000.00**	पचायत धरमे यूपस,मानीटर ,डेस्टाप,सीपीयु, कीर्बोड का भुगतान।
4		प्रधान- सचिव-	2021-22	285120.00 190080.00		285120.00 190080.00	प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयमें,वंफरनीचर कय ।
5		प्रधान- सचिव-	2021-22	247800.00		247800.00	विवरणहीन व्यय
6			2021	69800.00		69800.00	**फागिगमशीन एवं**

			-22	13760.00 58800.00		13760.00 58800.00	**सेनिटाजर क्रय का भुगतान।**
7				49852.00		49852.00	**पचायत कार्यालय में फरर्नीचर क्रय।**
8				10850.00 18703.00		10850.00 18703.00	**सोलरलाईटक्रय सोडियमहाइपोकलोराडक्रय का भुगतान।**
9				148359.00		148359.00	**अनेठापंचायत धरपर शैचालय निंमाण कार्यमें सामाग्री क्रय एवंलेबर का भुगतान।**
10				1086.00		1086.00	**अनटाइड क्रय।**
11				5000.00 2000.00		5000.00 2000.00	अन्य व्यय
		योग		1290645.00		1290645.00	
मनरेगा				**1530717.00**		**1530717.00**	
महायोग				**2821362.00**		**2821362.00**	

ग्राम पंचायत की वर्ष **2021- 22**की लेखा परीक्षा में उपर्युक्त विवरणानुसार अपहरण/दुरूपयोग एवंगंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके संम्बंध मे सम्बिन्धत जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मवचारियोंसे, उ0प्र0पंचायतराजनियमावली 1947 केनियम 256 (1) के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित हैअन्यथाकी स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उक्त धनराशि कीवसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीयअधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः- क- उक्त ग्राम पंचायत की उक्त अवधि के आय व्यय की लेखा परीक्षा नही करायी गयी है।ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी को पचायत के खातों के संचालन पर लेखा परीक्षा कराये जाने तक रोक लगाई जानी अपेक्षित है।

खग्रामपंचायतकेसचिव ,सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी तथा उपनिदेशक पंचायत एवं निदेशक पंचायत सेबार-बार अभिलेख उपलव्ध कराने का अनुरोध किये जाने के बावजूद उपरोक्त वर्षो के अभिलेख लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किये गयेऔर नही प्रस्तुत कराये गये।
गउपरोक्त वर्षो से सम्बन्धित कैश बुक एवं प्रमाण कों का विवरण, ईग्रामस्वराज साइट पर प्रदर्शित तो है, परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूपव्यय प्रमाण कों कोव्ययोंकी पुष्टि में विभागीय वेबसाइट पर अपलोडन हीं किया गया है।ऐसीस्थितिमें व्ययों की पुष्टि हेतु आफलाइन कार्यक्रम पर कई बार आडिट कार्यक्रम लगाये जाने एवं पत्राचार किये जा नेके बावजूद व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं ।जिसके कारण विभागीय वेबसाइटपर प्रदर्शितकैशबुक मेंअंकितव्ययोंकी पुष्टिनहींकीजासकी ।ऐसी स्थिति में उक्त वर्षमें किये गये व्यय, विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन मानते हुये लेखा मैनुअल तथा उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 के प्राविधानों के क्रम मंेउपरोक्त वर्ष की व्यय की धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुये अधिभार **प्रतिवेदन** निम्न आपत्तियों के अधीन जारी किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुयी है।

वर्श**2021-22**के आकड़े जो प्रियासाफट पर उपलव्ध है, उन परनिम्न आपत्तियाॅंहै-

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्पमरम्मत मद में, प्रियासाफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्षाया गया हैः-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय कीधनराशि
1.	हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर		79600.00
	योग-		79600.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्षित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरण हीन है तथा नियमों की अनदेखी करव्ययकियागयाहै।
ग्राम पंचायत में दर्षित उपरोक्तव्यय, प्रमाणक विहीन एवंविवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवंलेखाप्रबन्ध हेतु लेखामैनुअल अध्याय 8 केखण्ड 7 मेंउल्लिखित है, प्रमाणक विहीनएवंविवरण हीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 केखण्ड 7 मेंउल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्तदायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि"यदि दर्षाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्षायी गयी व्यय की धनराषि को गबन मानते हुए इस धनराषि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायतसचिवसेकीजायेगी।"व्ययपत्रावलियांजिसमेंव्ययप्रमाणक, ग्रामपंचायतकी बैठकमेंअनुमोदितकार्ययोजना, कार्यकास्टीमेट, कार्यकीवित्तीय, प्रषासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेषन, सामग्रीक्रयबिलों /डिलीवरीचालान/ मजदूरीभुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका मेंकी गयी कार्यकी मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाणपत्र सम्मिलित है, लेखा

परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।जिसके कारण उपरोक्त व्ययकी जांच नहींकी जा सकी।उपरोक्त आधार परसमस्त धनराषि को गबनमें आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानोंके अन्तर्गतअधिभा रयोग्यहै।अतःकुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन था नियम विरूद्ध उपरोक्त व्ययकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव सेबराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुलधनराशि रु.79600.00. में सेग्रामप्रधानश्री/श्रीमती **श्री मनोज कुमार** से रु39800.00 और ग्रामपंचायत सचिव श्री शिववीर सिंह सेंगर सेरु 39800.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

02-उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यो में, प्रियासाफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्षाया गयाहैः-

क्र0सं0	कार्यकाविवरण	दिनांक	व्ययकीधनराशि
1.	स्वच्छता अभियान केअन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यो में		**65835.00**
	योग-		**65835.00**

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़दान एवं अन्य कार्यो में, एक मुष्त बड़ी धनराषियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पश्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रतिकूड़ादान व्यय कितना है।
ग्राम पंचायत में दर्षित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है।इस प्रकार किया गया व्यय ग्रामपंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 केखण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्रामपंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 केखण्ड 7 में उल्लिखित हैकि"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि"यदि दर्षाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्षायी गयी व्यय की धनराषि को गबन मानते हुए इस धनराषि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक मेंअनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रषासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेषन, सामग्रीक्रयबिलों/डिलीवरीचालान/मजदूरीभुगतानमस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीनचरणों की फोटो ,कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये ग ये।जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी।उपरोक्त आधार पर समस्त धनराषि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।अतःलेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. **65835.00** में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती **मनोज**

कुमार से रु 32917.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती श्री ि◌ाववीर सिंह सेंगर.सेरु 32917.50 की वसूली किया जाना अपेक्षितहै।

- प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय मेंडेस एवं फरर्नीचर क्रय का भुगतान किया गया है।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय कीधनराशि
1.	➢ प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय मेंडेस एवं फरर्नीचर क्रय का भुगतान किया गया है।		475200.00
	योग-		475200.00

- विवरणहीन व्यय दर्षित कर धन का गबन करना।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्ययकीधनराशि
1.	➢ विवरणहीन व्यय दर्षित कर धन का गबन करना।		247800.00
	योग-		247800.00

फागिगमशीन एवं सेनिटाजर क्रय का भुगतान।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	फागिगमशीन एवंसेनिटाजरक्रय का भुगतान।		142360.00
	योग-		142360.00

पचायत कार्यालय में फरर्नीचरक्रय का भुगतान।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि

1.	**पचायत कार्यालय में फरर्नीचर क्रय का भुगतान।**		49852.00
	योग-		49852.00

सोलर लाईट क्रय सोडियम हाइपो कलोराड क्रय का भुगतान।

क्र0सं0	कार्यकाविवरण	दिनांक	व्ययकीधनराशि
1.	**सोलर लाईट क्रय सोडियम हाइपो कलोराडक्रय का भुगतान।**		29553.00
	योग-		29553.00

अनेठा पंचायत धरपर शैचालय र्निमाण कार्य में सामाग्री क्रय एवंलेबर का भुगतान।

क्र0सं0	कार्यकाविवरण	दिनांक	व्ययकीधनराशि
1.	**अनेठा पंचायत धरपर शैचालय र्निमाण कार्य में सामाग्री क्रय एवं लेबर का भुगतान।**		148359.00
	योग-		

- अन्य व्यय ,

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	अन्य व्यय एवं अनटाइड क्रय।		8086.00
	योग-		8086.00

- अनेठा में पचायत भवन र्निमाण कार्य में समाग्री की अपूर्ति का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम0स0	कार्य की आईडी	वर्ष	बिल न0	बिल का दिनाँक	वेन्डर का नाम	समाग्री लिस्ट न0	व्यय की धनराशि
1	3135027001/एबी /958486255822995326	2020.21	335	29.01.2021	मै0 राजावत टेडर्स	3135027-एम0एल0-4573	**200000-00**
2	3135027001/एबी /958486255822995326	2020.21	335335	29.01.2021	मै0 राजावत	3135027-एम0एल0-4573	**43354-00**

					टेडर्स		
3	3135027001/एबी /958486255822995326	2020.21	336	28.01.2021	मै0 राजावत टेडर्स	3135027-एम0एल0-4572	**200000-0**
4	3135027001/एबी 958486255822995326	2020.21	336336	28.01.2021	मै0 राजावत टेडर्स	3135027-एम0एल0-4572	**92459-00**
5	15 फाइनेन्स कमीशन	2021.22	एक्सवीएफसी 2021-22/ पी /10	08/03/2022			**148359**

अनेठा में पचायत भवन र्निमाण कार्य में मास्टर रोल की अपूर्ति का विवरण निम्न है।

क्रम0स0	मास्टर रोल संख्या	तारीख से तारीख को	स्वीक्रतिदिनाॅक	कुल श्रामिको की संख्या	प्रतिदिन मजदूरी	कुल दिवस	व्यय की धनराशि
1	2723	28.07.2021से08.08.2021	06-08-2020	5	204	60	12240

अनेठा में पचायत भवन र्निमाण कार्य में प्रयुक्त समाग्री की आपूर्तीदिनाॅक 28.01.2021एवं 29.01.2021तथा 08.03.2022 केसमाग्री की आपूर्ति की गयी है। जबकि मास्टर रोल संख्या-2723 के अनुसार कार्य करने का दिनाॅक 28.07.2021से 08.08.2021तक किया गया है। समाग्री आपूर्ति के 6 माह (180दिन) बाद कार्य प्रारम्भ किया गया है भवन निर्माण कार्य में सीमेन्ट का प्रयोग किया जाता है कम्पनी से निकली सीमेन्ट की 90दिन तक प्रयोग करने योग्य होता है। 90दिन के बाद सीमेन्ट खराब हो जाता है। अर्थात उक्त कार्यो में या तो निष्प्रयोज्यसीमेन्ट का प्रयोग किया गया है या तो उक्त कार्य को कराया ही नहीं गया है। यदि कार्य हुआ है तो मानक के अनुरुप कार्य नही कराया गया है। उक्त कार्यो में निष्प्रयोज्यसामाग्री की अपूर्ति कर धन का अपहरण किया गया है। उक्त कार्यो में कुल व्यय की गयी धनराशि 696412.00रु जो वित्तीय वर्ष 2020.21 एवं 2021.22 में व्यय की गयी है। अतःव्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को तत्कलीन सचिव एवं प्रधान एवं प्रशासक से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

- अनेठा में वृक्षारोपण कार्य में समाग्री की अपूर्ति का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम0स0	कार्य की आईडी	वर्ष	बिल न0	बिल का दिनाँक	वेन्डर का नाम	समाग्री लिस्ट न0	प्रति पौधा का रेट	कुल पौधा की संख्या	व्यय की धनराशि

1	3135027001दर एएएडीपी दर 958486255823000083	2021.22	785	08-08-2021	मै0 मुशीर नर्सरी	3135027& एम0एल0-349	45-00	1050	47250-00#

अनेठा में वृक्षारोपण कार्य में मास्टर रोल की अपूर्ति का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम 0स0	मास्टर रोल संख्या	तारीख से तारीख को	स्वीक्रतिदिनाॅक	कुल श्रामिको की संख्या	प्रतिदिन मजदूरी	कुल दिवस	व्यय की धनराशि
1	1126	17-06-2021 से 28-06-2021	08-06-2021	8	204	84	17136-00
2	1127	17-06-2021 से 28-06-2021	08-06-2021	5	204	55	11223-00

अनेठा ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्य में पौधे की अपूर्ति बिल न0-785 दिनाँक08-08-2021को प्राप्त हुआ हैं जबकी मास्टर रोल में कार्य प्ररम्भ17-06-2021 से 28-06-2021तक पौधे लगाकर समाप्त हो जा रहें हैं जबकीसमाग्री की आपूर्ति बिल से पौधे दिनाँक08-08-2021को प्राप्त हो रहें है अतः बिना पौधे प्राप्त हुए 17-06-2021 से 28-06-2021तक दो माह (60दिन) पूर्व ही पौधे लग जा रहें हैं ये सम्भव नही हैं। अतःकार्य काल्पनिक प्रतीत होता है इस कार्य में व्यय की गयी धनराशि भी काल्पनिक हैं। अतःकाल्पनिक वृक्षारोपण में व्यय दिखाकर धन का अपहरण किया गया जिसकी वसूली तत्कालीन सम्बन्धित कर्मचारी से किया जाना अपेक्षित है।

2- <u>महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत संचालित योजना</u>

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी| जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी | ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नही बनाया गया हैं | यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक269/सम्प्रेक्षा/आ०रि०/ 09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमे मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं | अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर - 7 के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु.1530717.00का भुगतान किया गया है | उक्त दर्शित भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि व्यय प्रमाणक सम्बन्धित अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरुप समस्त व्यय प्रमाणक विहीन रहा| पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के

सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराये जाते है, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी |" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रू. 1530717.00को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 रु.1530717.00की सुसंगत ब्याज सहित उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की अपेक्षा की जाती है |

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएँगे और ग्रामपंचायत के कार्यालय मे गार्ड फ़ाइल में रखे जाएँगे लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैण् अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहे.

ग्रामपंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखामैन्नुअलसम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिको की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामपंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृत पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड .6 नियम 407तैयारकिये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ/प्राक्कलन /मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। कार्यपूर्तिप्रमाणपत्रप्रस्तुतनहींरहे।

वित्तीय हस्त पुस्तिकाखंड -6 नियम 316 एवं 317 सक्षमअधिकारी द्वारा दिए गए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया गया है और इस पंजिका का निर्माण नहीं किया गया है।

व्यय प्रमाणक-उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन काआहरण- पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय केसम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त

दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमोमेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्धनहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशीकी वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से कीजाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है.और वसूली के साथ साथसाथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 केअंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलयमें चलाया जा सकेगा.आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी मे आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदाई है।

मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना-

उक्त कार्यो कि र्निमाणपत्रवालीलेखापरिक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत-निमरी

विकास खण्ड- चकरनगर

प्रस्तर -3 ग्राम पंचायत का नाम-**नीमरी** के **वर्ष-2021-22** के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त **वर्ष** में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये है।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त **वर्ष** में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया साफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं0	**वर्ष**	प्रिया साफ्ट में दर्षित व्यय
1	**2020-21**	**1621146.00**
2	**मनरेगा**	**2299262.00**
	योग	**3920408.00**

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तिया हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यादेष एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. शासनादेश सं0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रू0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेषन और रू0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रायल्टी भुगतान की पुश्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दषा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा तथा दर्षित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूकि उक्त व्ययों की पुश्टि में कैश बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्षित व्ययों रू0 **1621146.00**को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्द्वारा उक्त अपहरितधनराषिरू0 **1621146.00**में से रू0 810573.00तत्कालीन ग्राम प्रधान**श्री जितेन्द्र कुमार** एवं **रू0**810573.00तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी**श्री शिववीर सिंह एंव श्री संजीव कुमार** से वसूली की अपेक्षा की जाती है।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएँगे और ग्रामपंचायत के कार्यालय मे गार्ड फ़ाइल में रखे जाएँगे लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैण् अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहे.

उक्त कार्यो कि र्निमाण पत्रवाली लेखापरिक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्रामपंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखामैन्नुअलसम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिको की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामपंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृत पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा

है। खंड .6 नियम 407तैयारकिये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जायेे

मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना-

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ/प्राक्कलन /मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। कार्यपूर्तिप्रमाणपत्रप्रस्तुतनहींरहे।

एफएचबी खंड -6 नियम 316 एवं 317 सक्षमअधिकारी द्वारा दिए गए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया गया है और इस पंजिका का निर्माण नहीं किया गया है।

व्यय प्रमाणक-उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन काआहरण- पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय केसम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमोमेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्धनहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशीकी वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से कीजाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है.और वसूली के साथ साथसाथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 केअंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलयमें चलाया जा सकेगा.आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी मे आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदाई है।

2- <u>महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत संचालित योजना</u>

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी| जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी | ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नही बनाया गया हैं | यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक269/सम्प्रेक्षा/आ०रि०/ 09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमे मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं | अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर - 7 के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु.**2299262.00** का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरुप समस्त व्यय प्रमाणक विहीन रहा| पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराये जाते है, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी |" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत

नही किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रू. **2299262.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु**2299262.00**की सुसंगत ब्याज सहित उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की अपेक्षा की जाती है |

उक्त कार्यो कि र्निमाणपत्रवालीलेखापरिक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामपंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृत पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। खंड .6 नियम 407तैयारकिये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये

व्यय प्रमाणक-उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन काआहरण- पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय केसम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमोमेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्धनहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशीकी वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से कीजाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है.और वसूली के साथ साथसाथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 केअंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलयमें चलाया जा सकेगा.आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी मे आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदाई है।

वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा.उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएँगे और ग्रामपंचायत के कार्यालय मे गार्ड फ़ाइल में रखे जाएँगे लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख.रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैण् अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहे.

ग्रामपंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखामैन्नुअलसम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिको की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना. वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड .6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।

ग्रामपंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृत पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड .6 नियम 407तैयारकिये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाये।

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र .उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण .इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ/प्राक्कलन /मानचित्र के अनुसार किया गया है- के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। कार्यपूर्तिप्रमाणपत्रप्रस्तुतनहींरहे।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -6 नियम 316 एवं 317 सक्षमअधिकारी द्वारा दिए गए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखनेहेतु प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया गया है और इस पंजिका का निर्माण नहीं किया गया है।

व्यय प्रमाणक-उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन काआहरण- पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय केसम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमोमेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्धनहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशीकी वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से कीजाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है.और वसूली के साथ साथसाथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 केअंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलयमें चलाया जा सकेगा.आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी मे आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदाई है।

मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना-

उक्त कार्यो कि र्निमाणपत्रवालीलेखापरिक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत का नाम- **कचहरी** के **वर्ष-2021-22** के अभिलेख अनेक बार लिखित व मौखिक रूप से मागे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायत में उक्त **वर्ष** में कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये है।

उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त **वर्ष** में निम्न विवरण के अनुसार प्रिया साफ्ट की व्यय फीड कराये गये हैं।

क्रम सं0	**वर्ष**	प्रिया साफ्ट में दर्षित व्यय
1	**2020-21**	**862119.00**
2	**मनरेगा**	**3364719.00**
	योग	**4226838.00**

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तिया हैं-

क. उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है।

ख. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना तकनीकी एवं प्रषासनिक स्वीकृति, कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग. षासनादेषसं0- ए-1-864(1) दस-2008- 15(1) 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रू0 20000 से अधिक 100000 तक के सामग्री क्रय हेतु कोटेषन और रू0 100000 से अधिक की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ड. मिट्टी खुदाई एवं पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में एम0एम0-11 भी अनुपलब्ध रहा। इसलिये रायल्टी भुगतान की पुश्टि नहीं की सकी।

च. उक्त व्यय ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित भी नहीं पाया गया।

उ0प्र ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत में किये गये व्ययों के अभिलेख उपलब्ध न होने की दषा में व्ययों को काल्पनिक मानते हुए गबन माना जायेगा तथा दर्षित काल्पनिक व्ययों की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जायेगी। चूँकि उक्त व्ययों की पुश्टि में कैष बुक, व्यय प्रमाणक निर्माण कार्यों की इस्टिमेट, परिमाप पुस्तिका निर्माण कार्य रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के उक्त अध्याय के आलोक में दर्षित व्ययों रू0 **862119.00**को गबन मानते हुए उ0प्र पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 256 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एतद्द्वारा उक्त अपहरितधनराषिरू0 **862119.00**में से रू0 431059.50तत्कालीन ग्राम **प्रधान श्रीमती स्वेता सिंह** एवं **रू0** 431059.50 तत्कालीन **ग्राम पंचायत** अधिकारी **श्री शिववीर सिंह एंव श्री संजीव कुमार** से वसूली की अपेक्षा की जाती है।

2- महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम)मनरेगा(के अंतर्गत संचालित योजना

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी| जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी | ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नही बनाया गया हैं | यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक269/सम्प्रेक्षा/आ०रि०/ 09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमे मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं | अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर - 7 के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु.**3364719.00** का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरुप समस्त व्यय प्रमाणक विहीन रहा| पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराये जाते है, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी |" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रू. **3364719.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु**3364719.00** की सुसंगत ब्याज सहित उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की अपेक्षा की जाती है |

1- **वाउचर प्रस्तुत नहीं रहा**-उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947की नियम204 के अनुसार वाउचर प्रत्येक वर्ष के लिए क्रम से संख्यांकित किए जाएँगे और ग्रामपंचायत के कार्यालय मे गार्ड फ़ाइल में रखे जाएँगे लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर का रख-रखाव निम्न स्तर का था तथा उसके नष्ट होने या गायब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है .अधोलिखित विवरण के वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहे-

2- **उक्त कार्यो कि र्निमाण पत्रवाली लेखापरिक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है**।

3- ग्रामपंचायत एक्ट के नियम 210 और पंचायतलेखा मैन्नुअल सम्पादितकार्य में लगाये गए श्रमिको की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी कोअभिलेखीकृत करने हेतु मस्टररोल पंजिका बनाए जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन कर इसे निर्मित नहीं किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पंजिका के बनाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

4- माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना -खंड -6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामपंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृत पर नियंत्रण रखनेहेतु प्राक्कलन पंजिका पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। खंड -6 नियम 407 तैयारकिये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरणअभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाय।

5- **मस्टर रोल का नहीं बनाया जाना** -

6- **कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र** -उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण -इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान का कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ/ प्राक्कलन /मानचित्र के अनुसार किया गया है – के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है।अधिकांश कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आधे अधूरे और अपूर्णस्वरुप में प्रस्तुत नहीं रहे।

<u>मनरेगा</u>

7-उक्त कार्यो कि र्निमाणपत्रवालीलेखापरिक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।8- माप पुस्तिका और एस्टिमेट का प्रस्तुत न रहना- खंड -6 नियम 422मापन हेतु माप पुस्तिका केउपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिकाका प्रयोग न की जा सके माप पुस्तिकानिर्गमन पंजिका बनाएजाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामपंचायत एक्ट नियम 152 और पंचायतलेखा मैनुअल के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन काविवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृत पर नियंत्रण रखने हेतु प्राक्कलन पंजिका पंजिका बनाए जाने के निर्देश है लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -6 नियम 407तैयारकिये हुए प्राक्कलन की संख्या सुनिश्चित करना और तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु विस्तृत प्राक्कलन पंजिका बनाए जाय।

9- व्यय प्रमाणक-उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन काआहरण- पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय केसम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथासचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमोमेंअपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्ययके सम्बन्ध में कोई वाउचरउपलब्धनहींकराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशीकी वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से कीजाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है.और वसूली के साथ साथसाथ जिला पंचायत राज अधिकारी केद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 केअंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलयमें चलाया जा सकेगा.आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहे। उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी मे आता है जिसके लिए प्रधान और सचिव उत्तरदाई है।

10-स्वच्छ भारत अभियान/मनरेगा- ग्राम निधिखाता6 के लेखा परीक्षा में कोषबही के साथलाभार्थियों के चयन / पात्रता सेसम्बंधितपत्रावली, बेसलाइन सर्वे/ एम0आई0एस0 सूची, एस0बी0एम0 पंजिका आदि कोई भीअभिलेखऑडिटमेंप्रस्तुत नहीं रहा.जिससे इस मद की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। विभागीयअधिकारीयों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है

<u>महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत संचालित योजना</u>

1. लेखा परीक्षा मे मजदूरी भुगतान रजिस्टर अप्रस्तुत रहने के कारण व्यय मजदूरी पर कुल व्यय के 60% की पुष्टि नहीं की जा सकी.
2. स्टॉक रजिस्टर, अवशेष स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, लेखापरीक्षामे प्रस्तुत नहीं रहा. आगामी लेखापरीक्षामे प्रस्तुत किया जाए.
3. प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा. आगामी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किया जाए.

4. जॉब कार्ड रजिस्टर लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रहा जिससे जॉब कार्ड धारकों के समानुपातिक रूप से रोजगार पाने की सुचना अप्राप्त रही.
5. रोजगार सेवक को वर्ष में किये गए मानदेय भुगतान का रजिस्टर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान के अवधि की पुष्टि नहीं की जा सकी. अतःएव मानदेय रजिस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित है.
6. बेरोजगारी भत्ते का विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इसकी स्थिति अज्ञात रही. और पंजीकरण रजिस्टर के अभाव में पंजीकरण कराने वालों की उम्र का पता नहीं लगाया जा सका जब की **मनरेगा** गाइड लाइन के अनुसार पंजीयन केवल 18 साल से अधिक आयु के का ही हो सकता है.
7. महिलाओं के 33% रोजगार, विकलांगो के रोजगार, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रोजगार की स्थिति अज्ञात रही

जनपद - फर्रूखाबाद मण्डल-कानपुर

प्रारूप -4

विकास खण्ड-कायमगंज

1ग्राम पंचायत -कटरा रहमत खां

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि खाते के अनुदान मद से धनराशि रू0 441003.00 का व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल) , मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टैंडर, आमंत्रित एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया की पत्रावलियां , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये' के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। "के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0441003.00 में से 50% धनराशि रू0 220501.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान साजिद खान एवं शेष 50%धनाराशि रू0 220501.50 सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 15वें केन्द्रीय वित्त खाते के अनुदान मद से धनराशि रू0 1024005.00 का व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल) , मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टैंडर आमंत्रित एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया की पत्रावलियां , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। "के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू01024005.00 में से 50% धनराशि रू0 512002.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री साजिद खांन एवं शेष 50% धनाराशि रू0 512002.50 सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या 2)

2-ग्राम पंचायत - नरैनामऊ

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त खाते के अनुदान मद से धनराशि रू0 829436.60 का व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल) , मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टैंडर आमंत्रित एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया की पत्रावलियां , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। "के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 829436.60 में से 50% धनराशि रू0 414718.30तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किरन एवं शेष 50% धनाराशि रू0 414718.30सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री राजीव श्रीवास्तव से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान मूल अभिलेख प्रस्तुत न रहने के कारण मनरेगा योजन की अभिलेखों व व्यय विवरण/ पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी। मनरेगा पोर्टल के अनुसार मनरेगा मद में कुल रू0-924528.00 व्यय किये गये हैं। संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 2)

3-ग्राम पंचायत - निबलपुर

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त खाते के अनुदान मद से धनराशि रू0 1050471.00 का व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तिय नियमों के अनुरूप कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल,मस्टर रोल) , मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टैंडर आमंत्रित एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया की पत्रावलियां , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। "के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 1050471.00 में से 50% धनराशि रू0 525235.50तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह एवं शेष 50%धनाराशि रू0 525235.50सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री ज्ञान चन्द्र से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या 1)

प्रस्तर-6 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा योजना से संबंन्धित मूल अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत न रहने के कारण मनरेगा योजना के अभिलेखों व व्यय विवरण/ पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी। मनरेगा पोर्टल के अनुसार मनरेगा मद में कुल रू0-1683409.40 व्यय किये गये हैं। ऑनलाईन उक्त व्यय के सापेक्ष भौतिक रूप से समाग्री व्यय प्रमाणक / बाउचर, मस्टर रोल, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समस्त व्यय धनराशि अनियमित रही। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 2)

4-ग्राम पंचायत -भागीपुर उमराह

प्रस्तर-7 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त खाते के अनुदान मद से धनराशि रू0 192976.00 का व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तिय नियमों के अनुरूप कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल) , मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टैंडर आमंत्रित एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया की पत्रावलियां , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। "के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 192976.00 में से 50% धनराशि रू0 96488.00तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं शेष 50%धनाराशि रू0 96488.00सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री जय राम लाल से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या 1)

5-ग्राम पंचायत -मझोला

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त खाते के अनुदान मद से धनराशि रू0 2406610.00 का व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तिय नियमों के अनुरूप कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल) , मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टैंडर आमंत्रित एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया की पत्रावलियां , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। "के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 2406610.00 में से 50% धनराशि रू0 1203305.00तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली एवं शेष 50%धनाराशि रू0 1203305.00सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री राजीव श्रीवास्तव से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

प्रस्तर-9 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा योजना से संबंन्धित मूल अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत न रहने के कारण मनरेगा योजना के अभिलेखों व व्यय विवरण/ पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी। मनरेगा पोर्टल के अनुसार मनरेगा मद में कुल रू0-189324.00 व्यय किये गये हैं। ऑनलाईन उक्त व्यय के सापेक्ष भौतिक रूप से समाग्री व्यय प्रमाणक / बाउचर, मस्टर रोल, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समस्त व्यय धनराशि अनियमित रही। नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 2)

6-ग्राम पंचायत -रूटौल

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त खाते के अनुदान मद से धनराशि रू0 1238638.70 का व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तिय नियमों के अनुरूप कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल) , मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया की पत्रावलियां , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। "के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 1238638.70 में से 50% धनराशि रू0 619319.35तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती दीपिका एवं शेष 50%धनाराशि रू0 619319.35सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री राजीव श्रीवास्तव से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

प्रस्तर-11 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा योजना से संबंन्धित मूल अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत न रहने के कारण मनरेगा योजना के अभिलेखों व व्यय विवरण/ पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी। मनरेगा पोर्टल के अनुसार मनरेगा मद में कुल रू0-1264709.00 व्यय किये गये हैं। ऑनलाईन उक्त व्यय के सापेक्ष भौतिक रूप से समाग्री व्यय प्रमाणक / बाउचर, मस्टर रोल, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समस्त व्यय धनराशि अनियमित रही। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या 2)

7-ग्राम पंचायत -शाहपुर गंगपुर

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त खाते के अनुदान मद से धनराशि रू0 669223.00 का व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल) , मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक

स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया की पत्रावलियां , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। "के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 669223.00 में से 50% धनराशि रू0 334611.50तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं शेष 50% धनाराशि रू0 334611.50सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शशिदेव सिंह से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

प्रस्तर-13 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा योजना से संबंन्धित मूल अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत न रहने के कारण मनरेगा योजना के अभिलेखों व व्यय विवरण/ पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी। मनरेगा पोर्टल के अनुसार मनरेगा मद में कुल रू0-3287390.58 व्यय किये गये हैं। ऑनलाईन उक्त व्यय के सापेक्ष भौतिक रूप से समाग्री व्यय प्रमाणक / बाउचर, मस्टर रोल, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समस्त व्यय धनराशि अनियमित रही। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 2)

विकास खण्ड-कमालगंज

8-ग्राम पंचायत -पत्यौंजा

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त खाते के अनुदान मद से धनराशि रू0 2825864.00 का व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तिय नियमों के अनुरूप कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल,मस्टर रोल) , मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया की पत्रावलियां , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। "के

अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 2825864.00 में से 50% धनराशि रू0 1412932.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार एवं शेष 50%धनाराशि रू0 1412932.00 सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या 1)

प्रस्तर-15 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा योजना से संबंन्धित मूल अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत न रहने के कारण मनरेगा योजना के अभिलेखों व व्यय विवरण/ पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी। मनरेगा पोर्टल के अनुसार मनरेगा मद में कुल रू0-2158444.54 व्यय किये गये हैं। ऑनलाईन उक्त व्यय के सापेक्ष भौतिक रूप से समाग्री व्यय प्रमाणक / बाउचर, मस्टर रोल, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समस्त व्यय धनराशि अनियमित रही। सचिव श्री विवेक कुमार व ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या 2)

9-ग्राम पंचायत -भरतामऊ

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त खाते के अनुदान मद से धनराशि रू0 1174844.00 का व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तिय नियमों के अनुरूप कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल,मस्टर रोल) , मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेंडर आमंत्रित एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया की पत्रावलियां , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। "के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 1174844.00 में से 50% धनराशि रू0 587422.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं शेष 50%धनाराशि रू0 587422.00 सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रभात यादव से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज में दर्शित व्यय

से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या 1)

प्रस्तर-17 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा योजना से संबंन्धित मूल अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत न रहने के कारण मनरेगा योजना के अभिलेखों व व्यय विवरण/ पत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी। मनरेगा पोर्टल के अनुसार मनरेगा मद में कुल रू0-986503.52 व्यय किये गये हैं। ऑनलाईन उक्त व्यय के सापेक्ष भौतिक रूप से समाग्री व्यय प्रमाणक / बाउचर, मस्टर रोल, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समस्त व्यय धनराशि अनियमित रही | सचिव श्री प्रभात यादव व ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है | (मूल आपत्ति संख्या 2)

10-ग्राम पंचायत -लक्ष्मन नगला

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त खाते के अनुदान मद से धनराशि रू0 375644.00 का व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तिय नियमों के अनुरूप कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल) , मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनायें जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत की पत्रावली , सामग्री क्रय हेतु कोटेशन /टैंडर आमंत्रित एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया की पत्रावलियां , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के प्रस्तर 8(क)यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। "के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू 375644.00 में से 50% धनराशि रू0 187822.00तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रजेश कटियार एवं शेष 50%धनाराशि रू0 187822.00 सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम एवं 15वें केन्द्रीय वित्त से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या 1)

प्रस्तर-19 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा योजना से संबंन्धित मूल अभिलेख भौतिक आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा योजना से संबंन्धित मूल अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत न रहने के कारण मनरेगा योजना के अभिलेखों व व्यय विवरणपत्रावलियों की जाँच नहीं की जा सकी। मनरेगा पोर्टल के अनुसार मनरेगा / मद मेंकुल रू व्यय किये गये हैं। ऑनलाईन उक्त व्यय के सापेक्ष भौतिक रूप से समाग्री व्यय प्रमाणक 0-373728.00

बाउचर /, मस्टर रोल, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समस्त व्यय धनराशि अनियमित रही। सचिव श्री विवेक कुमार व ग्राम प्रधान श्री बृजेश कटियार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या 2)

11-ग्राम पंचायत -नसरतपुर नैगाव

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 15 वे केंद्रीय वित्त अनुदान के मद से रुपए-1125809.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-1125809.00 में से 50% धनराशि रुपए-562904.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री नूर आलम से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-562904.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री करन से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार राज्य वित्त खाते के अनुदान मद से रुपए-1673216.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय

धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-1673216.00 में से 50% धनराशि रुपए-836608.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री नूर आलम से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-836608.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री करन से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 4)

प्रस्तर-22 मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-2293434.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। इस प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सचिव श्री करन व ग्राम प्रधान श्री नूर आलम के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है |
(मूल आपत्ति संख्या 3)

12-ग्राम पंचायत -नारायनपुर गढ़िया

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 15 वे केंद्रीय वित्त अनुदान के मद से रुपए-791955.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-791955.00 में से 50% धनराशि रुपए-395977.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री नीरज कटियार से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-395977.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री विनय चौहान से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है |

(मूल आपत्तिसं0 1)

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार राज्य वित्त खाते के अनुदान मद से रुपए-457209.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के

कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-457209.00 में से 50% धनराशि रुपए-228604.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री नीरज कटियार से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-228604.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी)-श्री विनय चैहान से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-457209.00 में से 50%धनराशि रुपए-228604.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री नीरज कटियार से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-228604.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री विनय चैहान से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 4)

प्रस्तर.25 मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-641640.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सचिव श्री विनय चौहान व ग्राम प्रधान श्री नीरज कटियार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं0 3)

13-ग्राम पंचायत -महरूपुर रावी

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0- 3099508.00 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क)यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 3099508.00 में से 50% धनराशि रू0 1549754.00तत्कालीन ग्राम प्रधान रंजीता तथा शेष 50% धनाराशि रू0 1549754.00सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अश्वनी यादव से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 1)

14-ग्राम पंचायत -बझेरा मलिक पट्टी

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0- 912539.40 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क)यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 912539.40 में से 50% धनराशि रू0 456269.70 तत्कालीन ग्राम प्रधान मनीराम तथा शेष 50% धनाराशि रू0 456269.70सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अश्वनी यादव से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 1)

15-ग्राम पंचायत - छीतापुर कपूरापुर

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0- 570505.70 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क)यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी

ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 570505.70 में से 50% धनराशि रू0 285252.85तत्कालीन ग्राम प्रधान राममूर्ती तथा शेष 50% धनाराशि रू0 285252.85सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अश्वनी यादव से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 1)

16-ग्राम पंचायत - गंगाइच

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0- 788864.00 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क)यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 788864.00 में से 50% धनराशि रू0 396432.00तत्कालीन ग्राम प्रधान मुन्नी बेगम तथा शेष 50% धनाराशि रू0 396432.00सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अश्वनी यादव से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 1)

17 -ग्राम पंचायत - मूसाखिरिया

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1678379.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1678379.00 में से 50% धनराशि रू0 839189.50 तत्कालीन प्रधान सर्वेश कुमार से तथा शेष 50% धनराशि रू0 839189.50

सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) अमित शुक्ला से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 1)

18-ग्राम पंचायत -हब्बापुर

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 551634.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 551634.00 में से 50% धनराशि रू0 275817.00 तत्कालीन प्रधान रामबरन से तथा शेष 50% धनराशि रू0 275817.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) आखेन्द्र यादव से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 1)

19-ग्राम पंचायत -सिंघौली

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1052711.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका,

परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1052711.00 में से 50% धनराशि रू0 526355.50 तत्कालीन प्रधान रीमा से तथा शेष 50% धनराशि रू0 526355.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) मोहित यादव से .संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 1)

20 -ग्राम पंचायत -शर्फाबाद

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 2789121.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 2789121.00 में से 50% धनराशि रू0 1394560.50 तत्कालीन प्रधान जकी आलम से तथा शेष 50% धनराशि रू0 1394560.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) प्रभात यादव से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 1)

21 -ग्राम पंचायत -महरूपुर खार

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 580486.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 580486.00 में से 50% धनराशि रू0 290243.00 तत्कालीन प्रधान दिव्या सिंह से तथा शेष 50% धनराशि रू0 290243.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) कंचन रावत से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 1)

22-ग्राम पंचायत -महमदपुर अंचला

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1383198.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के

विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1383198.00 में से 50% धनराशि रू0 691599.00 तत्कालीन प्रधान इरफान खान से तथा शेष 50% धनराशि रू0 691599.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) विनय सिंह चौहान से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 1)

23-ग्राम पंचायत -मकरन्द नगर बसहा

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 966285.70 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 966285.70 में से 50% धनराशि रू0 483142.85 तत्कालीन प्रधान सरिता से तथा शेष 50% धनराशि रू0 483142.85 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) मोहित यादव से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 1)

24-ग्राम पंचायत -भड़ौसा

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 4440982.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय

हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 4440982.00 में से 50% धनराशि रू0 2220491.00 तत्कालीन प्रधान शहनाज से तथा शेष 50% धनराशि रू0 2220491.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) विनय सिंह चौहान से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 1)

25-ग्राम पंचायत -भटपुरा

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1827595.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1827595.00 में से 50% धनराशि रू0 913797.50 तत्कालीन प्रधान जाफना बेगम से तथा शेष 50% धनराशि रू0 913797.50 सचिव ग्राम

पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) मोहित यादव से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 1)

26-ग्राम पंचायत -बन्दर खेड़ा

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1921061.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1921061.00 में से 50% धनराशि रू0 960530.50 तत्कालीन प्रधान विनय कुमार से तथा शेष 50% धनराशि रू0 960530.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) अंजलि प्रजापति से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 1)

27-ग्राम पंचायत -न्यामतपुर ठकुरान

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1062966.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका,

परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1062966.00 में से 50% धनराशि रू0 531483.00 तत्कालीन प्रधान देवेश सिंह से तथा शेष 50% धनराशि रू0 531483.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) राकेश कुमार से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 1)

28-ग्राम पंचायत -नगलादाऊद

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1384559.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1384559.00 में से 50% धनराशि रू0 692279.50 तत्कालीन प्रधान कुबंर पाल सिंह से तथा शेष 50% धनराशि रू0 692279.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) विजेता से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0 1)

29-ग्राम पंचायत -जरारी

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 4772274.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 4772274.00 में से 50% धनराशि रू0 2386137.00 तत्कालीन प्रधान अमतुन्ना से तथा शेष 50% धनराशि रू0 2386137.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) विनय सिंह चौहान से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं0 1)

30-ग्राम पंचायत -गौसपुर

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 860958.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के

अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 860958.00 में से 50% धनराशि रू0 430479.00 तत्कालीन प्रधान उबैश आलम से तथा शेष 50% धनराशि रू0 430479.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) विजेता से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं0 1)

31-ग्राम पंचायत -कैटहा

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1125515.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1125515.00 में से 50% धनराशि रू0 562757.50 तत्कालीन प्रधान रघुनाथ से तथा शेष 50% धनराशि रू0 562757.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) मोहित यादव से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं0 1)

32-ग्राम पंचायत -अहिमलापुर

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1753301 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं

स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1753301 में से 50% धनराशि रू0 876670.50 तत्कालीन प्रधान विमल कुमार से तथा शेष 50% धनराशि रू0 876670.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) आलोक दुबे से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 1)

33-ग्राम पंचायत -कंझाना

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 680695.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक

विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 680695.00 में से 50% धनराशि रू0 340347.50 तत्कालीन प्रधान रेहा से तथा शेष 50% धनराशि रू0 340347.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) अमित शुक्ला से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं0 1)

34-ग्राम पंचायत -कतरौली पट्टी

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1787680..00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1787680..00 में से 50% धनराशि रू0 893840.00 तत्कालीन प्रधान अनीसा बेगम से तथा शेष 50% धनराशि रू0 893840.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) मोहित यादव से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 1)

35-ग्राम पंचायत -अजीजुलपुर

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1586802.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप

पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0-1586802.00 में से 50% धनराशि रू0 793401.00 तत्कालीन प्रधान लैक खान से तथा शेष 50% धनराशि रू0 793401.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) आवेन्द्र यादव से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं0 1)

36-ग्राम पंचायत -बलीपुर

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1553051.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1553051.00 में से 50% धनराशि रू0 776525.50 तत्कालीन प्रधान रिश कुमार से तथा शेष 50% धनराशि रू0 776525.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) नीरू दीक्षित से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 1)

37-ग्राम पंचायत -नगला भीका

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 971910.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 971910.00 में से 50% धनराशि रू0 485955.00 तत्कालीन प्रधान नर सिंह से तथा शेष 50% धनराशि रू0 485955.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) नौशाद अहमद से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं0 1)

38-ग्राम पंचायत -उस्मानगंज

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 725184.00 व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका ,स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह

सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 725184.00 में से 50% धनराशि रू0 362592.00 तत्कालीन प्रधान बेबी से तथा शेष 50% धनराशि रू0 362592.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) आदित्य वर्मा से . संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है(मूल आपत्ति सं0 1)

विकास खण्ड-मोहम्मदाबाद

वर्ष 2021-22

39. ग्राम पंचायत - करनपुर मजरा बांसमई

प्रस्तर 52.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-734405.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-734405.00 में से 50% धनराशि रुपए-367202.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती सपना तथा शेष 50% धनराशि रुपए-367202.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री विनय चैहान से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 53.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार राज्य वित्त के मद मे रुपए-670013.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत

योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-670013.00 में से 50% धनराशि रुपए-335006.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती सपना से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-335006.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री विनय चैहान से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 54.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-1339680.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति सं03)

40 ग्राम पंचायत - पिपरगांव

प्रस्तर 55.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-5453578.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-5453578.00 में से 50%

धनराशि रुपए-2726789.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री कुनतेष यादव तथा शेष 50% धनराशि रुपए-2726789.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री अरविंद कुमार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 56.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार राज्य वित्त के मद मे रुपए-4513440.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-4513440.00 में से 50% धनराशि रुपए-2256720.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री कुनतेष यादव से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-2256720.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री अरविंद कुमार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 57.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-1015842.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं03)

41 ग्राम पंचायत सिकंदरपुर नगला विनायक

प्रस्तर 58.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-882629.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-882629.00 में से 50% धनराशि रुपए-441314.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री राजवीर तथा शेष 50% धनराशि रुपए-441314.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री मोतीलाल से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 59.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार राज्य वित्त के मद मे रुपए-941792.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्रे,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-941792.00 में से 50%धनराशि रुपए-470896.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री राजवीर से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-470896.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री मोतीलाल से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।मूलआपत्ति सं04)

प्रस्तर 60.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-1669642.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं03)

42 ग्राम पंचायत -पुठरी

प्रस्तर 61.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-603874.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के

वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-603874.00 में से 50% धनराशि रुपए-301937.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री रामनरायन सिंह तथा शेष 50% धनराशि रुपए-301937.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री मोतीलाल से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है

(मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 62.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार राज्य वित्त के मद मे रुपए-973921.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-973921.00 में से 50%धनराशि रुपए-486960.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री रामनरायन सिंह से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-486960.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री मोतीलाल से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 63.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-773237.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं03)

43ग्राम पंचायत सितवनपुर पिथु

प्रस्तर 64.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-1238243.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-1238243.00 में से 50% धनराशि रुपए-619121.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री षेर बहादुर सिंह तथा शेष 50% धनराशि रुपए-619121.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री विनय चैहान से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 65 .ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार राज्य वित्तके मद मे रुपए-893684.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "

ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-893684.00 में से 50%धनराशि रुपए-446842.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री षेर बहादुर सिंह से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-446842.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री विनय चैहान से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 66. मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-2079307.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति सं03)

44 ग्राम पंचायत सिठऊपुर कुर्मी

प्रस्तर 67.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-767490.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-767490.00 में से 50% धनराशि रुपए-383745.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री सुधीर सिंह तथा शेष 50% धनराशि रुपए-383745.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री विनय चैहान से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 68 .ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार राज्य वित्त के मद मे रुपए-757618.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत

ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-757618.00 में से 50% धनराशि रुपए-378809.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री सुधीर सिंह से तथा शेष 50%धनराशि रुपए-378809.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री विनय चैहान से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 69 .मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-600058.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं03)

45 ग्राम पंचायत ऊगरपुर

प्रस्तर 70. ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान के मद मे रुपए-628763.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय

धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-628763.00 में से 50% धनराशि रुपए-314381.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री ओमप्रकाष तथा शेष 50% धनराशि रुपए-314381.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री अरविंद कुमार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 71 .ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार राज्य वित्त मद मे रुपए-636195.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-636195.00 में से 50%धनराशि रुपए-318097.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री ओमप्रकाष से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-318097.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री अरविंद कुमार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 72. मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-1842914.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं03)

विकास खण्ड - बढ़पुर

वर्ष 2021-22

46ग्राम पंचायत - कुटरा

प्रस्तर 73 .ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में खाता संख्या 193400010019253 के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त के मद मे रुपए-4772896.10 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-4772896.10 में से 50% धनराशि रुपए-2386448.05 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री अजय तथा शेष 50% धनराशि रुपए-2386448.05 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्रीमती अंजली श्रीवास्तव से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 74 .ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में खाता संख्या 1934000100302364 के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-3006937.10 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-3006937.10 में से 50% धनराशि रुपए-1503468.55 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री अजय से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-1503468.55 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्रीमती अंजली श्रीवास्तव से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की

दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 75.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-269892.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव अंजली श्रीवास्तव, प्रधान अजय व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं 03)

47- ग्राम पंचायत-पपियापुर

प्रस्तर76- ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त खाते के अनुदान के मद से रुपए - 3225721.95 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे—स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख स्वीकृत विस्तृत प्राकलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी' के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए - 3225721.95 में से 50% धनराशि रुपए -1612860.97 तत्कालीन ग्राम प्रधान - श्री अजय कुमार से तथा शेष 50% धनराशि रुपए - 1612860.97 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी) श्रीमती अंजली श्रीवास्तव से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

प्रस्तर77-ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त अनुदान मद से रुपए 2219792.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे - स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7 यह कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए 2219792.00 में से 50% धनराशि रुपए - 1109896.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान - श्री अजय कुमार से तथा शेष 50% धनराशि रुपए - 1109896.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)- श्रीमती अंजली श्रीवास्तव से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 04)

प्रस्तर78-मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-417792.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269 / संप्रेक्षण 09-09 / दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव अंजलि श्रीवास्तव, प्रधान अजय कुमार व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है | (मूल आपत्ति सं 03)

विकास खण्ड-शमसाबाद

वर्ष 2021-22

48 ग्राम पंचायत न्यामतपुर भूक्सी

प्रस्तर 79.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-558335.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय

धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-558335.00 में से 50% धनराशि रुपए-279167.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती षाहिन तथा शेष 50% धनराशि रुपए-279167.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री जगवीर से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 80.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त के मद मे रुपए-760488.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-760488.00 में से 50% धनराशि रुपए-380244.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती षाहिन से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-380244.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री जगवीर से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 81.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-3920772.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं03)

49 ग्राम पंचायत मिल्कमौज मुल्ला

प्रस्तर 82.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-1024093.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,

सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-1024093.00 में से 50% धनराशि रुपए-512046.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री श्रीमती रेखा देवी तथा शेष 50% धनराशि रुपए-512046.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री प्रषांत कटियार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 83.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त के मद मे रुपए-572095.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-572095.00 में से 50% धनराशि रुपए-286047.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री श्रीमती रेखा देवी से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-286047.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री प्रषांत कटियार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 84.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-331296.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं03)

50 ग्राम पंचायत सैदपुर रहिमादादपुर

प्रस्तर 85.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-210697.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-210697.00 में से 50% धनराशि रुपए-105348.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री कृश्ण तथा शेष 50% धनराशि रुपए-105348.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री जगवीर से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 86. ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त के मद मे रुपए-169831.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर ,ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-169831.00 में से 50% धनराशि रुपए-84915.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री कृश्ण से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-84915.50 सचिव ग्राम

पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री जगवीर से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है (मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 87.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-3015316.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं03)

51 ग्राम पंचायत तुर्कीपुर

प्रस्तर 88.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-1066096.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-1066096.00 में से 50% धनराशि रुपए-533048.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री दिलषाद तथा शेष 50% धनराशि रुपए-533048.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री प्रषांत कटियार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 89.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त के मद मे रुपए-851700.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर ,ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक

निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-851700.00 में से 50% धनराशि रुपए-425850.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री दिलषाद से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-425850.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री प्रषांत कटियार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 90.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-711376.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं03)

52ग्राम पंचायत महमदपुर मुसेपुर

प्रस्तर 91.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-771661.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-771661.00 में से 50% धनराशि रुपए-385830.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती ममता देवी तथा शेष 50% धनराशि रुपए-385830.50 सचिव

ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री जगवीर से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 92.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त के मद मे रुपए-490397.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर ,ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-490397.00 में से 50% धनराशि रुपए-245198.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती ममता देवी से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-245198.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री जगवीर से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 93.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-3522911.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति सं03)

53ग्राम पंचायत खिनमिनी

प्रस्तर 94.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-1514083.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही

रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-1514083.00 में से 50% धनराशि रुपए-757041.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती वंदना गंगवार तथा शेष 50% धनराशि रुपए-757041.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी)-श्री प्रषांत कटियार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 95.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त के मद मे रुपए-1919003.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर ,ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-1919003.00 में से 50% धनराशि रुपए-959501.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती वंदना गंगवार से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-959501.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री प्रषांत कटियार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 96.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-394828.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए

गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं03)

54ग्राम पंचायत कांधेमई

प्रस्तर 97.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-480481.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-480481.00 में से 50% धनराशि रुपए-240240.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती आरती तथा शेष 50% धनराशि रुपए-240240.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री प्रषांत कटियार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 98.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त के मद मे रुपए-476883.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर ,ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर

तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-476883.00 में से 50% धनराशि रुपए-238441.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती आरती से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-238441.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री प्रषांत कटियार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 99.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-1216183.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति सं03)

55ग्राम पंचायत गुसरापुर

प्रस्तर 100.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-815547.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-815547.00 में से 50% धनराशि रुपए-407773.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती स्नेहा बाजपेयी तथा शेष 50% धनराशि रुपए-407773.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री पवन नायक से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 101.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त के मद मे रुपए-536521.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप

व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर ,ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-536521.00 में से 50% धनराशि रुपए-268260.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती स्नेहा बाजपेयी से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-268260.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री पवन नायक से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 102.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-1217034.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं03)

56ग्राम पंचायत बेहटा बल्लू

प्रस्तर 103.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त के मद मे रुपए-699340.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर

तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-699340.00 में से 50% धनराशि रुपए-349670.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती राजवती तथा शेष 50% धनराशि रुपए-349670.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री कपिलदेव त्रिपाठी से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर 104.ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-647099.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर ,ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-647099.00 में से 50% धनराशि रुपए-323549.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती राजवती से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-323549.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री कपिलदेव त्रिपाठी से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर 105.मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-973899.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं03)

57ग्राम पंचायत बघौना

प्रस्तर.106 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-31880.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही

रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-31880.00 में से 50%धनराशि रुपए-15940.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती विनीता तथा शेष 50% धनराशि रुपए-15940.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री पवन नायक से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर.107 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त के मद मे रुपए-201072.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर ,ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-201072.00 में से 50% धनराशि रुपए-100536.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती विनीता से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-100536.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री पवन नायक से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर.108 मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-33864.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक

15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं03)

58ग्राम पंचायत बलीपुर भगवंत

प्रस्तर.109 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-541011.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-541011.00 में से 50% धनराशि रुपए-270505.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती कामिनी यादव तथा शेष 50% धनराशि रुपए-270505.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री प्रषांत कटियार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर.110 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त के मद मे रुपए-320764.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर ,ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8

(क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-320764.00 में से 50% धनराशि रुपए-160382.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती कामिनी यादव से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-160382.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री प्रषांत कटियार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर.111 मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-1870412.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति सं03)

59ग्राम पंचायत मंझना

प्रस्तर.112 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार 15 वे केंद्रीय वित्त खाते के अनुदान मद मे रुपए-355223.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-355223.00 में से 50% धनराशि रुपए-177611.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री सत्येन्द्र कुमार तथा शेष 50% धनराशि रुपए-177611.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री प्रषांत कटियार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

प्रस्तर.113 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त के मद मे रुपए-1474629.00 का व्यय किया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्ययप्रमाणको की मूल प्रति(बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना / अनुमोदित कार्य योजना ,संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर ,ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही

रजिस्टर , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख , स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलिया , कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्तीप्रमाणपत्र ,कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 7यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है ,तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की राशि रुपए-1474629.00 में से 50%धनराशि रुपए-737314.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री सत्येन्द्र कुमार से तथा शेष 50% धनराशि रुपए-737314.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी)-श्री प्रषांत कटियार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं04)

प्रस्तर.114 मनरेगा योजना से संबंधित आय एवं व्यय विवरण तथा कैश बुक एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण योजना पर किए गए व्यय रुपए-992970.00(ऑन लाइन आंकड़ो के आधार पर) की जांच नहीं की जा सकी अतः व्यय आनियमित रहा । यह शासन के आदेश पत्रांक 269/ संप्रेक्षण 09-09/ दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्पष्ट अवहेलना है। जिसमें मनरेगा कैश् बुक बनाकर ऑडिट में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए है। सम्बंधित सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं03)

विकास खण्ड-नवाबगंज

वर्ष 2021-22

60 ग्राम पंचायत -कोकापुर

प्रस्तर 115- ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0-880163.00 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी "के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0880163.00 में से 50% धनराशि रू0 440081.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह तथा शेष 50%धनाराशि रू0 440081.50सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अनुपम बाजपेयी से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 1)

61ग्राम पंचायत -अचरा तकीपुर

प्रस्तर 116-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0-194109.00 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू 194109.00 में से 50% धनराशि रू0 97054.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री इरशाद अली तथा शेष 50% धनाराशि रू0 97054.50 सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री अनुपम बाजपेयी से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 1)

62ग्राम पंचायत -परिउली खरिदाई

प्रस्तर 117-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0-503240.90 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध

नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0503240.90 में से 50% धनराशि रू0 251620.45तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रणधीर तथा शेष 50% धनाराशि रू0 251620.45सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री जुबैर अहमद से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 1)

63ग्राम पंचायत -नगलाकेल

प्रस्तर 118-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0-1602463.85 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू01602463.85 में से 50% धनराशि रू0 801231.93तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री घनश्याम तथा शेष 50% धनाराशि रू0 801231.93सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री जुबैर अहमद से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

64ग्राम पंचायत -पिलखना

प्रस्तर 119-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त के बैंक स्टेटमैन्ट के अतिरिक्त तत्संबन्धी कैशबुक, निर्माण कार्य पत्रावलियाँ एवं कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0-6490111.70 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू06490111.70 में से 50% धनराशि रू0 3245055.85तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रीती तथा शेष 50% धनाराशि रू0 3245055.85सचिव ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी प्रशान्त कटियार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 1)

65ग्राम पंचायत -गुठिना

प्रस्तर 120-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0-1981478.84 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू01981478.84 में से 50% धनराशि रू0 990739.42तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता तथा शेष 50% धनाराशि रू0 990739.42सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र त्रिपाठी से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

66ग्राम पंचायत -बबना

प्रस्तर 121-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0- 3257064.70 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 3257064.70 में से 50% धनराशि रू0 1628532.35तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सीता देवी तथा शेष 50% धनाराशि रू0 1628532.35सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

67 ग्राम पंचायत -रमापुर दबीर

प्रस्तर 122-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0-1150310.26 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत

उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू1150310.26 में से 50% धनराशि रू0 575155.13तत्कालीन ग्राम प्रधान विनीता यादव तथा शेष 50% धनाराशि रू0 575155.13सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रदीप यादव से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 1)

68ग्राम पंचायत -वीरपुर

प्रस्तर 123-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0- 2272422.00 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू02272422.00 में से 50% धनराशि रू0 1136211.00तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम बाबू तथा शेष 50% धनाराशि रू0 1136211.00सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री प्रवेश राजपूत से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 1)

69ग्राम पंचायत -इमादपुर समैचीपुर

प्रस्तर 124-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0- 732756.00 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0732756.00 में से 50% धनराशि रू0 366378.00तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जाहर सिंह तथा शेष 50% धनाराशि रू0 366378.00सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

70ग्राम पंचायत -कुतुबुद्दीनपुर

प्रस्तर 125-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0- 101411.00 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0101411.00 में से 50% धनराशि रू0 50705.50तत्कालीन ग्राम प्रधान सुनीता देवी तथा शेष 50% धनाराशि रू0 50705.50सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

71ग्राम पंचायत -हादीदादपुर मई

प्रस्तर 126-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0-1369993.00 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू01369993.00 में से 50% धनराशि रू0 684996.50तत्कालीन ग्राम प्रधान सुमित कुमार तथा शेष 50% धनाराशि रू0 684996.50सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी रविन्द्र सिंह से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

72ग्राम पंचायत -सलेमपुर दूदेमई

प्रस्तर 127 ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0- 1627344.00 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत

उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू01627344.00 में से 50% धनराशि रू0 813672.00तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दयाराम तथा शेष 50% धनाराशि रू0 813672.00सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

73ग्राम पंचायत -समैचीपुर मजरा अठरूइया

प्रस्तर 128-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0- 298173.00 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0298173.00 में से 50% धनराशि रू0 149086.5तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी तथा शेष 50% धनाराशि रू0 149086.5सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

74ग्राम पंचायत -रसीदपुरमई

प्रस्तर 129 -ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0- 719825.00 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 719825.00 में से 50% धनराशि रू0 359912.50तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सिमेन्द्र सिंह तथा शेष 50% धनाराशि रू0 359912.50सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

75ग्राम पंचायत -ज्योनी

प्रस्तर 130-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0- 1026872.00 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू01026872.00 में से 50% धनराशि रू0 513436.00तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बबलू तथा शेष 50% धनाराशि रू0 513436.00सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

76 ग्राम पंचायत -ज्योना

प्रस्तर 131-ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष लेखा परीक्षा में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी द्वारा राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय रू0- 2155752.00 अपुष्ट रहा।

इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) यह कि यदि दर्शाय गये व्यय के संबन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी " के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 2155752.00 में से 50% धनराशि रू0 1077876.00तत्कालीन ग्राम प्रधान रेखा देवी तथा शेष 50% धनाराशि रू0 1077876.00सचिव ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी रविन्द्र सिंह से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 1)

विकास खण्ड-राजेपुर

वर्ष 2021-22

77 ग्राम पंचायत -कुम्हरौर

प्रस्तर 132 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 3444489.00 का व्ययकिया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख,

स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका स्टांक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 3444489.00 में से 50% धनराशि रू0 1722244.50 तत्कालीन प्रधान हिमानी से तथा शेष 50% धनराशि रू0 1722244.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) विवेक कुमार तिवारी से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

78 ग्राम पंचायत -बिलालपुर तुर्कहटा

प्रस्तर 133 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1180734.90 का व्ययकिया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका स्टांक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1180734.90 में से 50% धनराशि रू0 590367.45 तत्कालीन प्रधान गुड्डी देवी से तथा शेष 50% धनराशि रू0 590367.45 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम

पंचायत/ विकास अधिकारी) योगेश यादव से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

79 ग्राम पंचायत -वीरपुर हरिहरपुर

प्रस्तर 134-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1320847.20 का व्ययकिया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका स्टांक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0- 1320847.20 में से 50% धनराशि रू0 660423.60 तत्कालीन प्रधान रजनी देवी से तथा शेष 50% धनराशि रू0 660423.60 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) रोहित कुमार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 1)

80 ग्राम पंचायत -अम्बरपुर

प्रस्तर 135 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1251775.00 का व्ययकिया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका स्टांक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1251775.00 में से 50% धनराशि रू0 625887.50 तत्कालीन प्रधान गुड्डीदेवी से तथा शेष 50% धनराशि रू0 625887.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) दिलीप कुमार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

81 ग्राम पंचायत -महमदपुर गड़िया

प्रस्तर 136 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 1548956.00 का व्ययकिया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका स्टांक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 1548956.00 में से 50% धनराशि रू0 774478.00 तत्कालीन प्रधान गिरिजा से तथा शेष 50% धनराशि रू0 774478.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) रोहित कुमार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 1)

82 ग्राम पंचायत -परतापुर कलां

प्रस्तर 137 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 842486.00 का व्ययकिया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका स्टांक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 842486.00 में से 50% धनराशि रू0 421243.00 तत्कालीन प्रधान कीर्ति कुशवाहा से तथा शेष 50% धनराशि रू0 421243.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) अश्वनी यादव से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।। (मूल आपत्ति संख्या 1)

83 ग्राम पंचायत -निबिया

प्रस्तर 138 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 270157.00 का व्ययकिया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका स्टांक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई

वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 270157.00 में से 50% धनराशि रू0 135078.50 तत्कालीन प्रधान नेमचंद्र से तथा शेष 50% धनराशि रू0 135078.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) योगेश यादव से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

84 ग्राम पंचायत -रामपुर जोगपुर

प्रस्तर 139 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 787207.00 का व्ययकिया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका स्टांक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 787207.00 में से 50% धनराशि रू0 393603.50 तत्कालीन प्रधानसुमन गुप्ता से तथा शेष 50% धनराशि रू0 393603.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) दिलीप कुमार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

85 ग्राम पंचायत -पिथनापुर

प्रस्तर 140 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 3505397.00 का व्ययकिया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली,

कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका स्टांक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0- 3505397.00 में से 50% धनराशि रू0 1752698.50 तत्कालीन प्रधानअभय कुमार से तथा शेष 50% धनराशि रू0 1752698.50 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) प्रदीप कुमार से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

86 ग्राम पंचायत -कुडरी सारंगपुर

प्रस्तर 141 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के मद रू0- 730457.60 का व्ययकिया गया दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय का वित्तिय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रासफर विवरण) मूल पत्रावली एवं अनिवार्य मूल अभिलेख सूचनाएं जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना , स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, सामग्री क्रय हेतु आवश्यक कुटेशन/ टेंडर आमंत्रित करने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावली, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्त्री प्रमाण पत्र , कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजानिक निर्माण कार्य पंजिका, परिस्मपति पंजिका स्टांक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वह सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरित उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रू0 - 730457.60 में से 50% धनराशि रू0 365228.80 तत्कालीन प्रधानअतर सिंह से तथा शेष 50% धनराशि रू0 365228.80 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी) आशुतोष कुमार दुबे से संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 1)

जनपद- कन्नौज मण्डल- कानपुर

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष - 2021-22

जनपद- कन्नौज की ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा के दौरान अधिभार योग्य पाए गए प्रस्तर-

1. ग्राम पंचायत- अगौस विकासखण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं॰ -1:- ग्राम पंचायत अगौस द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **6,49,721.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,49,721.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,24,860.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,24,860.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -2:-</u> ग्राम पंचायत अगौस द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,33,953.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि **रुपये 3,33,953.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,66,976.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,66,976.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -3:-</u> ग्राम पंचायत अगौस द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **66,27,936.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,

सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **66,27,936.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 33,13,968.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 33,13,968.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -4:-</u>.ग्राम पंचायत अगौस द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि० /09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 24,74,310.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 24,74,310.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 24,74,310.00 की

सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र सिंह से वसूली की अपेक्षा की जाती है

2.ग्राम पंचायत- बहसार **विकासखण्ड- उमर्दा**

<u>प्रस्तर सं० -5:-</u> ग्राम पंचायत बहसार द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **4,82,264.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,82,264.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,41,132.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश बाबू से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,41,132.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -6:-</u> पंचायत बहसार द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,95,556.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल</u>

पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,95,556.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,47,778.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश बाबू से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,47,778.00सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -7:- ग्राम पंचायत बहसार द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **2000.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2000.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश बाबू से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1000.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -8:-.ग्राम पंचायत बहसार द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **5,81,459.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,81,459** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,90,729.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश बाबू से** तथा

शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,90,729.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -9:- ग्राम पंचायत बहसार द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7 के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 7,74,654.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 7,74,654.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 7,74,654.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुरेश बाबू से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से वसूली की जाए |

3.ग्राम पंचायत- बहोसी विकासखण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -10:- ग्राम पंचायत बहोसी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **83,700.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक

रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **83,700.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 41,850.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती गयाश्री से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 41,850.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -11:-</u>.ग्राम पंचायत बहोसी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **20,84,753.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की**

वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **20,84,753.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 10,42,376.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती गयाश्री से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 10,42,376.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -12:-.ग्राम पंचायत बहोसी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **2,95,463.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,95,463.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,47,731.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती गयाश्री से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,47,731.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो

उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -13:-</u>ग्राम पंचायत द्वारा बहोसी वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 23,74,614.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 23,74,614.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 23,74,614.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मती गयाश्री एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से वसूली की जाए |

4.ग्राम पंचायत- बह्रसौरा विकासखण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -14:-</u> ग्राम पंचायत बह्रसौरा की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-2021 में वर्ष 2015-16 से 2018-19 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से रु० **1854182.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली **ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार** एवं **ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री जय प्रकाश** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है -

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2015-16	0.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास

		अधिकारी
2016-17	635761.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2017-18	584682.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2018-19	633739.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	1854182.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1854182.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. 1854182.00 की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए ।

5.ग्राम पंचायत- बहसौरा विकासखण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -15:</u>- ग्राम पंचायत बह्रसौरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,30,550.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा

मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,30,550.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 65,275.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 65,275.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।|

<u>प्रस्तर सं० -16:-</u> ग्राम पंचायत बह्रसौरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **4500.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4500.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,250.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,250.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।|

प्रस्तर सं० -17:- ग्राम पंचायत बह्रसौरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,24,350.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,24,350.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,12,175.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,12,175.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।|

प्रस्तर सं० -18:- ग्राम पंचायत बह्सोरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **15,290.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी

वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **15,290.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 7,645.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 7,645.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -19:-</u>ग्राम पंचायत द्वारा बहसोरा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 4,68,933.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 4,68,933.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज

नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 4,68,933.00 की सुसंगत ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश** से वसूली की जाए |

6.ग्राम पंचायत- बलनापुर **विकासखण्ड- उमर्दा**

प्रस्तर सं० -20:- ग्राम पंचायत बलनापुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **9,07,114.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **9,07,114.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,53,557.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम रतन से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,53,557.00 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संभव जैन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -21:- ग्राम पंचायत बलनापुर द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 7,33,676.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 7,33,676.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 7,33,676.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम रतन से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संभव जैन से वसूली की जाए |

7.ग्राम पंचायत- बस्ता विकासखण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -22:-</u> ग्राम पंचायत बस्ता द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **40,02,530.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **40,02,530.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 20,01,265.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 20,01,265.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो

उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -23:-</u> ग्राम पंचायत बस्ता द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के 15वें केंद्रीय वित्त मद से** रुपये **8,62,341.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **8,62,341.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,31,170.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,31,170.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तसे खाता किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि 15वें केंद्रीय वित्त खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -24:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-2021 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के

अनुसार रु.14,34,010.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 14,34,010.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 14,34,010.00 की सुसंगत ब्याज **सहित ग्राम पंचायत श्रीमती सरिता से एवं ग्राम पंचायत सचिव मो० मुजीब खां** से वसूली की जाए |

8.ग्राम पंचायत- बेहरापुर गैसापुर विकासखण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -25 :- ग्राम पंचायत बेहरापुर गैसापुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,57,077.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,57,077.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 78,538.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अर्जुन सिंह से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 78,538.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) कु. नीलम शर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -26 :- ग्राम पंचायत बेहरापुर गैसापुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,49,122.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,49,122.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,24,561.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अर्जुन सिंह से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1,24,561.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) कु. नीलम शर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -27 :- ग्राम पंचायत बेहरापुर गैसापुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,11,139.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत

विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,11,139.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,55,569.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अर्जुन सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,55,569.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) कु. नीलम शर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -28:-</u>ग्राम पंचायत द्वारा बेहरापुर गैसापुर वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 8,77,968.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय

प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 8,77,968.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 8,77,968.00 की सुसंगत ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री अर्जुन सिंह से एवं ग्राम पंचायत सचिव कु० नीलम शर्मा** से वसूली की जाए |

9.ग्राम पंचायत-बेहटा **विकासखण्ड- उमर्दा**

प्रस्तर सं० -29 :- ग्राम पंचायत बेहटा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **6,71,459.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय(कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,71,459.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,35,729.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनुज कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,35,729.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संभव जैन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -30 :-</u> ग्राम पंचायत बेहटा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,82,225.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,82,225.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 91,112.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनुज कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 91,112.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संभव जैन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -31 :-</u> ग्राम पंचायत बेहटा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **3,04,724.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से**

उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,04,724.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,52,362.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनुज कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,52,362.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संभव जैन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -32 :- ग्राम पंचायत बेहटा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **4,83,401.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार

प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,83,401.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,41,700.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनुज कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,41,700.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संभव जैन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -33:- ग्राम पंचायत द्वारा बेहटा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 7,95,357.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 7,95,357.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 7,95,357.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अनुज कुमार से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संभव जैन से वसूली की जाए |

10.ग्राम पंचायत- भदौसी विकासखण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -34:-ग्राम पंचायत भदौसी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **6,66,161.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक

निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,66,161.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,33,080.50 <u>तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीता द्विवेदी</u> से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,33,080.50 <u>सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संभव जैन</u> से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -35:-</u>ग्राम पंचायत भदौसी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **3,74,481.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,74,481.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,87,240.50 <u>तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीता द्विवेदी</u> से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,87,240.50 <u>सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संभव जैन</u> से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -36:-</u> ग्राम पंचायत भदौसी द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 2,07,834.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 2,07,834.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 2,07,834.00 की सुसंगत ब्याज सहित **<u>ग्राम प्रधान श्रीमती रीता द्विवेदी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संभव जैन</u>** से वसूली की जाए |

11.ग्राम पंचायत- भखरा विकासखण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -37:-</u> ग्राम पंचायत भखरा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,99,113.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा| उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम**

पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,99,113.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,49,556.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमा शंकर से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,49,556.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अवनीश चन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं॰ -38:- ग्राम पंचायत भखरा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **54,306.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **54,306.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 27,153.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमा शंकर से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 27,153.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अवनीश चन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो

उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -39:- ग्राम पंचायत भखरा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **22,100.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **22,100.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 11,050.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमा शंकर से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 11,050.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अवनीश चन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -40:- ग्राम पंचायत भखरा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **2,09,569.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी

वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,09,569.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,04,784.50 <u>तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमा शंकर</u> से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,04,784.50 सचिव- <u>ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अवनीश चन्द्र</u> से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -41:-</u> ग्राम पंचायत भखरा द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 5,73,554.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 5,73,554.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज

नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 5,73,554.00 की सुसंगत ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री उमा शंकर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश चन्द्र** से वसूली की अपेक्षा की जाती है|

12.ग्राम पंचायत- भखरौली विकासखण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -42:-ग्राम पंचायत भखरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **7,58,708.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **7,58,708.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,79,354.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,79,354.00 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संभव जैन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -43:-ग्राम पंचायत भखरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **3,90,910.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की)

फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,90,910.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,95,455.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,95,455.00 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संभव जैन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -44:- ग्राम पंचायत भखरौली द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 7,83,900.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 7,83,900.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 7,83,900.00 की सुसंगत ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संभव जैन** से वसूली की जाए |

13.ग्राम पंचायत- विनौरा रामपुर विकासखण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -45:- पंचायत विनौरा रामपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **8,64,935.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं थावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/

अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **8,64,935.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,32,467.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजेश सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,32,467.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -46:- पंचायत विनौरा रामपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (पंचम राज्य वित्त) से** रुपये **2,30,122.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा

मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,30,122.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,15,061.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजेश सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,15,061.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -47:- पंचायत विनौरा रामपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **6,94,365.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,94,365.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,47,182.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजेश सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,47,182.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -48:- पंचायत विनौरा रामपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंद्रहवां केंद्रीय वित्त) मद से** रुपये **8,36,408.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **8,36,408.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,18,204.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजेश सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,18,204.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्त मद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -49:- ग्राम पंचायत विनौरा रामपुर द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर

आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 11,44,092.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 11,44,092.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 11,44,092.00 की सुसंगत ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री संजेश सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र सिंह** से वसूली की जाए |

14.ग्राम पंचायत- चंदियांपुर विकासखण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं॰ -50:- ग्राम पंचायत चंदियांपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **7,43,047.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **7,43,047.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,71,523.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम किशुन से**

तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,71,523.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० 51:- ग्राम पंचायत चंदियांपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **25,000.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **25,000.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 12,500.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम किशुन से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 12,500.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -52:-</u> ग्राम पंचायत चंदियांपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **5,85,777.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,85,777.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,92,888.50 <u>तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम किशुन</u> से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,92,888.50 सचिव- <u>ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश</u> से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -53:-</u> ग्राम पंचायत चंदियांपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **3,36,173.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से**

उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,36,173.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,68,086.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम किशुन से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,68,086.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -54:- ग्राम पंचायत चंदियांपुर द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 6,16,668.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 6,16,668.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 6,16,668.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम किशुन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश से वसूली की जाए |

15.ग्राम पंचायत- दिसरापुर **विकासखण्ड- उमर्दा**

प्रस्तर सं० -55:- ग्राम पंचायत दिसरापुर वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **41,800.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **41,800.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 20,900.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 20,900.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर सं० -56:- ग्राम पंचायत दिसरापुर वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **6,63,388.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,

सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,63,388.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,31,694.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,31,694.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर सं० -57:- ग्राम पंचायत दिसरापुर वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंद्रहवां केंद्रीय वित्त)मद से** रुपये **16,44,337.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया**

जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **16,44,337.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,22,168.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,22,168.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -58:-</u> ग्राम पंचायत दिसरापुर द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 18,80,958.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 18,80,958.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 18,80,958.00 की सुसंगत ब्याज सहित **<u>ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव मो. मुजीब</u>** से वसूली की जाए |

16.ग्राम पंचायत- फिरोजपुर विकासखण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -59:-</u> ग्राम पंचायत फिरोजपुर वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,57,157.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत

करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,57,157.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 78,578.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 78,578.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -60:-</u> ग्राम पंचायत फिरोजपुर वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **5,900.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल'

के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,900.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,950.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,950.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -61:-</u> ग्राम पंचायत फिरोजपुर वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **17,82,914.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **17,82,914.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,91,457.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,91,457.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -62:- ग्राम पंचायत फिरोजपुर वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंद्रहवां केंद्रीय वित्त) मद से** रुपये **3,98,617.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा| उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,98,617.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,99,308.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,99,308.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -63:- ग्राम पंचायत फिरोजपुर द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक

269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 8,33,145.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 8,33,145.00को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 8,33,145.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश से वसूली की जाए |

17.ग्राम पंचायत- गूरा विकासखण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -64:- ग्राम पंचायत गूरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,16,841.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,16,841.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,08,420.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज**

कुमारी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,08,420.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -65:- ग्राम पंचायत गूरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **17,49,146.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **17,49,146.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,74,573.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज कुमारी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,74,573.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -66:- ग्राम पंचायत गूरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **4,98,265.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल

पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,98,265.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,49,132.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज कुमारी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,49,132.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -67:- ग्राम पंचायत गूरा द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 19,16,535.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय

प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 19,16,535.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 19,16,535.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज कुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राज बहादुर से वसूली की अपेक्षा की जाती है

18.ग्राम पंचायत- गुरौली विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -68:-</u> ग्राम पंचायत गुरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,62,350.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,62,350.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 81,175.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती परवीन बेगम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 81,175.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए ‘वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार’ ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -69:-</u> ग्राम पंचायत गुरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,65,778.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,65,778.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,32,889.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती परवीन बेगम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,32,889.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -70:-</u> ग्राम पंचायत गुरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **1,94,845.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से**

उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,94,845.0**0 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 97,422.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती परवीन बेगम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 97,422.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -71:</u>- ग्राम पंचायत गुरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **3,19,494.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के

विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,19,494.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,59,747.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती परवीन बेगम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,59,747.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -72:- ग्राम पंचायत गुरौली द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 13,87,704.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 13,87,704.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 13,87,704.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती परवीन बेगम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र सिंह से वसूली की जाए |

19.ग्राम पंचायत- हरौली विकासखण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -73:- ग्राम पंचायत हरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,12,500.0** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/

अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,12,500.0** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 56,250.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 56,250.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -74:-</u> ग्राम पंचायत हरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,40,314.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा

मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,40,314.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 70,157.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 70,157.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -75:-</u> ग्राम पंचायत हरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **6,60,947.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,60,947.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,30,473.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,30,473.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -76:- ग्राम पंचायत हरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **2,35,782.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,35,782.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,17,891.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,17,891.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -77:- ग्राम पंचायत हरौली द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में

दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 3,56,775.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 3,56,775.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 3,56,775.00 की सुसंगत ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती एवं ग्राम पंचायत सचिव मो. मुजीब खां** से वसूली की जाए |

20.ग्राम पंचायत- जैनपुरा विकासखण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -78:-</u> ग्राम पंचायत जैनपुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,96,777.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,96,777.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,98,388.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,98,388.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -79:- ग्राम पंचायत जैनपुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,80,722.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,80,722.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,40,361.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,40,361.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -80:- ग्राम पंचायत जैनपुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **11,02,433.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत

विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **11,02,433.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 5,51,216.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 5,51,216.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -81:-</u> ग्राम पंचायत जैनपुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंद्रहवां केंद्रीय वित्त) मद से** रुपये **2,47,000.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,47,000.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,23,500.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,23,500.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर सं० -82:- ग्राम पंचायत जैनपुरा द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 5,89,935.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 5,89,935.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 5,89,935.00 की सुसंगत ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश** से वसूली की जाए |

21.ग्राम पंचायत- कडेरा विकासखण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -83:- ग्राम पंचायत कडेरा की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2017-18 से 2018-19 में ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से रु०

1877978.00 धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली **ग्राम प्रधान श्री ब्रजेन्द्र एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री अवनीश चन्द्र** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है -

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2017-18	459288.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रजेन्द्र एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2018-19	1418690.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रजेन्द्र एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	1877978.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1877978.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. 1877978.00 की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

22.ग्राम पंचायत- कडेरा विकासखण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -84:-</u> ग्राम पंचायत कडेरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,05,677.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक**

पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,05,677.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,02,838.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रजेन्द्र से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,02,838.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अवनीश चन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -85:-</u> ग्राम पंचायत कडेरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **87,877.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा

मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **87,877.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 43,938.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रजेन्द्र से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 43,938.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अवनीश चन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर सं० -86:- ग्राम पंचायत कडेरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **3,76,746.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,76,746.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,88,373.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रजेन्द्र से** तथा

शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,88,373.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अवनीश चन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -87:- ग्राम पंचायत कडेरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **1,74,912.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,74,912.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 87,456.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रजेन्द्र से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 87,456.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अवनीश चन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

<u>प्रस्तर सं० -88:-</u> ग्राम पंचायत कडेरा द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 10,41,733.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 10,41,733.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 10,41,733.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री ब्रजेन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश चन्द्र से वसूली की जाए |

23.ग्राम पंचायत- ककरघटा विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -89:-</u> ग्राम पंचायत ककरघटा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **3,65,270.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में**

कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,65,270.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,82,635.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,82,635.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -90:- ग्राम पंचायत ककरघटा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त) से** रुपये **76,140.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **76,140.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 38,070.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 38,070.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -91:-</u> ग्राम पंचायत ककरघटा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **6,21,772.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,21,772.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,10,886.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,10,886.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -92:-</u> ग्राम पंचायत ककरघटा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंद्रहवां केंद्रीय वित्त) मद से** रुपये **3,62,993.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध**

रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,62,993.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,81,496.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,81,496.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -93:-</u> ग्राम पंचायत ककरघटा द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 6,72,179.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 6,72,179.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 6,72,179.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम एवं ग्राम पंचायत सचिव मो. मुजीब खां से वसूली की जाए |

24.ग्राम पंचायत- कनौली **विकास खण्ड- उमर्दा**

<u>प्रस्तर सं० -94:-</u> ग्राम पंचायत कनौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,63,278.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,63,278.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 81639.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुनीता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 81639.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अवनीश चन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -95:-</u> ग्राम पंचायत कनौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **5,95,235.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,

सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,95,235.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,97,617.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुनीता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,97,617.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अवनीश चन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -96:-</u> ग्राम पंचायत कनौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **2,12,750.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में**

कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,12,750.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,06,375.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुनीता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,06,375.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अवनीश चन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -97:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 23,54,715.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 23,54,715.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 23,54,715.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती पुनीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवनीश चन्द्र से वसूली की जाए |

25.ग्राम पंचायत- करौंदा शाह नगर विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -98:-ग्राम पंचायत करौंदा शाह नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **10,84,347.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका,

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **10,84,347.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 5,42,173.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दयाशंकर से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 5,42,173.50 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संभव जैन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -99:-</u>ग्राम पंचायत करौंदा शाह नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से रुपये 12,600.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **12,600.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 6,300.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दयाशंकर से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 6,300.00**

सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संभव जैन से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -100:- ग्राम पंचायत करौंदा शाह नगर द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 5,82,498.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 5,82,498.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 5,82,498.00 की सुसंगत ब्याज **सहित ग्राम प्रधान श्री दयाशंकर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संभव जैन** से वसूली की जाए |

26.ग्राम पंचायत- करीम नगर विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -101:- ग्राम पंचायत करीम नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,62,813.00** का व्यय दर्शित किया गया है-

क्रमांक	वाउचरसंख्या	वाउचर दिनांक	धनराशि	वेंडर
1	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /8	01/08/2020	3500	अल्पना गुप्ता~
2	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /9	01/08/2020	19717	कमला मशीनरी स्टोर
3	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /9	01/08/2020	17464	कमला मशीनरी स्टोर
4	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /1	03/06/2020	19918	कमला मशीनरी स्टोर
5	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /1	03/06/2020	19411	कमला मशीनरी स्टोर
6	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /2	04/06/2020	7000	अल्पना गुप्ता
7	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /3	04/06/2020	15500	शिवम् गुप्ता
8	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /3	04/06/2020	16500	शिवम् गुप्ता
9	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /4	04/06/2020	19625	कमला मशीनरी स्टोर
10	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /4	04/06/2020	19825	कमला मशीनरी स्टोर
11	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /5	06/07/2020	19218	कमला मशीनरी स्टोर

12	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /6	06/07/2020	19718	कमला मशीनरी स्टोर
13	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /6	06/07/2020	18963	शिवम् गुप्ता
14	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /7	07/07/2020	19365	शिवम् कश्यप
15	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी/10	11/08/2020	3500	अल्पना गुप्ता~
16	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी/13	11/11/2020	10000	अजीत कुमार
17	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी/13	11/11/2020	10000	शिवम् गुप्ता
18	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी/15	24/12/2020	3500	अल्पना गुप्ता
19	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी/16	27/03/2021	24201	कमला मशीनरी स्टोर
20	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी/16	27/03/2021	23246	कमला मशीनरी स्टोर
21	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी/16	27/03/2021	19386	शिवम् गुप्ता
22	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी/16	27/03/2021	19256	कमला मशीनरी स्टोर
23	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी/14	28/11/2020	3500	अल्पना गुप्ता~
24	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी/12	29/10/2020	3500	अल्पना गुप्ता~
25	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी/11	30/09/2020	7000	अल्पना गुप्ता~
		योग =	**3,62,813.00**	

उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय(कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,62,813.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,81,406.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अल्पना गुप्ता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,81,406.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाए |

<u>प्रस्तर सं० -102:</u>- ग्राम पंचायत करीम नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **96,347.00** का व्यय दर्शित किया गया है-

क्रमांक	वाउचरसंख्या	वाउचर दिनांक	धनराशि	वेंडर
1	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी /1	15/12/2020	10000.00	कार्यकारी अभियंता बिजली वितरण विभाग
2	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी /4	25/12/2020	49697.00	ओम बिल्डिंग मैटेरियल्स
3	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी 4	25/12/2020	36650.00	कमला मशीनरी स्टोर
		योग =	**96347.00**	

<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय(कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **96,347.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 48,173.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अल्पना गुप्ता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 48,173.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाए |

<u>प्रस्तर सं० -103:</u>- ग्राम पंचायत करीम नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **53,583.00** का व्यय दर्शित किया गया है-

क्रमांक	वाउचरसंख्या	वाउचर दिनांक	धनराशि	वेंडर
1	एफ़एफ़सी/2020-21/पी/3	06/10/2020	5000.00	विलेज सर्वे
2	एफ़एफ़सी/2020-21/पी/4	10/10/2020	5000.00	नैतिक आवाज़
3	एफ़एफ़सी/2020-21/पी/5	10/10/2020	5000.00	विलेज सर्वे
4	एफ़एफ़सी/2020-21/पी/6	14/10/2020	19218.00	कमला मशीनरी स्टोर
5	एफ़एफ़सी/2020-21/पी/6	14/10/2020	19365.00	शिवम गुप्ता
		योग =	53,583.00	

<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय(कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **53,583.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 26,791.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अल्पना गुप्ता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 26,791.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाए |

<u>प्रस्तर सं॰ -104:</u>- ग्राम पंचायत करीम नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **3,74,857.00** का व्यय दर्शित किया गया है-

क्रमांक	वाउचरसंख्या	वाउचर दिनांक	धनराशि	वेंडर
1	15वांवित्तआयोग/2020-21/पी /10	06/11/2020	26255.00	कमला मशीनरी स्टोर
2	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /9	06/11/2020	19635.00	कमला मशीनरी स्टोर
3	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /9	06/11/2020	19800.00	प्रवीण कुमार
4	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /5	10/10/2020	19235.00	कमला मशीनरी स्टोर
5	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /6	10/10/2020	19411.00	कमला मशीनरी स्टोर
6	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /7	10/10/2020	19942.00	कमला मशीनरी स्टोर
7	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /1	15/09/2020	45235.00	कमला मशीनरी स्टोर
8	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /2	25/09/2020	38869.00	राजपूत बिल्डिंग वर्कशॉप
9	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /2	25/09/2020	75600.00	सूरज ब्रिक फील्ड
10	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /12	27/03/2021	27789.00	अवधेश मशीनरी स्टोर~एजेंसी
11	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /3	28/09/2020	22200.00	रामदत्त
12	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /11	28/11/2020	14537.00	राजपूत बिल्डिंग वर्कशॉप
13	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /4	30/09/2020	14350.00	प्रवीण कुमार
14	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /8	31/10/2020	12000.00	शिवम् गुप्ता
		योग =	**3,74,857.00**	

<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक**

पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,74,857.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,87,428.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अल्पना गुप्ता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,87,428.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाए |

<u>प्रस्तर सं० -105:-</u> ग्राम पंचायत करीम नगर द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 21,66,378.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 21,66,378.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज

नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 21,66,378.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अल्पना गुप्ता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से वसूली की जाए |

27.ग्राम पंचायत- खानपुर **विकास खण्ड- उमर्दा**

प्रस्तर सं० -106:- ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **24,300.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **24,300.00**में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 12,150.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी** से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 12,150.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अश्वनी कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर सं० -107:- ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **27,74,578.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर

विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **27,74,578.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 13,87,289.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी** से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 13,87,289.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अश्वनी कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर सं० -108:- ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि (पंद्रहवां केंद्रीय वित्त) मद से** रुपये **5,30,037.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,30,037.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,65,018.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी** से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,65,018.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अश्वनी कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -109:-</u> ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 20,34,723.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 20,34,723.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 20,34,723.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अश्वनी कुमार से वसूली की जाए |

28.ग्राम पंचायत- लिलुइया **विकास खण्ड- उमर्दा**

<u>प्रस्तर सं० -110:-</u> ग्राम पंचायत लिलुइया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,88,250.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,88,250.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,44,125.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,44,125.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -111:-</u> ग्राम पंचायत लिलुइया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **23,470.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध**

रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **23,470.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 11,735.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 11,735.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -112:</u>- ग्राम पंचायत लिलुइया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **9,64,723.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार

प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **9,64,723.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,82,361.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,82,361.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -113:- ग्राम पंचायत लिलुइया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **2,74,743.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,74,743.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,37,371.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,37,371.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -114:-</u> ग्राम पंचायत लिलुइया द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 12,96,312.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 12,96,312.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु.12,96,312.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश से वसूली की जाए|

29.ग्राम पंचायत- मबई बिलवारी विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -115:-</u> ग्राम पंचायत मबई बिलवारी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,26,190.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की**

वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,26,190.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,63,095.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान कुवर रामखेलावन से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,63,095.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -116:- ग्राम पंचायत मबई बिलवारी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,40,211.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,40,211.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 70,105.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान कुवर रामखेलावन से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 70,105.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -117:-</u> ग्राम पंचायत मबई बिलवारी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **2,94,018.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,94,018.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,47,009.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान कुवर रामखेलावन से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,47,009.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -118:-</u> ग्राम पंचायत मबई बिलवारी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **1,59,243.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध**

रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,59,243.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 79,621.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान कुवर रामखेलावन से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 79,621.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -119:-</u> ग्राम पंचायत मबई बिलवारी द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 12,73,070.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 12,73,070.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 12,73,070.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान कुवर रामखेलावन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र सिंह से वसूली की अपेक्षा की जाती है

30.ग्राम पंचायत- महसैयां **विकास खण्ड- उमर्दा**

<u>प्रस्तर सं० -120</u>- ग्राम पंचायत महसैयां द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,63,150.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,63,150.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 81,575.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम कृष्ण से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 81,575.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री शैलेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -121</u>- ग्राम पंचायत महसैयां द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,06,285.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय

फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,06,285.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,03,142.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम कृष्ण से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,03,142.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री शैलेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर सं० -122- ग्राम पंचायत महसैयां द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **3,49,900.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में**

कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,49,900.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,74,950.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम कृष्ण से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,74,950.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री शैलेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -123- ग्राम पंचायत महसैयां द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंद्रहवां केंद्रीय वित्त) मद से** रुपये **4,52,244.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,52,244.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,26,122.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम कृष्ण से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,26,122.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री शैलेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में

दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -124:-</u> ग्राम पंचायत महसैयां द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 7,64,166.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 7,64,166.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 7,64,166.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम कृष्ण एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह से वसूली की जाए |

31.ग्राम पंचायत- महतेपुर्वा विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -125:-</u> ग्राम पंचायत महतेपुर्वा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,59,510.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के

विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,59,510.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,29,755.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,29,755.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -126:-</u> ग्राम पंचायत महतेपुर्वा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **5,370.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,370.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2685.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2685.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -127:- ग्राम पंचायत महतेपुर्वा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **1,59,244.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,59,244.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 79,622.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 79,622.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -128:- ग्राम पंचायत महतेपुर्वा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **2,45,593.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य

की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,45,593.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,22,796.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,22,796.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जय प्रकाश से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -129:- ग्राम पंचायत महतेपुर्वा द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 10,61,079.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 10,61,079.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज

नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु.10,61,079.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश से वसूली की जाए|

32.ग्राम पंचायत- मनिकपुर विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -130:- ग्राम पंचायत मनिकापुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,24,820.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,24,820.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,62,410.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिवराज सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,62,410.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) कु० लक्ष्मी सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -131:- ग्राम पंचायत मनिकापुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,33,318.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर

विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,33,318.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,66,659.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिवराज सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,66,659.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) कु० लक्ष्मी सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -132:- ग्राम पंचायत मनिकापुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **5,46,899.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,46,899.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,73,449.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिवराज सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,73,449.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) कु० लक्ष्मी सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -133:</u>- ग्राम पंचायत मनिकापुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **5,91,782.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,91,782.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,95,891.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिवराज सिंह**

से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,95,891.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) कु० लक्ष्मी सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -134:- ग्राम पंचायत मनिकापुर द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 13,42,680.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 13,42,680.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु.13,42,680.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शिवराज सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव कु० लक्ष्मी सिंह से वसूली की जाए|

33.ग्राम पंचायत- मुगरा विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -135:- ग्राम पंचायत मुगरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,73,716.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत

करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,73,716.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,86,858.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरीश चन्द्र से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,86,858.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -136:-</u> ग्राम पंचायत मुगरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **11,534.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में**

कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **11,534.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 5,767.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरीश चन्द्र से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 5,767.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -137:- ग्राम पंचायत मुगरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **3,48,857.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,48,857.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,74,428.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरीश चन्द्र से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,74,428.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -138:- ग्राम पंचायत मुगरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **4,84,171.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,84,171.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,42,085.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गिरीश चन्द्र से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,42,085.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -139:- ग्राम पंचायत मुगरा द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 26,53,803.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के

प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 26,53,803.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 26,53,803.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री गिरीश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से वसूली की जाए |

34.ग्राम पंचायत- नान्हेपुर विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -140:- ग्राम पंचायत नान्हेपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,88,162.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,88,162.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,94,081.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मेवाराम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,94,081.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अभिनेन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -141:- ग्राम पंचायत नान्हेपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,18,297.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,18,297.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 59,148.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मेवाराम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 59,148.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अभिनेन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -142:- ग्राम पंचायत नान्हेपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **3,90,623.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी

वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,90,623.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,95,311.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मेवाराम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,95,311.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अभिनेन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -143:-</u> ग्राम पंचायत नान्हेपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **4,00,273.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के

विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,00,273.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,00,136.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मेवाराम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,00,136.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अभिनेन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय। साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए ग्राम प्रधान **श्री मेवाराम** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री अभिनेन्द्र** के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -144:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 5,37,273.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 5,37,273.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 5,37,273.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मेवाराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिनेन्द्र से वसूली की जाए |

35.ग्राम पंचायत- नुनारी विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -145:- ग्राम पंचायत नुनारी की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2018-19 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से रु० **4572677.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-

8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली **ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी (2010-11 से 2015-16)/ और श्रीमती रमाकांती (2016-17 से 2018-19) एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	0.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	110000.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	159900.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	491706.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	439046.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	93545.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2016-17	789333.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रमाकांती एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2017-18	872550.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रमाकांती एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2018-19	1616597.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रमाकांती एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	**4572677.00**	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **4572677.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **4572677.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए

36.ग्राम पंचायत- नुनारी विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -146:</u>- ग्राम पंचायत नुनारी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,90,056.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,90,056.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,45,028.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रमाकांती से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,45,028.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -147:</u>- ग्राम पंचायत नुनारी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **75,200.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/

अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **75,200.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 37,600.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रमाकांती से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 37,600.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -148:-</u> ग्राम पंचायत नुनारी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **6,50,889.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा

मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,50,889.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,25,444.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रमाकांती से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,25,444.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -149:-</u> ग्राम पंचायत नुनारी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **3,87,707.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,87,707.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,93,853.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रमाकांती से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,93,853.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -150:-</u> ग्राम पंचायत नुनारी द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु.18,07,360.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 18,07,360.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 18,07,360.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रमाकांती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र सिंह से वसूली की जाए |

37.ग्राम पंचायत- पैथाना विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -151:-</u> ग्राम पंचायत पैथाना की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2015-16 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से रु० **3388108.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली **ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री संभब जैन** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	17400.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	224500.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	196115.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	1582714.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	1070632.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	296747.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	**3388108.00**	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **3388108.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **3388108.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए|

38.ग्राम पंचायत- पैथाना विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -152:-</u>ग्राम पंचायत पैथाना द्वारा वर्ष 2020-21 मे (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **19,84,023.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम

अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध(ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **19,84,023.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 9,92,011.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 9,92,011.50 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संभव जैन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -153:-ग्राम पंचायत पैथाना द्वारा वर्ष 2020-21 मे (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **5,44,799.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध(ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये

5,44,799.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,72,399.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,72,399.50 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री संभव जैन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -154:- ग्राम पंचायत पैथाना द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 21,46,278.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 21,46,278.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 21,46,278.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संभव जैन से वसूली की जाए|

39.ग्राम पंचायत- फुलवारी विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -155:- ग्राम पंचायत फुलवारी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **8,41,230.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **8,41,230.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,20,615.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्यवीर सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,20,615.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो० मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -156:</u>- ग्राम पंचायत फुलवारी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त) से** रुपये **1,46,870.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,46,870.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 73,435.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्यवीर सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 73,435.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो० मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -157:- ग्राम पंचायत फुलवारी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **9,31,536.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **9,31,536.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,65,768.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्यवीर सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,65,768.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो० मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -158:- ग्राम पंचायत फुलवारी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंद्रहवां केंद्रीय वित्त) मद से** रुपये **4,72,361.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य

की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,72,361.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,36,180.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्यवीर सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,36,180.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो० मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -159:-</u> ग्राम पंचायत फुलवारी द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 13,11,324.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 13,11,324.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज

नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 13,11,324.00 की सुसंगत ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री सत्यवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव मो० मुजीब खां** से वसूली की जाए |

40.ग्राम पंचायत- रहमतपुर विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -160:- ग्राम पंचायत रहमतपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,06,485.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,06,485.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,53,242.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अखिलेश कुमारी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,53,242.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धर्मेन्द्र पटेल से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -161:- ग्राम पंचायत रहमतपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,00,380.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित

कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,00,380.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 50,190.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अखिलेश कुमारी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 50,190.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धर्मेन्द्र पटेल से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -162:</u>- ग्राम पंचायत रहमतपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **3,05,070.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,05,070.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,52,535.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अखिलेश कुमारी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,52,535.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धर्मेन्द्र पटेल से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -163:- ग्राम पंचायत रहमतपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **3,27,346.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,27,346.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,63,673.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अखिलेश कुमारी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,63,673.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धर्मेन्द्र पटेल से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -164:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 31,22,133.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 31,22,133.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 31,22,133.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अखिलेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र पटेल से वसूली की जाए |

41.ग्राम पंचायत- रामपुर मंझिला विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -165:- ग्राम पंचायत रामपुर मंझिला द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,51,302.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,51,302.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,75,651.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,75,651.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर सं० -166:- ग्राम पंचायत रामपुर मंझिला द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,25,900.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,25,900.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 62,950.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 62,950.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -167:- ग्राम पंचायत रामपुर मंझिला द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **43,75,133.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **43,75,133.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 21,87,566.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 21,87,566.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -168:- ग्राम पंचायत रामपुर मंझिला द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्त मद से** रुपये **17,59,891.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत

विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **17,59,891.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,79,945.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,79,945.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम के पंद्रहवां केंद्रीय वित्त मद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्त मद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -169:-</u> ग्राम पंचायत रामपुर मंझिला द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 19,82,104.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय

प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 19,82,104.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 19,82,104.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम पंचायात सचिव मो. मुजीब से वसूली की जाए |

42.ग्राम पंचायत- रत्नापुर सरैया विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -170:- ग्राम पंचायत रत्नापुर सरैया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **4,04,753.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,04,753.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,02,376.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,02,376.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -171:- ग्राम पंचायत रत्नापुर सरैया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1500.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर

विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1500.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 750.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 750.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -172:- ग्राम पंचायत रत्नापुर सरैया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **7,55,698.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **7,55,698.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,77,849.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,77,849.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -173:</u>- ग्राम पंचायत रत्नापुर सरैया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **3,16,329.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,16,329.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,58,164.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल से**

तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,58,164.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -174:- ग्राम पंचायत रत्नापुर सरैया द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 7,83,900.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 7,83,900.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 7,83,900.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से वसूली की अपेक्षा की जाती है|

43.ग्राम पंचायत- रूरा विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -175:- ग्राम पंचायत रूरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **5,43,630.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,43,630.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,71,815.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अफसाना बेगम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,71,815.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -176:</u>- ग्राम पंचायत रूरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **7000.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **7000.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3500.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अफसाना बेगम से**

तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3500.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -177:- ग्राम पंचायत रूरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **30,000.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **30,000.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 15,000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अफसाना बेगम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 15,000.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -178:- ग्राम पंचायत रूरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **3,66,200.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल

पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,66,200.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,83,100.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अफसाना बेगम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,83,100.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -179:- ग्राम पंचायत रूरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 8,26,110.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक

एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 8,26,110.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 8,26,110.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अफसाना बेगम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से वसूली की अपेक्षा की जाती है|

44.ग्राम पंचायत- साडा विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -180:-</u> ग्राम पंचायत साडा की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2015-16 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से रु० **2130669.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली **ग्राम प्रधान श्री रघुवीर एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी कु० मनीषा** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है |

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	42070.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रघुवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	259500.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रघुवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	261600.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रघुवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	775962.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रघुवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	531864.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रघुवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	259673.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रघुवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	2130669.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **2130669.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **2130669.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित

नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

45.ग्राम पंचायत- सांडा विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -181:- ग्राम पंचायत सांडा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **5,07,124.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,07,124.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,53,562.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,53,562.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -182:- ग्राम पंचायत सांडा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **57,800.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित

व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **57,800.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 28,900.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 28,900.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -183:- ग्राम पंचायत सांडा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **1,49,829.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,49,829.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 74,914.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 74,914.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -184:</u>- ग्राम पंचायत सांडा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **5,52,408.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,52,408.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,76,204.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार**

से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,76,204.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -185:- ग्राम पंचायत सांडा द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 21,72,207.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 21,72,207.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 21,72,207.00 की सुसंगत ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र सिंह** से वसूली की जाए |

46.ग्राम पंचायत- सरसई विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -186:- ग्राम पंचायत सरसई द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **5,72,030.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध**

रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,72,030.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,86,015.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अश्वनी कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,86,015.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -187:-</u> ग्राम पंचायत सरसई द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पांचवां वित्त मद) से** रुपये **2,55,684.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में**

कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,55,684.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,27,842.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अश्वनी कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,27,842.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -188:- ग्राम पंचायत सरसई द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **83,402.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **83,402.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 41,701.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अश्वनी कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 41,701.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -189:-</u> ग्राम पंचायत सरसई द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंद्रहवां केंद्रीय वित्त) मद से** रुपये **5,76,209.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,76,209.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,88,104.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अश्वनी कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,88,104.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) मो. मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्त मद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्त मद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -190:-</u> ग्राम पंचायत सरसई द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 22,73,913.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय

प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 22,73,913.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 22,73,913.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान अश्वनी कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव मो. मुजीब खां से वसूली की जाए |

47.ग्राम पंचायत- शाहनगर विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -191:-</u> ग्राम पंचायत शाहनगर की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2015-16 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से रु० **1871354.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र पटेल से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	38000.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	263060.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	359500.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	722000.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	208600.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	280194.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	1871354.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **1871354.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **1871354.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित

नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

48.ग्राम पंचायत- शाह नगर विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -192:</u>- ग्राम पंचायत शाह नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,49,647.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,49,647.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,74,823.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम महेश से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,74,823.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धर्मेन्द्र पटेल से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -193:</u>- ग्राम पंचायत शाह नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **64,204.00** का व्यय दर्शित किया गया

है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **64,204.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 32,102.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम महेश से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 32,102.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धर्मेन्द्र पटेल से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -194:- ग्राम पंचायत शाह नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **6,54,940.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,54,940.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,27,470.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम महेश से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,27,470.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धर्मेन्द्र पटेल से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -195:</u>- ग्राम पंचायत शाह नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **3,09,440.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,09,440.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,54,720.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम महेश से**

तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,54,720.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धर्मेन्द्र पटेल से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -196:- ग्राम पंचायत शाह नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 16,22,472.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 16,22,472.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 16,22,472.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम महेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र पटेल से वसूली की जाए |

49.ग्राम पंचायत- ठठिया विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -197:- ग्राम पंचायत ठठिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **4,85,408.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,85,408.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,42,704.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुभाष चन्द्र से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,42,704.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अजय पाल से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है |

<u>प्रस्तर सं० -198:-</u> ग्राम पंचायत ठठिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **44,22,453.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये

44,22,453.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 22,11,226.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुभाष चन्द्र से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 22,11,226.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अजय पाल से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं० -199:- ग्राम पंचायत ठठिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंद्रहवां केंद्रीय वित्त मद) से** रुपये **15,87,377.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **15,87,377.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 7,93,688.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुभाष चन्द्र से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 7,93,688.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अजय पाल से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्त मद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्त मद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही किया जाना अपेक्षित है ।

<u>प्रस्तर सं० -200:-</u> ग्राम पंचायत ठठिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 16,15,820.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 16,15,820.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 16,15,820.00 की सुसंगत ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री सुभाष चन्द्र से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय पाल** से वसूली की जाए |

50.ग्राम पंचायत- तिलसरा विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -201:-</u> ग्राम पंचायत तिलसरा की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2015-16 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से रु० **1582514.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री जयकरन एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	35650.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयकरन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	277484.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयकरन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	264045.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयकरन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	237575.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयकरन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	382760.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयकरन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी

2015-16	385000.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयकरन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	1582514.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **1582514.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **1582514.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

51.ग्राम पंचायत- तिलसरा विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -202:-</u> ग्राम पंचायत तिलसरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **267028.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार

प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **267028.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 133514.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 133514.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -203:- ग्राम पंचायत तिलसरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **44160.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **44160.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 22080.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 22080.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -204:-</u> ग्राम पंचायत तिलसरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **930885.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **930885.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 465442.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 465442.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -205:-</u> ग्राम पंचायत तिलसरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **186832.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध**

रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **186832.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 93416.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 93416.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री योगेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -206:-</u> ग्राम पंचायत तिलसरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 860079.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 860079.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 860079.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र कुमार से वसूली की जाए |

52.ग्राम पंचायत- त्रिमुखा विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -207:-</u> ग्राम पंचायत त्रिमुखा की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2015-16 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से रु० **3616472.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली **<u>ग्राम प्रधान श्री चरण सिंह एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री नीलम शर्मा</u>** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है -

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	48800.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चरण सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	668386.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चरण सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	415688.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चरण सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	824920.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चरण सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	1359876.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चरण सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	298802.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चरण सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	3616472.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **3616472.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **3616472.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

53.ग्राम पंचायत- त्रिमुखा **विकास खण्ड- उमर्दा**

<u>प्रस्तर सं० -208:</u>- ग्राम पंचायत त्रिमुखा द्वारा वर्ष 2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **6,23,481.00** का व्यय दर्शित किया गया है-

वित्तीय वर्ष 2020-2021				
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग				
उत्तर प्रदेश				
जिला- कन्नौज				
विकास खण्ड- उमर्दा				
ग्राम पंचायत- त्रिमुखा				
दिनांक- 01-04-2020 से 31-03-2021				
क्र.स.	**वाउचर स.**	**वाउचर तिथि**	**धनराशि**	**वेंडर**
1	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /14	02/11/2020	78750	युवा क्रांति एवं मैन्युफैक्चरिंग~
2	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /6	04/09/2020	3500	मनीष कुमार
3	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /15	04/11/2020	21105	युवा क्रांति एवं मैन्युफैक्चरिंग
4	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /4	06/08/2020	3500	मनीष कुमार
5	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /1	09/07/2020	14000	मनीष कुमार
6	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /2	09/07/2020	2150	भारत एक्सिम इंटरनेशनल
7	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /3	09/07/2020	1450	यूनिवर्सल हॉस्पिटल सप्लायर
8	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /10	09/10/2020	3500	मनीष कुमार
9	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /7	11/09/2020	49000	अजीत ट्रेडर्स
10	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /16	12/11/2020	25713	राहुल ब्रिक फ़ील्ड
11	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /17	12/11/2020	33993	गगन ट्रेडर्स
12	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /18	12/11/2020	45560	श्री बालाजी टाइल्स
13	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /19	12/11/2020	42000	श्री बालाजी टाइल्स
14	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-	12/11/2020	26867	महेंद्र कुमार

	21/पी /20			
15	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /21	12/11/2020	24444	राहुल ब्रिक्स फ़ील्ड
16	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /22	12/11/2020	31062	गगन ट्रेडर्स
17	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /23	12/11/2020	40000	श्री बालाजी टाइल्स
18	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /24	12/11/2020	39000	श्री बालाजी टाइल्स
19	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /25	12/11/2020	25889	रामू
20	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /5	14/08/2020	5000	ब्रजेन्द्र कुमार
21	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /11	16/10/2020	42000	युवा क्रांति एवं मैन्युफैक्चरिंग
22	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /12	16/10/2020	7000	ब्रजेन्द्र कुमार
23	चतुर्थ राज्य वित्त/2020-21/पी /13	23/10/2020	57998	युवा क्रांति एवं मैन्युफैक्चरिंग
		योग =	**623481**	

उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार

प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,23,481.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,11,740.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,11,740.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) कु. नीलम शर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -209:-</u> ग्राम पंचायत त्रिमुखा द्वारा वर्ष 2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,005.00** का व्यय दर्शित किया गया है-

वित्तीय वर्ष 2020-2021				
पंचम राज्य वित्त आयोग				
उत्तर प्रदेश				
जिला- कन्नौज				
विकास खण्ड- उमर्दा				
ग्राम पंचायत- त्रिमुखा				
दिनांक- 01-04-2020 से 31-03-2021				
क्र.स.	**वाउचर स.**	**वाउचर तिथि**	**धनराशि**	**वेंडर**
1	पंचम राज्य वित्त/2020-21/पी /1	13/12/2020	1005	महेंद्र कुमार

<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,005.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 502.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 502.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) कु. नीलम शर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -210:</u>- ग्राम पंचायत त्रिमुखा द्वारा वर्ष 2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **9,56,450.00** का व्यय दर्शित किया गया है-

वित्तीय वर्ष 2020-2021				
चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग				
उत्तर प्रदेश				
जिला- कन्नौज				
विकास खण्ड- उमर्दा				
ग्राम पंचायत- त्रिमुखा				
दिनांक- 01-04-2020 से 31-03-2021				
क्र.स.	**वाउचर स.**	**वाउचर तिथि**	**धनराशि**	**वेंडर**
1	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /10	04/12/2020	33603	माँ अन्नपूर्णा पाइप उद्योग
2	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /11	14/12/2020	48259	ए.ए.ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स
3	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /3	16/10/2020	30000	गगन ट्रेडर्स
4	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /4	16/10/2020	4334	राष्ट्रीय सहारा
5	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /1	17/09/2020	48500	अजीत ट्रेडर्स
6	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /2	17/09/2020	47700	अजीत ट्रेडर्स
7	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /12	19/12/2020	46238	राहुल ब्रिक फ़ील्ड
8	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /13	19/12/2020	22579	गगन ट्रेडर्स
9	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /14	19/12/2020	64442	युवा क्रांति एवं मैन्युफैक्चरिंग
10	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /15	19/12/2020	22522	महेंद्र कुमार
11	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /18	26/03/2021	85049	ए.ए.ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स
12	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /18	26/03/2021	196647	ए.ए.ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स

13	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /18	26/03/2021	107520	ए.ए.ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स
14	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /5	26/11/2020	49000	महादेव ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स
15	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /6	26/11/2020	78579	युवा क्रांति एवं मैन्युफैक्चरिंग
16	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /7	26/11/2020	30769	युवा क्रांति एवं मैन्युफैक्चरिंग
17	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /8	26/11/2020	21275	महेंद्र कुमार
18	एफ़एफ़सी/2020-21/पी /9	27/11/2020	19434	राजपूत बिल्डिंग वर्कशॉप
		योग =	**956450**	

उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **9,56,450.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,78,225.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,78,225.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) कु. नीलम शर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

<u>प्रस्तर सं० -211:-</u> ग्राम पंचायत त्रिमुखा द्वारा वर्ष 2020-21 में (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **3,40,902.00** का व्यय दर्शित किया गया है-

क्र. स.	**वाउचर स.**	**वाउचर तिथि**	**धनराशि**	**वेंडर**
1	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /4	14/12/2020	48077	ए.ए.ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स
2	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /2	17/11/2020	82549	ए.ए.ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स
3	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /3	17/11/2020	159106	ए.ए.ट्रेडर्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स
4	15वांवित्त आयोग /2020-21/पी /1	20/09/2020	51170	गगन ट्रेडर्स
		योग =	**340902.00**	

<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,40,902.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,70,451.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,70,451.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) कु. नीलम शर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय |

प्रस्तर सं० -212:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 9,72,036.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 9,72,036.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 9,72,036.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा एवं ग्राम पंचायत सचिव कु० नीलम शर्मा से वसूली की जाए |

54.ग्राम पंचायत- उमरन विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -213:- ग्राम पंचायत उमरन द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **6,09,997.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,09,997.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,04,998.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शबीना से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,04,998.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -214:-</u> ग्राम पंचायत उमरन द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **17,47,280.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **17,47,280.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,73,640.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शबीना से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,73,640.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -215:- ग्राम पंचायत उमरन द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **2,53,017.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,53,017.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,26,508.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शबीना से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,26,508.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मुजीब खां से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -216:- ग्राम पंचायत उमरन द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए

गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 23,10,390.40 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 23,10,390.40 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 23,10,390.40 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शबीना से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मुजीब खां से वसूली की जाए |

55.ग्राम पंचायत- उमर्दा विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -217:-</u> ग्राम पंचायत उमर्दा की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2015-16 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से रु० **3885818.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली **ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री इन्द्रपाल पटेल** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	45000.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	460000.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	240000.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	1224680.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	1668468.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	247670.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	**3885818.00**	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **3885818.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **3885818.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

56.ग्राम पंचायत- उमर्दा विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -218:-</u> ग्राम पंचायत उमर्दा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त मद) से** रुपये **56,500.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार

प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **56,500.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 28,250.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आदेश कुमारी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 28,250.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री इन्द्रपाल से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -219:- ग्राम पंचायत उमर्दा द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 7,83,297.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 7,83,297.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 7,83,297.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती आदेश कुमारी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री इन्द्रपाल से वसूली की जाए |

57.ग्राम पंचायत- सिरसा विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -220:- ग्राम पंचायत सिरसा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त) से** रुपये **1,86,774.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत

करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,86,774.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 93,387.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामशिरोमणि से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 93,387.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राजबहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -221:-</u> ग्राम पंचायत सिरसा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त) से** रुपये **42,683.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में**

कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **42,683.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 21,341.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामशिरोमणि से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 21,341.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राजबहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -222:- ग्राम पंचायत सिरसा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त) से** रुपये **1,81,503.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,81,503.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 90,751.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामशिरोमणि से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 90,751.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राजबहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -223:-</u> ग्राम पंचायत सिरसा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **1,98,805.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,98,805.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 99,402.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामशिरोमणि से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 99,402.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राजबहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -224:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 6,05,814.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित

प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 6,05,814.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 6,05,814.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम शिरोमणि एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राज बहादुर से वसूली की जाए |

58.ग्राम पंचायत- बेलामऊ सरैया विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -225:-</u> ग्राम पंचायत बेलामऊ सरैया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ, पंचम राज्य वित्त एवं चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **21,22,452.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **21,22,452.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 10,61,226.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धर्मपाल सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 10,61,226.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राजबहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -226:- ग्राम पंचायत बेलामऊ सरैया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **3,90,878.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,90,878.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,95,439.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धर्मपाल सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,95,439.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राजबहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -227:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है।

यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 7,96,764.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 7,96,764.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 7,96,764.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री धर्मपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राज बहादुर से वसूली की जाए |

59.ग्राम पंचायत- सुखी विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -228:- ग्राम पंचायत सुखी की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2015-16 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से रु० **1553524.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम **प्रधान श्रीमती कृष्णवती एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री इन्द्रपाल पटेल** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	45000.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णवती एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	193000.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णवती एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	198850.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णवती एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	604015.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णवती एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	274900.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णवती एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी

2015-16	237759.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णवती एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	1553524.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **1553524.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **1553524.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए ।

60.ग्राम पंचायत- सुर्सी विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -229:-</u> ग्राम पंचायत सुर्सी की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2015-16 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से रु० **3715699.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री बादशाह एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री अजय पाल से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	37450.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बादशाह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	251820.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बादशाह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	310440.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बादशाह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	456300.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बादशाह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	1537941.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बादशाह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	1121748.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बादशाह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी

योग	3715699.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **3715699.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **3715699.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

61.ग्राम पंचायत- सखौली विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -230:</u>- ग्राम पंचायत सखौली की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2018-19 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से रु० **6104524.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली **ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र बाबू (2010-11 से 2018-19) एवं श्री राकेश कुमार (2016-17 से 2018-19) एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री मुकेश कटियार** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	8700.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र बाबू एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	241353.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र बाबू एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	247600.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र बाबू एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	405000.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र बाबू एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	533477.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र बाबू एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	496942.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र बाबू एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2016-17	776563.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास

		अधिकारी
2017-18	1456634.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2018-19	1938255.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	6104524.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **6104524.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **6104524.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए ।

62.ग्राम पंचायत- सतसार विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -231:-</u> ग्राम पंचायत सतसार की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2015-16 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से रु० **2189462.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती किरन एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी कु० रंजीता** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	30200.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किरन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	471305.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किरन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	300835.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किरन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी

2013-14	766100.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किरन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	367422.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किरन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	253600.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किरन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	**2189462.00**	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **2189462.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **2189462.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

63.ग्राम पंचायत- परसरामऊ विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -232:-</u> ग्राम पंचायत परसरामऊ की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2015-16 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से **रु० 3667641.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली **ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री अवनीश चन्द्र** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	58000.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	438170.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	354845.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	891884.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी

2014-15	863458.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	1061284.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूपरानी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	**3667641.00**	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **3667641.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **3667641.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

64.ग्राम पंचायत- रत्नापुर सरैया विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -233:-</u> ग्राम पंचायत रत्नापुर सरैया की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2016-17 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से **रु० 2973520.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री बादाम सिंह (2010-11 से 2015-16) एवं श्री बाबू राम (2016-17) एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	49785.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बादाम सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	366990.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बादाम सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	268176.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बादाम सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2013-14	595984.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बादाम सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	571094.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बादाम सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी

2015-16	241200.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बादाम सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2016-17	880291.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बाबू राम एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	2973520.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **2973520.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **2973520.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए ।

65.ग्राम पंचायत- औसेर विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -234:-</u> ग्राम पंचायत औसेर की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2015-16 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से **रु० 9793675.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री राजबहादुर से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	117640.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	1214825.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	878276.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी

2013-14	1374223.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	2942768.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	3265943.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	9793675.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **9793675.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **9793675.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

66.ग्राम पंचायत- पट्टी पवोरा विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -235:-</u> ग्राम पंचायत पट्टी पवोरा की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2017-18 से 2018-19 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से **रु० 1276565.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली **ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र पटेल** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2017-18	586201.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास

		अधिकारी
2018-19	690364.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	1276565.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **1276565.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **1276565.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

67.ग्राम पंचायत- सिमरिया विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -236:-</u> ग्राम पंचायत सिमरिया की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2010-11 से 2018-19 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से **रु० 8195823.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली **ग्राम प्रधान श्रीमती राजश्री (2010-11 से 2015-16) एवं श्री रमाकान्त(2016-17 से 2018-19) एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री राजबहादुर** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2010-11	109266.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजश्री एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2011-12	733926.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजश्री एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2012-13	402785.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजश्री एवं ग्राम पंचायत/विकास

		अधिकारी
2013-14	1205885.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजश्री एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2014-15	1287842.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजश्री एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2015-16	274014.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजश्री एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2016-17	427925.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाकान्त एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2017-18	1114431.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाकान्त एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2018-19	2639749.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाकान्त एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	8195823.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **8195823.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **8195823.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

68.ग्राम पंचायत- सिमरिया विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -237:-</u> ग्राम पंचायत सिमरिया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **5,58,073.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका,

स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,58,073.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,79,036.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाकांत से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,79,036.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -238:- ग्राम पंचायत सिमरिया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (पांचवां वित्त मद) से** रुपये **1,56,217.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार

प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,56,217.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 78,108.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाकांत से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 78,108.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -239:- ग्राम पंचायत सिमरिया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **30,62,614.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **30,62,614.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 15,31,307.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाकांत से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 15,31,307.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -240:-</u> ग्राम पंचायत सिमरिया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **2,22,533.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,22,533.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,11,266.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाकांत से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,11,266.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -241:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 7,00,284.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज

विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 7,00,284.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 7,00,284.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रमाकांत एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राज बहादुर से वसूली की जाए |

69.ग्राम पंचायत- बहेड़ा विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -242:-</u> ग्राम पंचायत बहेड़ा की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2017-18 से 2018-19 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से **रु० 2166029.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली **ग्राम प्रधान श्री जानकी प्रसाद एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री राजबहादुर** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2017-18	702003.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जानकी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
2018-19	1464026.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जानकी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	2166029.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **2166029.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **2166029.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित

नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

70.ग्राम पंचायत- बहेड़ा विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -243:- ग्राम पंचायत बहेड़ा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **97,589.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **97,589.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 48,794.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जानकी प्रसाद से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 48,794.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -244:- ग्राम पंचायत बहेड़ा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (पांचवां वित्त मद) से** रुपये **25,520.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त

दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **25,520.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 12,760.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जानकी प्रसाद से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 12,760.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -245:- ग्राम पंचायत बहेड़ा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **1,52,529.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,52,529.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 76,265.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जानकी प्रसाद से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 76,265.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -246:-</u> ग्राम पंचायत बहेड़ा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **2,09,995.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,09,995.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,04,997.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जानकी प्रसाद**

से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,04,997.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -247:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 5,45,094.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 5,45,094.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 5,45,094.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री जानकी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राज बहादुर से वसूली की जाए |

71.ग्राम पंचायत- सिंगरी विकास खण्ड- उमर्दा

प्रस्तर सं० -248:- ग्राम पंचायत सिंगरी की लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में वर्ष 2015-16 में ई० ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार **(राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) के** खाते से **रु० 30000.00** धन आहरित कर व्यय दर्शाया गया , परन्तु दर्शाये गये उक्त व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणामस्वस्य समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा | एवम् पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो दर्शाए गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की **वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार एवं ग्राम पचायत/विकास अधिकारी श्री राजबहादुर** से की जाएगी।"

आलोच्य वर्षो में संस्था की ग्राम पंचायत निधि खाते से आहरित एवं प्रियासाफ्ट में फीड कराये गये व्ययों का वितरण निम्नवत है

वर्ष	वर्ष में व्यय	उत्तरदायी व्यक्ति
2015-16	30000.00	तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
योग	30000.00	

चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. **30000.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु. **30000.00** की उत्तरदायी व्यक्तियाँ से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की जाती है।

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत/विकास अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध न कराए जाने के कारण संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का नाम व तिथियुक्त कार्यकाल अंकित नहीं किया जा सका। अतः संदर्भित अवधि में कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित कर वसूली की जाए ।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/पियासाफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि खाता से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही की जाए |

72.ग्राम पंचायत- सिंगरी विकास खण्ड- उमर्दा

<u>प्रस्तर सं० -249:</u>- ग्राम पंचायत सिंगरी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **1,59,736.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में**

कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,59,736.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 79,868.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 79,868.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं॰ -250:- ग्राम पंचायत सिंगरी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (पांचवां वित्त मद) से** रुपये **3,690.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,690.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,845.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,845.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -251:-</u> ग्राम पंचायत सिंगरी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **1,15,403.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,15,403.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 57,701.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 57,701.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -252:-</u> ग्राम पंचायत सिंगरी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **2,27,222.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , निर्माण कार्य से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर

इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,27,222.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,13,611.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,13,611.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राज बहादुर से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -253:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 22,83,191.60 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 22,83,191.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 22,83,191.60 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री जानकी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राज बहादुर से वसूली की जाए |

73.ग्राम पंचायत- बरियामऊ **विकास खण्ड- हसेरन**

<u>प्रस्तर सं० -254:-</u> ग्राम पंचायत बरियामऊ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त) से** रुपये **2,73,445.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,73,445.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,36,722.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,36,722.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री कौशलेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -255:-</u> ग्राम पंचायत बरियामऊ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,24,100.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध**

रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,24,100.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 62,050.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 62,050.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री कौशलेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -256:</u>- ग्राम पंचायत बरियामऊ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **1,58,825.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार

प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,58,825.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 79,412.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 79,412.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री कौशलेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -257:- ग्राम पंचायत बरियामऊ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **5,86,000.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,86,000.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,93,000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,93,000.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री कौशलेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -258:-</u> ग्राम पंचायत बरियामऊ द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 65,56,179.40 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 65,56,179.40 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 65,56,179.40 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यवती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशलेन्द्र सिंह से वसूली की जाए |

74.ग्राम पंचायत- बनगवां विकास खण्ड- हसेरन

<u>प्रस्तर सं० -259:-</u> ग्राम पंचायत बनगवां द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **20,37,578.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में**

कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **20,37,578.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 10,18,789.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 10,18,789.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री कौशलेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -260:- ग्राम पंचायत बनगवां द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,88,621.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,88,621.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,44,310.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,44,310.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री कौशलेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से

भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -261:- ग्राम पंचायत बनगवां द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **19,57,737.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **19,57,737.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 9,78,868.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 9,78,868.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री कौशलेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -262:- ग्राम पंचायत बनगवां द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **24,96,138.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी

वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **24,96,138.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 12,48,069.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 12,48,069.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री कौशलेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -263:-</u> ग्राम पंचायत बनगवां द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 88,19,636.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 88,19,636.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज

नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 88,19,636.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशलेन्द्र सिंह से वसूली की जाए |

75. ग्राम पंचायत- अरुहों विकास खण्ड- हसेरन

प्रस्तर सं० -264:- ग्राम पंचायत अरुहों द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,59,200.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,59,200.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 79,600.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अलका देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 79,600.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री प्रदीप कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -265:- ग्राम पंचायत अरुहों द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,64,968.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल

पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,64,968.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,32,484.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अलका देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,32,484.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री प्रदीप कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -266:- ग्राम पंचायत अरुहों द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **7,11,234.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **7,11,234.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,55,617.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अलका देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,55,617.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री प्रदीप कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं॰ -267:- ग्राम पंचायत अरुहों द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **7,94,434.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये

7,94,434.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,97,217.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अलका देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,97,217.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री प्रदीप कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -268:- ग्राम पंचायत अरुहों द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 17,48,143.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 17,48,143.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 17,48,143.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अलका देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार से वसूली की जाए |

76. ग्राम पंचायत- राजपुर विकास खण्ड- हसेरन

प्रस्तर सं० -269:- ग्राम पंचायत राजपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,39,497.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी

वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,39,497.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,19,748.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,19,748.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विपिन कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -270:-</u> ग्राम पंचायत राजपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,34,770.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,34,770.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 67,385.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 67,385.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विपिन कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -271:-</u> ग्राम पंचायत राजपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **20,11,050.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **20,11,050.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 10,05,525.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 10,05,525.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विपिन कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -272:- ग्राम पंचायत राजपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **8,07,396.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **8,07,396.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,03,698.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,03,698.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विपिन कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -273:- ग्राम पंचायत राजपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 /

सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 45,60,129.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 45,60,129.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 45,60,129.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन कुमार से वसूली की जाए |

74. ग्राम पंचायत- जरिहापुर विकास खण्ड- हसेरन

प्रस्तर सं० -274:- ग्राम पंचायत जरिहापुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,72,133.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,72,133.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,36,066.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूबेदार से** तथा

शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,36,066.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विपिन कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -275:- ग्राम पंचायत जरिहापुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,77,036.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,77,036.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 88,518.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूबेदार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 88,518.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विपिन कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -276:- ग्राम पंचायत जरिहापुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **12,50,192.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **12,50,192.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 6,25,096.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूबेदार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 6,25,096.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विपिन कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -277:- ग्राम पंचायत जरिहापुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **5,75,761.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय

फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,75,761.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,87,880.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूबेदार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,87,880.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विपिन कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -278:-</u> ग्राम पंचायत जरिहापुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 19,37,370.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 19,37,370.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 19,37,370.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सूबेदार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन कुमार से वसूली की जाए |

78. ग्राम पंचायत- हुसैन नगर विकास खण्ड- हसेरन

<u>प्रस्तर सं० -279:-</u> ग्राम पंचायत हुसैन नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,49,224.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,49,224.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,74,612.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूचि से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,74,612.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज कुमार यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -280:-</u> ग्राम पंचायत हुसैन नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **7,46,285.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित

व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **7,46,285.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,73,142.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूचि से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,73,142.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज कुमार यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -281:-</u> ग्राम पंचायत हुसैन नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **5,16,821.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के

विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,16,821.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,58,410.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूचि से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,58,410.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज कुमार यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -282:- ग्राम पंचायत हुसैन नगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 16,43,998.60 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 16,43,998.60 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 16,43,998.60 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रूचि से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार यादव से वसूली की जाए |

79. ग्राम पंचायत- कांकरकुईं विकास खण्ड- हसेरन

प्रस्तर सं० -283:- ग्राम पंचायत कांकरकुईं द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,23,703.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित

कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,23,703.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 61,581.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 61,581.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज कुमार यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -284:-</u> ग्राम पंचायत कांकरकुई द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,71,971.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा

मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,71,971.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,35,985.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,35,985.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज कुमार यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -285:-</u> ग्राम पंचायत कांकरकुई द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **7,71,628.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **7,71,628.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,85,814.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से**

तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,85,814.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज कुमार यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -286:- ग्राम पंचायत कांकरकुई द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **6,90,417.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,90,417.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,45,208.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,45,208.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज कुमार यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -287:-</u> ग्राम पंचायत कांकरकुई द्वारा वर्ष 2020-21 मे मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 8,02,392.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 8,02,392.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 8,02,392.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार यादव से वसूली की जाए |

80. ग्राम पंचायत- कंसुआ विकास खण्ड- हसेरन

<u>प्रस्तर सं० -288:-</u> ग्राम पंचायत कंसुआ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **5,62,735.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में**

कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,62,735.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,81,367.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम नाथ से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,81,367.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -289:-</u> ग्राम पंचायत कंसुआ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,70,000.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,70,000.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 85,000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम नाथ से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 85,000.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से

भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -290:-</u> ग्राम पंचायत कंसुआ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **39,500.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **39,500.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 19,750.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम नाथ से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 19,750.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -291:-</u> ग्राम पंचायत कंसुआ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **7,24,699.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी

वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **7,24,699.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,62,349.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम नाथ से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,62,349.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -292:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 69,89,031.20 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 69,89,031.20 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये

अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 69,89,031.20 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम नाथ से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज वर्मा से वसूली की जाए |

81. ग्राम पंचायत- नादेमऊ विकास खण्ड- हसेरन

<u>प्रस्तर सं० -293:-</u> ग्राम पंचायत नादेमऊ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,76,385.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,76,385.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,38,192.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,38,192.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -294:-</u> ग्राम पंचायत नादेमऊ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **4,37,147.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत

विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,37,147.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,18,573.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,18,573.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -295:-</u> ग्राम पंचायत नादेमऊ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **31,11,607.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **31,11,607.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 15,55,803.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 15,55,803.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -296:-</u> ग्राम पंचायत नादेमऊ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **20,77,421.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये

20,77,421.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 10,38,710.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 10,38,710.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -297:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 86,41,628.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 86,41,628.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 86,41,628.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज वर्मा से वसूली की अपेक्षा की जाती है|

82. ग्राम पंचायत- चुपन्ना विकास खण्ड- हसेरन

प्रस्तर सं० -298:- ग्राम पंचायत चुपन्ना द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,32,000.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति

पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,32,000.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,66,000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नेहा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,66,000.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -299:-</u> ग्राम पंचायत चुपन्ना द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,09,700.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की**

वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,09,700.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 54,850.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नेहा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 54,850.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -300:- ग्राम पंचायत चुपन्ना द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **2,16,497.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,16,497.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,08,248.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नेहा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,08,248.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से

भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -301:- ग्राम पंचायत चुपन्ना द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **4,56,041.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,56,041.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,28,020.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नेहा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,28,020.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -302:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के

अनुसार रु. 94,59,121.70 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 94,59,121.70 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 94,59,121.70 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती नेहा से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज वर्मा से वसूली की जाए |

83. ग्राम पंचायत- कुंवरपुर काशीदीन विकास खण्ड- हसेरन

<u>प्रस्तर सं० -303:-</u> ग्राम पंचायत कुंवरपुर काशीदीन द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,71,516.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,71,516.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 85,758.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कंचनलता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 85,758.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -304:- ग्राम पंचायत कुंवरपुर काशीदीन द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **73,785.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **73,785.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 36,892.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कंचनलता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 36,892.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -305:- ग्राम पंचायत कुंवरपुर काशीदीन द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **9,600.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत

विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **9,600.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,800.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कंचनलता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,800.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -306:-</u> ग्राम पंचायत कुंवरपुर काशीदीन द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **4,42,685.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,42,685.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,21,342.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कंचनलता से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,21,342.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज वर्मा से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -307:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 1,03,31,962.30 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1,03,31,962.30 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 1,03,31,962.30 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कंचनलता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज वर्मा से वसूली की जाए |

84. ग्राम पंचायत- नगला दनुआ विकास खण्ड- हसेरन

<u>प्रस्तर सं० -308:-</u> ग्राम पंचायत नगला दनुआ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **17,16,014.00** का व्यय दर्शित किया

गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **17,16,014.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,58,007.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम लडैते से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,58,007.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज कुमार यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -309:- ग्राम पंचायत नगला दनुआ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,11,911.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध**

रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,11,911.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,55,955.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम लडैते से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,55,955.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज कुमार यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -310:- ग्राम पंचायत नगला दनुआ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **86,500.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की**

वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **86,500.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 43,250.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम लडैते से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 43,250.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज कुमार यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -311:-</u> ग्राम पंचायत नगला दनुआ द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **4,16,700.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,16,700.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,08,350.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम लडैते से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,08,350.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री मनोज कुमार यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से

भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -312:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 25,26,339.70 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 25,26,339.70 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 25,26,339.70 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम लडैते एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार यादव से वसूली की जाए |

85. ग्राम पंचायत- किशनपुर बसंत विकास खण्ड- हसेरन

<u>प्रस्तर सं० -313:-</u> ग्राम पंचायत किशनपुर बसंत द्वारा वर्ष 2020-21 मे (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **3,47,345.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, कोष बही स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के

विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,47,345.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,73,672.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमेश चन्द्र से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,73,672.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री प्रदीप कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -314:- ग्राम पंचायत किशनपुर बसंत द्वारा वर्ष 2020-21 मे (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **4,38,395.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, कोष बही स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,38,395.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,19,197.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमेश चन्द्र से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,19,197.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री प्रदीप कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -315:- ग्राम पंचायत किशनपुर बसंत द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में

दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 36,33,326.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 36,33,326.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 36,33,326.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री उमेश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार से वसूली की जाए |

86. ग्राम पंचायत- ऐराहो विकास खण्ड- हसेरन

<u>प्रस्तर सं० -316:-</u> ग्राम पंचायत ऐराहो द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **2,40,131.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2,40,131.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,20,065.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अंजलि यादव से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,20,065.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री नसीमुद्दीन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -317:- ग्राम पंचायत ऐराहो द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **98,740.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **98,740.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 49,370.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अंजलि यादव से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 49,370.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री नसीमुद्दीन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -318:- ग्राम पंचायत ऐराहो द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **16,18,742.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/

अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **16,18,742.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,09,371.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अंजलि यादव से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 8,09,371.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री नसीमुद्दीन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -319:-</u> ग्राम पंचायत ऐराहो द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **6,69,983.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,69,983.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,34,991.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अंजलि यादव से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,34,991.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री नसीमुद्दीन से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -320:-</u> ग्राम पंचायत ऐराहो बसंत द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु.19,22,967.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 19,22,967.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 19,22,967.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अंजली यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नसीमुद्दीन से वसूली की अपेक्षा की जाती है

87 . ग्राम पंचायत- गोपालपुर **विकास खण्ड- हसेरन**

<u>प्रस्तर सं० -321:-</u> ग्राम पंचायत गोपालपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **93,595.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **93,595.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 46,797.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 46,797.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -322:-</u> ग्राम पंचायत गोपालपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **14,445.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय

फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **14,445.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 7,222.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 7,222.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -323:-</u> ग्राम पंचायत गोपालपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **4,02,964.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में**

कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,02,964.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,01,482.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,01,482.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -324:-</u> ग्राम पंचायत गोपालपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **4,92,224.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **4,92,224.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,46,112.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,46,112.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से

भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -325:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु.31,12,981.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 31,12,981.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 31,12,981.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह से वसूली की जाए |

88. ग्राम पंचायत- खिरिया विकास खण्ड- हसेरन

<u>प्रस्तर सं० -326:-</u> ग्राम पंचायत खिरिया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **5,67,147.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **5,67,147.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,83,573.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,83,573.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री युवराज से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -327:-</u> ग्राम पंचायत खिरिया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **4,38,524.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये

4,38,524.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,19,262.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 2,19,262.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री युवराज से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -328:- ग्राम पंचायत खिरिया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **1,11,514.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,11,514.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 55,757.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 55,757.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री युवराज से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -329:- ग्राम पंचायत खिरिया द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **9,67,220.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **9,67,220.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,83,610.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,83,610.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री युवराज से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -330:- ग्राम पंचायत खिरिया द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 25,21,255.40 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 25,21,255.40 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 25,21,255.40 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री युवराज से वसूली की जाए |

89. ग्राम पंचायत- दारापुर बरेठी विकास खण्ड- हसेरन

<u>प्रस्तर सं० -331:-</u> ग्राम पंचायत दारापुर बरेठी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,40,540.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,40,540.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 70,270.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विटोला देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 70,270.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री युवराज से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से

भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -332:-</u> ग्राम पंचायत दारापुर बरेठी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,04,678.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,04,678.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 52,339.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विटोला देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 52,339.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री युवराज से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -333:-</u> ग्राम पंचायत दारापुर बरेठी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **20,66,006.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य

की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **20,66,006.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 10,33,003.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विटोला देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 10,33,003.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री युवराज से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -334:-</u> ग्राम पंचायत दारापुर बरेठी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **6,72,514.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **6,72,514.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,36,257.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विटोला देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 3,36,257.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री युवराज से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -335:- ग्राम पंचायत दारापुर बरेठी द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 7,98,515.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 7,98,515.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 7,98,515.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती विटोला देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री युवराज से वसूली की जाए |

90. ग्राम पंचायत- बरौली विकास खण्ड- हसेरन

प्रस्तर सं० -336:- ग्राम पंचायत बरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चतुर्थ राज्य वित्त मद) से** रुपये **3,75,400.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक**

पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,75,400.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,87,700.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम सुंदरी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,87,700.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुशील बाबू से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -337:-</u> ग्राम पंचायत बरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद) से** रुपये **1,45,421.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा

मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1,45,421.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 72,710.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम सुंदरी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 72,710.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुशील बाबू से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -338:-</u> ग्राम पंचायत बरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **29,04,990.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **29,04,990.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 14,52,495.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम**

सुंदरी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 14,52,495.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुशील बाबू से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -339:- ग्राम पंचायत बरौली द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पन्द्रहवां वित्त मद) से** रुपये **10,12,011.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **10,12,011.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 5,06,005.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम सुंदरी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 5,06,005.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुशील बाबू से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -340:-</u> ग्राम पंचायत बरौली द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 21,99,196.92 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 21,99,196.92 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 21,99,196.92 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम सुंदरी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील बाबू से वसूली की जाए |

91. ग्राम पंचायत- हसेरन विकास खण्ड- हसेरन

<u>प्रस्तर सं० -341:-</u> ग्राम पंचायत हसेरन में वित्तीय वर्ष 2020-21 मे दिनांक **01/04/2020** से दिनांक **31/08/2020** के मध्य (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **8,35,207.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, कोष बही स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में**

कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **8,35,207.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,17,603.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4,17,603.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री युवराज सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -342:- ग्राम पंचायत हसेरन द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 13,82,460.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 13,82,460.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 13,82,460.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री युवराज सिंह से वसूली की जाए |

92. ग्राम पंचायत- अली नगर विकास खण्ड- हसेरन

प्रस्तर सं० -343:- ग्राम पंचायत अली नगर में वित्तीय वर्ष 2020-21 मे दिनांक **01/04/2020** से दिनांक **31/08/2020** के मध्य (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **80,396.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, कोष बही स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक

रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **80,396.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 40,198.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नीरज कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 40,198.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुशील बाबू से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -344:-</u> ग्राम पंचायत अली नगर वित्तीय वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 29,96,595.00 का भुगतान किया गया है -

1-	मस्टर रोल पर दर्शित व्यय	18,93,255.00
2-	सामग्री खरीद	10,96,340.00
3-	सेमी स्किल्ड	7000.00
	योग =	29,96,595.00

उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 29,96,595.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद

द्वारा रु. 29,96,595.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री नीरज कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील बाबू एवं सुनील कुमार से वसूली की जाए |

93. ग्राम पंचायत- मोहद्दीनगर विकास खण्ड- हसेरन

<u>प्रस्तर सं० -345:-</u> ग्राम पंचायत मोहद्दीनगर में वित्तीय वर्ष 2020-21 मे दिनांक **01/04/2020** से दिनांक **31/08/2020** के मध्य (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **3,61,679.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, कोष बही स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **3,61,679.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,80,839.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पूरन लाल से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1,80,839.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुशील बाबू से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -346:-</u> ग्राम पंचायत मोहद्दीनगर द्वारा वर्ष-2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 17,20,243.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल

के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 17,20,243.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 17,20,243.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री पूरन लाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील बाबू एवं सुनील कुमार से वसूली की जाए |

94. ग्राम पंचायत- महमूदपुर जागीर विकास खण्ड- छिबरामऊ

प्रस्तर सं० -347:- ग्राम पंचायत महमूदपुर जागीर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त मद) से** रुपये **375184.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **375184.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 187592.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 187592.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धीरेन्द्र प्रताप से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से

भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -348:-</u> ग्राम पंचायत महमूदपुर जागीर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (केंद्रीय वित्त मद) से** रुपये **323306.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **323306.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 161653.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 161653.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धीरेन्द्र प्रताप से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -349:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु.

1476496.24 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1476496.24 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 1476496.24 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धीरेन्द्र प्रताप से वसूली की जाए |

95. ग्राम पंचायत- कुंवरपुर लोधपुर विकास खण्ड- छिबरामऊ

<u>प्रस्तर सं० -350:-</u> ग्राम पंचायत कुंवरपुर लोधपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (राज्य वित्त मद) से** रुपये **380967.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **380967.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 190483.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वीना देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 190483.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री ज्ञानेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -351:- ग्राम पंचायत कुंवरपुर लोधपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (केंद्रीय वित्त मद) से** रुपये **353458.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **353458.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 176729.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वीना देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 176729.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री ज्ञानेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -352:- ग्राम पंचायत कुंवरपुर लोधपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान वित्त मद से** रुपये **1046599.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत

विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1046599.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 523299.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वीना देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 523299.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री ज्ञानेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -353:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 615462.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व

अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 615462.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 615462.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती वीना देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञानेन्द्र सिंह से वसूली की जाए |

96. ग्राम पंचायत- छिबरामऊ देहात विकास खण्ड- छिबरामऊ

प्रस्तर सं० -354:- ग्राम पंचायत छिबरामऊ देहात द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (राज्य वित्त मद) से** रुपये **893667.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **893667.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 446833.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 446833.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धीरेन्द्र प्रताप से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -355:- ग्राम पंचायत छिबरामऊ देहात द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (केंद्रीय वित्त मद) से** रुपये **432757.00** का व्यय दर्शित किया गया

है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **432757.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 216378.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 216378.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धीरेन्द्र प्रताप से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -356:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 937023.50 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते

हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 937023.50 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 937023.50 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धीरेन्द्र प्रताप से वसूली की अपेक्षा की जाती है

97. ग्राम पंचायत- रामपुर ह्रदय विकास खण्ड- छिबरामऊ

<u>प्रस्तर सं० -357:-</u> ग्राम पंचायत रामपुर ह्रदय द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (राज्य वित्त मद) से** रुपये **412183.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **412183.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 206091.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शरमन लाल से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 206091.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री ज्ञानेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से

भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -358:-</u> ग्राम पंचायत रामपुर ह्रदय द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (केंद्रीय वित्त मद) से** रुपये **391689.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **391689.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 195844.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शरमन लाल से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 195844.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री ज्ञानेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -359:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के

अनुसार रु. 2317731.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 2317731.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 2317731.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शरमन लाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञानेन्द्र सिंह से वसूली की जाए |

98. ग्राम पंचायत- हरीनगर विकास खण्ड- छिबरामऊ

<u>प्रस्तर सं० -360:-</u> ग्राम पंचायत हरीनगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (राज्य वित्त मद) से** रुपये **902612.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **902612.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 451306.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 451306.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री ज्ञानेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -361:- ग्राम पंचायत हरीनगर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (केंद्रीय वित्त मद) से** रुपये **719294.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **719294.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 359647.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 359647.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री ज्ञानेन्द्र सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

99. ग्राम पंचायत- मदारपुर विकास खण्ड- छिबरामऊ

प्रस्तर सं० -362:- ग्राम पंचायत मदारपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (राज्य वित्त मद) से** रुपये **419614.00** का व्यय दर्शित किया गया

है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **419614.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 209807.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 209807.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विश्राम सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -363:- ग्राम पंचायत मदारपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (केंद्रीय वित्त मद) से** रुपये **280671.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध**

रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **280671.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 140335.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 140335.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विश्राम सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -364:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 414261.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 414261.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 414261.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम आसरे एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्राम सिंह से वसूली की जाए |

100. ग्राम पंचायत- रणधीरपुर **विकास खण्ड- छिबरामऊ**

प्रस्तर सं० -365:- ग्राम पंचायत रणधीरपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (राज्य वित्त मद) से** रुपये **1353219.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1353219.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 676609.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 676609.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धीरेन्द्र प्रताप से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -366:- ग्राम पंचायत रणधीरपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (केंद्रीय वित्त मद) से** रुपये **382690.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय

फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **382690.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 191345.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 191345.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धीरेन्द्र प्रताप से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -367:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 5997639.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 5997639.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 5997639.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धीरेन्द्र प्रताप से वसूली की जाए |

101. ग्राम पंचायत- कपूरपुर विकास खण्ड- छिबरामऊ

<u>प्रस्तर सं० -368:-</u> ग्राम पंचायत कपूरपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (राज्य वित्त मद) से** रुपये **661516.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **661516.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 330758.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शमीमा बेगम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 330758.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विश्राम सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -369:-</u> ग्राम पंचायत कपूरपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (केंद्रीय वित्त मद) से** रुपये **436960.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत

करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **436960.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 218480.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शमीमा बेगम से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 218480.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विश्राम सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -370:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 242004.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 242004.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम

256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 242004.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शमीमा बेगम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्राम सिंह से वसूली की जाए |

102. ग्राम पंचायत- जयसिंहपुर विकासखण्ड- छिबरामऊ

<u>प्रस्तर सं० -371:-</u> ग्राम पंचायत जयसिंहपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (राज्य वित्त मद) से** रुपये **673108.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **673108.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 336554.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 336554.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धीरेन्द्र प्रताप से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -372:-</u> ग्राम पंचायत जयसिंहपुर द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (केंद्रीय वित्त मद) से** रुपये **612225.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **612225.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 306112.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 306112.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री धीरेन्द्र प्रताप से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -373:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 792744.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज

विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 792744.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 792744.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान **श्रीमती रामकली एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धीरेन्द्र प्रताप** से वसूली की जाए |

103. ग्राम पंचायत- हाथिन विकासखण्ड- छिबरामऊ

<u>प्रस्तर सं० -374:-</u> ग्राम पंचायत हाथिन द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (राज्य वित्त मद) से** रुपये **2384007.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2384007.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1192003.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1192003.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विश्राम सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से

भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -375:-</u> ग्राम पंचायत हाथिन द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (केंद्रीय वित्त मद) से** रुपये **647452.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **647452.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 323726.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 323726.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विश्राम सिंह से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -376:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के

अनुसार रु. 400593.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 400593.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 400593.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्राम सिंह से वसूली की जाए |

104. ग्राम पंचायत- असलात नगर विकासखण्ड- छिबरामऊ

प्रस्तर सं० -377:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 429537.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 429537.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 429537.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री नरेश सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवम् पाठक से वसूली की जाए |

105. ग्राम पंचायत- गोधनी विकासखण्ड- जलालाबाद

प्रस्तर सं० -378:- ग्राम पंचायत गोधनी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **391085.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी

वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **391085.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 195542.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रदीप से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 195542.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -379:-</u> ग्राम पंचायत गोधनी द्वारा वर्ष 2020-21 मे 01/01/2021 से 31/03/2021 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (पांचवां वित्त मद) से** रुपये **172146.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा

मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **172146.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 86073.00 तत्कालीन प्रशासक श्री रमेश चन्द्र शर्मा** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 86073.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -380:-</u> ग्राम पंचायत गोधनी द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **1700270.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1700270.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 850135.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रदीप से** तथा

शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 850135.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -381 (क):- ग्राम पंचायत गोधनी द्वारा वर्ष 2020-21 मे 01/04/2020 से 31/12/2020 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **456278.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **456278.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 228139.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रदीप से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 228139.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -381 (ख):- ग्राम पंचायत गोधनी द्वारा वर्ष 2020-21 मे 01/01/2021 से 31/03/2021 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **197568.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **197568.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 98784.00 तत्कालीन प्रशासक श्री रमेश चन्द्र शर्मा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 98784.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -382:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 494862.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि

अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 494862.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 494862.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री प्रदीप से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द कुमार से वसूली की जाए |

106. ग्राम पंचायत- गढ़िया कछपुरा विकाखण्ड- जलालाबाद

<u>प्रस्तर सं० -383:-</u> ग्राम पंचायत गढ़िया कछपुरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **1020712.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1020712.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 510356.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 510356.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश चन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से

भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -384:-</u> ग्राम पंचायत गढ़िया कछपुरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **1061933.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1061933.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 530966.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 530966.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश चन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -385:-</u> ग्राम पंचायत गढ़िया कछपुरा द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **250000.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य

की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **250000.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 125000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 125000.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश चन्द्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -386:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 542901.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 542901.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम

256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 542901.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश चन्द्र से वसूली की जाए |

107. ग्राम पंचायत- फिरोजपुर तारन विकासखण्ड- जलालाबाद

प्रस्तर सं० -387:- ग्राम पंचायत फिरोजपुर तारन द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **100004.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **100004.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 50002.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुडिया से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 50002.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -388:- ग्राम पंचायत फिरोजपुर तारन द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (पंचम राज्य वित्त) से** रुपये **8600.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत

विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **8600.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4300.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुडिया से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 4300.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -389:-</u> ग्राम पंचायत फिरोजपुर तारन द्वारा वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **1515197.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1515197.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 757598.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुडिया से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 757598.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -390(क):-</u> ग्राम पंचायत फिरोजपुर तारन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/04/2020 से 31/12/2020 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **415657.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार

प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **415657.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 207828.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुडिया से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 207828.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -390(ख):- ग्राम पंचायत फिरोजपुर तारन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/01/2021 से 31/03/2021 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **320000.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **320000.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 160000.00 तत्कालीन प्रशासक श्री रमेश चन्द्र शर्मा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 160000.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट

में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -391:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 260295.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 260295.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 260295.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गुडिया से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द कुमार से वसूली की जाए |

108. ग्राम पंचायत- फतेहपुर जसोदा विकासखण्ड- जलालाबाद

<u>प्रस्तर सं० -392:-</u> ग्राम पंचायत फतेहपुर जसोदा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **300221.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के

विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **300221.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 150110.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 150110.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -393(क):-</u> ग्राम पंचायत फतेहपुर जसोदा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/04/2020 से 31/12/2020 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त)से** रुपये **400414.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **400414.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 200207.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 200207.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -393(ख):- ग्राम पंचायत फतेहपुर जसोदा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/01/2021 से 31/03/2021 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त)से** रुपये **40071.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **40071.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 20035.50 तत्कालीन प्रशासक श्री रमेश चन्द्र शर्मा** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 20035.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -394(क):- ग्राम पंचायत फतेहपुर जसोदा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/04/2020 से 31/12/2020 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद)से** रुपये **13166855.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय

प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **13166855.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 6583427.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 6583427.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -394(ख):- ग्राम पंचायत फतेहपुर जसोदा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/01/2021 से 31/03/2021 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (चौदहवां वित्त मद)से** रुपये **29350.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध**

रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **29350.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 14675.00 तत्कालीन प्रशासक श्री रमेश चन्द्र शर्मा** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 14675.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -395:-</u> ग्राम पंचायत फतेहपुर जसोदा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **419820.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की**

वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **419820.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 209910.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 209910.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -396:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 1499016.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1499016.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 1499016.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द कुमार से वसूली की जाए |

109. ग्राम पंचायत- फरिकापुर विकासखण्ड- जलालाबाद

प्रस्तर सं० -397:- ग्राम पंचायत फरिकापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **189845.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत

विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **189845.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 94922.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 94922.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -398(क):-</u> ग्राम पंचायत फरिकापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/04/2020 से 31/12/2020 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद)से** रुपये **221117.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **221117.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 110558.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 110558.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -398(ख):-</u> ग्राम पंचायत फरिकापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/01/2021 से 31/03/2021 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त मद)से** रुपये **46628.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार

प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **46628.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 23314.00 तत्कालीन प्रशासक श्री रमेश चन्द्र शर्मा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 23314.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -399:- ग्राम पंचायत फरिकापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **1521741.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1521741.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 760870.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 760870.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -400(क):-</u> ग्राम पंचायत फरिकापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/04/2020 से 31/12/2020 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्त मद से** रुपये **18700.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **18700.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 9350.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 9350.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -400(ख):-</u> ग्राम पंचायत फरिकापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/01/2021 से 31/03/2021 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **502521.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु

यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **502521.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 251260.50 तत्कालीन प्रशासक श्री रमेश चन्द्र शर्मा से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 251260.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -401:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 619884.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 619884.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम

256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 619884.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द कुमार से वसूली की जाए |

110.ग्राम पंचायत- बसीरापुर भाट विकास खण्ड- जलालाबाद

प्रस्तर सं० -402:-ग्राम पंचायत बसीरापुर भाट द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 31/08/2020 (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **1424835.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1424835.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 712417.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बालक देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 712417.50 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री राजेंद्र से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -403:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 623100.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा ‘ग्राम पंचायतों’ के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित

प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 623100.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 623100.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती बालक देवी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेंद्र से वसूली की जाए |

111. ग्राम पंचायत- बैसावरी विकासखण्ड- जलालाबाद

<u>प्रस्तर सं० -404:-</u> ग्राम पंचायत बैसावरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **291910.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **291910.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 145955.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 145955.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से

भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -405:-</u> ग्राम पंचायत बैसावरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (पंचम राज्य वित्त) से** रुपये **11450.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **11450.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 5725.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 5725.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -406:-</u> ग्राम पंचायत बैसावरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **2398432.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य

की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2398432.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1199216.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1199216.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -407:-</u> ग्राम पंचायत बैसावरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के 15वे केन्द्रीय वित्त मद) से** रुपये **463642.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **463642.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 231821.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 231821.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री अरविन्द कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -408:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 567222.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 567222.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 567222.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द कुमार से वसूली की जाए |

112.ग्राम पंचायत- जलालपुर सरवन विकास खण्ड- कन्नौज

प्रस्तर सं० -409:-ग्राम पंचायत जलालपुर सरवन में वित्तीय वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 07/10/2020 (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **736555.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत

योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **736555.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 368277.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नरगिस से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 368277.50 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) सुश्री संध्या यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -410:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 1087198.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1087198.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 1087198.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती नरगिस से एवं ग्राम पंचायत सचिव सुश्री संध्या यादव से वसूली की जाए |

113.ग्राम पंचायत- हैबतपुर कटरा विकास खण्ड-कन्नौज

<u>प्रस्तर सं० -411(क):-</u>ग्राम पंचायत हैबतपुर कटरा में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 31/12/2020 (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **2411288.70** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2411288.70** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1205644.35 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1205644.35 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुधीर कुमार दुबे से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -411(ख):-</u>ग्राम पंचायत हैबतपुर कटरा में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 31/03/2021 (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **423572.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक

रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **423572.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 211786.00 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 211786.00 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुधीर कुमार दुबे से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -412:-</u> ग्राम पंचायत हबैतपुर कटरा में वर्ष - 2020-21 में मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 1314452.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1314452.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 1314452.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार से एवं ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुधीर कुमार दुबे** से वसूली की जाए |

114.ग्राम पंचायत- मडहरपुर विकास खण्ड-कन्नौज

<u>प्रस्तर सं० -413(क):-</u>ग्राम पंचायत मडहरपुर में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 31/12/2020 (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **652217.80** का व्यय दर्शित किया गया

है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **652217.80** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 326108.90 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अमीना बानो से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 326108.90 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -413(ख):-ग्राम पंचायत मडहरपुर में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 31/03/2021 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **52510.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **52510.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 26255.00 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 26255.00 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -414(क):-ग्राम पंचायत मडहरपुर में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 31/12/2020 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवां वित्त मद से** रुपये **384366.40** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **384366.40** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 192183.20 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अमीना बानो से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 192183.20 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -414(ख):-ग्राम पंचायत मडहरपुर में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 31/03/2021 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवां वित्त मद से** रुपये **457711.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ

जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **457711.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 228855.50 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 228855.50 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -415:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 1171226.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1171226.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 1171226.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अमीना बानो से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार से वसूली की जाए |

115. ग्राम पंचायत- महचंदापुर विकासखण्ड- कन्नौज

<u>प्रस्तर सं० -416(क):-</u> ग्राम पंचायत महचंदापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/04/2020 से 31/12/2020 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **151241.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **151241.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 75620.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दर्शन सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 75620.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -416(ख):-</u> ग्राम पंचायत महचंदापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/01/2021 से 31/03/2021 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **15800.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन,

सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **15800.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 7900.00 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 7900.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -417(क):-</u> ग्राम पंचायत महचंदापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/04/2020 से 31/12/2020 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **417496.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **417496.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 208748.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दर्शन सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 208748.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -417(ख):-</u> ग्राम पंचायत महचंदापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/01/2021 से 31/03/2021 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **264772.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के

विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **264772.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 132386.00 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 132386.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -418(क):-</u> ग्राम पंचायत महचंदापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/04/2020 से 31/12/2020 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **227782.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **227782.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 113891.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दर्शन सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 113891.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -418(ख):-</u> ग्राम पंचायत महचंदापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 01/01/2021 से 31/03/2021 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद** रुपये **143965.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **143965.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 71982.50 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 71982.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -419:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं

बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 1450434.60 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1450434.60 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 1450434.60 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री दर्शन सिंह से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार से वसूली की जाए |

116. ग्राम पंचायत- भाऊखुर्द विकासखण्ड- कन्नौज

प्रस्तर सं० -420:- ग्राम पंचायत भाऊखुर्द द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चतुर्थ वित्त मद) से** रुपये **36405.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **36405.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 18202.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से**

तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 18202.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -421:- ग्राम पंचायत भाऊखुर्द द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (पंचम राज्य वित्त) से** रुपये **43986.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **43986.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 21993.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 21993.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -422(क):-</u> ग्राम पंचायत भाऊखुर्द द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 01/04/2020 से 31/12/2020 तक (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **1260271.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1260271.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 630135.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 630135.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -422(ख):-</u> ग्राम पंचायत भाऊखुर्द द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 01/01/2021 से 31/032021 तक (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां वित्त मद) से** रुपये **116081.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु

यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **116081.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 58040.50 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 58040.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

<u>प्रस्तर सं० -423:-</u> ग्राम पंचायत भाऊखुर्द द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21(ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से** रुपये **251233.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित **कोषबही, बैंक पासबुक**, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा

कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **251233.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 125616.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 125616.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री दिनेश यादव से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि के पंद्रहवां केंद्रीय वित्तमद से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाय।

प्रस्तर सं० -424:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 1096005.60 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1096005.60 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 1096005.60 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार से वसूली की जाए |

117.ग्राम पंचायत- महमूदपुर वीजा विकास खण्ड- कन्नौज

प्रस्तर सं० -425(क):-ग्राम पंचायत महमूदपुर वीजा में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 31/12/2020 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **1864416.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल

/ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1864416.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 932208.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नूर अहमद से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 932208.00 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -425(ख):-ग्राम पंचायत महमूदपुर वीजा में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 31/03/2021 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **466240.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के

विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **466240.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 233120.00 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 233120.00 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -426(क):-ग्राम पंचायत महमूदपुर वीजा में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 31/12/2020 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवां वित्त मद से** रुपये **384331.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **384331.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 192165.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नूर अहमद से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 192165.50 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -426(ख):-ग्राम पंचायत महमूदपुर वीजा में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 31/03/2021 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवां वित्त मद से** रुपये **536453.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के

कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **536453.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 268226.50 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 268226.50 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -427:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 1202140.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1202140.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 1202140.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री नूर अहमद से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार से वसूली की जाए |

118.ग्राम पंचायत- मानीमऊ **विकास खण्ड- कन्नौज**

<u>प्रस्तर सं० -428(क):-</u>ग्राम पंचायत मानीमऊ में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 31/12/2020 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **751245.80** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **751245.80** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 375622.90 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 375622.90 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -428(ख):-</u>ग्राम पंचायत मानीमऊ में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 31/03/2021 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **295467.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **295467.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 147733.50 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 147733.50 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -429(क):-</u>ग्राम पंचायत मानीमऊ में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 31/12/2020 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवां वित्त मद से** रुपये **395727.40** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **395727.40** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 197863.70 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश सिंह से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 197863.70 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -429(ख):-</u>ग्राम पंचायत मानीमऊ में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 31/03/2021 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवां वित्त मद से** रुपये **268634.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **268634.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 134317.00 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 134317.00 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -430:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 736095.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त

अध्याय के आलोक में रु. 736095.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 736095.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश सिंह से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार से वसूली की जाए |

119.ग्राम पंचायत- मोचीपुर **विकास खण्ड- कन्नौज**

प्रस्तर सं० -431(क):-ग्राम पंचायत मोचीपुर में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 31/12/2020 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **1993556.40** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1993556.40** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 996778.20 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम चरण से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 996778.20 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -431(ख):-ग्राम पंचायत मोचीपुर में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 31/03/2021 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **52130.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व,

कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **52130.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 26065.00 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 26065.00 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -432(क):-ग्राम पंचायत मोचीपुर में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 31/12/2020 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवां वित्त मद से** रुपये **504031.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **504031.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 252015.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम चरण से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये**

252015.50 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -432(ख):-ग्राम पंचायत मोचीपुर में द्वारा वर्ष 2020-21 मे दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 31/03/2021 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवां वित्त मद से** रुपये **161542.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **161542.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 80771.00 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 80771.00 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -433:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 1236775.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते

हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1236775.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 1236775.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम चरण से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार से वसूली की जाए |

120.ग्राम पंचायत- सारौतोप विकास खण्ड- कन्नौज

प्रस्तर सं० -434:-ग्राम पंचायत सारौतोप में द्वारा वर्ष 2020-21 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **2286622.80** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **2286622.80** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1143311.40 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहाँ से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 1143311.40 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुधीर कुमार दुबे से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -435(क):-ग्राम पंचायत सारौतोप में द्वारा वर्ष 2020-21 में 01/04/2020 से 31/12/2020 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवां वित्त मद से** रुपये **35.40** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और

प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **35.40** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 17.70 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहाँ से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 17.70 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुधीर कुमार दुबे से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

<u>प्रस्तर सं० -435(ख):-</u>ग्राम पंचायत सारौतोप में द्वारा वर्ष 2020-21 में 01/01/2021 से 31/03/2021 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवां वित्त मद से** रुपये **656106.00** का व्यय दर्शित किया गया है।<u>उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख</u> व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार

प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **656106.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 328053.00 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 328053.00 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री सुधीर कुमार दुबे से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -436:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 660402.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 660402.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 660402.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहाँ से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार दुबे से वसूली की जाए |

121.ग्राम पंचायत- तहसीपुर कन्नौज विकास खण्ड- कन्नौज

प्रस्तर सं० -437(क):-ग्राम पंचायत तहसीपुर कन्नौज में द्वारा वर्ष 2020-21 में 01/04/2020 से 31/12/2020 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **1846005.40** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा

मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **1846005.40** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 923002.70 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 923002.70 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -437(ख):-ग्राम पंचायत तहसीपुर कन्नौज में द्वारा वर्ष 2020-21 में 01/01/2021 से 31/03/2021 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम से** रुपये **301786.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **301786.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 150893.00 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 150893.00 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -438(क):-ग्राम पंचायत तहसीपुर कन्नौज में द्वारा वर्ष 2020-21 में 01/04/2020 से 31/12/2020 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवां वित्त मद से** रुपये **497731.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल

/ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **497731.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 248865.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 248865.50 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -438(ख):-ग्राम पंचायत तहसीपुर कन्नौज में द्वारा वर्ष 2020-21 में 01/01/2021 से 31/03/2021 (कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) **ग्राम निधि प्रथम के पन्द्रहवां वित्त मद से** रुपये **456937.00** का व्यय दर्शित किया गया है।उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल /मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण),मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/ अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के

विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार **"यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।"** के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध दर्शित व्यय की धनराशि रुपये **456937.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 228468.50 तत्कालीन प्रशासक श्री संजय पाठक से** तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **रुपये 228468.50 सचिव- ग्राम पंचायत(ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री बृजेश कुमार से** वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय।

प्रस्तर सं० -439:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 2637667.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 2637667.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 2637667.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार से वसूली की जाए |

122.ग्राम पंचायत- माछा विकास खण्ड- गुगरापुर

प्रस्तर सं० -440:- ग्राम पंचायत माछा द्वारा आलोच्य अवधि **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के 15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद से रुपये **211506.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्य योजना) सम्बंधित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन। टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक निमणि कार्य पंजिका परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम

पंचायत माछा द्वारा र **211506.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत माछा द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **211506.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **105753.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान मुन्नी देवी** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **105753.00** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बिमलेश** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -441:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 6,52,446.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 6,52,446.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 6,52,446.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बिमलेश से वसूली की जाए |

प्रस्तर सं० -442:- ग्राम पंचायत माछा द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के पंचम राज्य वित्त अनुदान मद** से रुपये **62200.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्य योजना) सम्बंधित

बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन। टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक निमणि कार्य पंजिका परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत माछा द्वारा र **62200.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत माछा द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **62200.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **31100.00** तत्कालीन प्रशासक से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **31100.00** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बिमलेश** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -443:- ग्राम पंचायत माछा द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान मद** से रुपये **84372.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्य योजना) सम्बंधित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन। टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक निमणि कार्य पंजिका परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत माछा द्वारा र **84372.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत माछा द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **84372.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **42186.00** तत्कालीन प्रशासक से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **42186.00** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बिमलेश** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -444:- ग्राम पंचायत माछा द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) **ग्राम निधि के 14 वा केन्द्रीय वित्त अनुदान मद** से रुपये **695847.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्य योजना) सम्बंधित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन। टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक निमणि कार्य पंजिका परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत माछा द्वारा र **695847.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत माछा द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **695847.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **347923.50** तत्कालीन ग्राम प्रधान मुन्नी देवी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **347923.50** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बिमलेश** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

123.ग्राम पंचायत- गुनहा विकास खण्ड- गुगरापुर

प्रस्तर सं० -445:- ग्राम पंचायत गुनहा द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद** से रुपये **329800.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक

कार्य योजना) सम्बंधित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन। टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक निमणि कार्य पंजिका परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत गुनहा द्वारा र **329800.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत गुनहा द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि <u>“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये</u> “ | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 ‘क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **329800.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **164900.00** तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजनी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **164900.00** सचिव-**ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बिमलेश** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

<u>प्रस्तर सं० -446:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 40,68,217.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा ‘ग्राम पंचायतों’ के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 40,68,217.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 40,68,217.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजनी से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बिमलेश से वसूली की जाए |

<u>प्रस्तर सं० -447:-</u> ग्राम पंचायत गुनहा द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **<u>पंचम राज्य वित्त अनुदान मद</u>** से रुपये **2250.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्य योजना) सम्बंधित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन। टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक निमणि कार्य पंजिका परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत गुनहा द्वारा रु **2250.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत गुनहा द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि <u>"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये</u> " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **2250.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **1125.00** तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजनी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **1125.00** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बिमलेश** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

<u>प्रस्तर सं० -448:-</u> ग्राम पंचायत गुनहा द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **<u>चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान मद</u>** से रुपये **39806.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्य योजना) सम्बंधित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन। टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक निमणि कार्य पंजिका परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत गुनहा द्वारा रु **39806.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत गुनहा द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **39806.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **19903.00** तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजनी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **19903.00** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बिमलेश** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -449:- ग्राम पंचायत गुनहा द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **14वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद** से रुपये **543075.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्य योजना) सम्बंधित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन। टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक निमणि कार्य पंजिका परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत गुनहा द्वारा रु **543075.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत गुनहा द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **543075.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **271537.50** तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजनी या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **271537.50** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बिमलेश** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

124.ग्राम पंचायत- इब्राहीमपुर बांगर विकास खण्ड- गुगरापुर

<u>प्रस्तर सं० -450:-</u> ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर बांगर द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **<u>15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद</u>** से रुपये **785842.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्य योजना) सम्बंधित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन। टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक निमणि कार्य पंजिका परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर बांगर द्वारा र **785842.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर बांगर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि <u>"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये</u> " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **785842.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **392921.00** तत्कालीन ग्राम प्रधान सद्दाम हुसैन या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **392921.00** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बिमलेश** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

<u>प्रस्तर सं० -451:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 9,95,168.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज

विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 9,95,168.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 9,95,168.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान सद्दाम हुसैन से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बिमलेश से वसूली की जाए |

<u>प्रस्तर सं० -452:-</u> ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर बांगर द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **<u>पंचम राज्य वित्त अनुदान मद</u>** से रुपये **139214.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्य योजना) सम्बंधित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन। टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक निमणि कार्य पंजिका परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर बांगर द्वारा र **139214.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर बांगर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि <u>"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये</u> " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **139214.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **69607.00** तत्कालीन ग्राम प्रधान सद्दाम हुसैन या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **69607.00** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बिमलेश** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

<u>प्रस्तर सं० -453:-</u> ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर बांगर द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **<u>चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान मद</u>**

से रुपये **102886.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्य योजना) सम्बंधित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन। टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक निमणि कार्य पंजिका परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर बांगर द्वारा र **102886.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर बांगर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **102886.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **51443.00** तत्कालीन ग्राम प्रधान सद्दाम हुसैन या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **51443.00** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बिमलेश** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -454:- ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर बांगर द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **14वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद** से रुपये **1484869.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे सक्षम स्तर से स्वीकृत /अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्य योजना) सम्बंधित बैठकों के कार्यवाही रजिस्टर नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावलियाँ सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन। टेंडर आमंत्रित करने, प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक निमणि कार्य पंजिका परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर बांगर द्वारा र **1484869.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर बांगर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **1484869.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **742434.50** तत्कालीन ग्राम प्रधान सद्दाम हुसैन या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **742434.50** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बिमलेश** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

125.ग्राम पंचायत- ताहपुर विकास खण्ड- तालग्राम

प्रस्तर सं० -455:- ग्राम पंचायत ताहपुर द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **पंचम राज्य वित्त अनुदान मद** से रुपये **6475.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे -

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से सम्बंधित ;बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियां बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत / अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- सम्बंधित समितियों व पंचायत के बैठको के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख ,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियो द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्राशसनिक स्वीकृत की पत्रावलियां ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियां ,
- कार्य की माप पुस्तिका,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ ,
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,

- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत ताहपुर द्वारा र **6475.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत ताहपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **6475.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **3237.50** तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री जय सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **3237.50** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बन्नाम सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -456:- ग्राम पंचायत ताहपुर द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान मद** से रुपये **612125.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे -

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से सम्बंधित ;बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियां बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत / अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- सम्बंधित समितियों व पंचायत के बैठको के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख ,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियो द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्राशसनिक स्वीकृत की पत्रावलियां ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियां ,
- कार्य की माप पुस्तिका,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ ,
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,

- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत ताहपुर द्वारा र **612125.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत ताहपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **612125.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **306077.50** तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री जय सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **306077.50** सचिव-**ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बन्नाम सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -457:- ग्राम पंचायत ताहपुर द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **14वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद** से रुपये **1158428.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे -

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से सम्बंधित ;बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियां बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत / अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- सम्बंधित समितियों व पंचायत के बैठको के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख ,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियो द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्राशसनिक स्वीकृत की पत्रावलियां ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियां ,
- कार्य की माप पुस्तिका,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ ,
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,

- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत ताहपुर द्वारा र **612125.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत ताहपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **1158428** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **579214.00** तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री जय सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **579214.00** सचिव-**ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बन्नाम सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -458:- ग्राम पंचायत ताहपुर द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद** से रुपये **620679.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे -

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से सम्बंधित ;बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियां बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत / अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- सम्बंधित समितियों व पंचायत के बैठको के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख ,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियो द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्राशसनिक स्वीकृत की पत्रावलियां ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियां ,
- कार्य की माप पुस्तिका,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ ,
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,

- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत ताहपुर द्वारा र **620679.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत ताहपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **620679.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **310339.50** तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री जय सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **310339.50** सचिव-**ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बन्नाम सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -459:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 591543.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 591543.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 591543.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री जय सिंह से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बन्नाम सिंह से वसूली की जाए |

126.ग्राम पंचायत- लाडपुर **विकास खण्ड- तालग्राम**

<u>प्रस्तर सं० -460 :-</u> ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **<u>पंचम राज्य वित्त अनुदान मद</u>** से रुपये **84181.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे -

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से सम्बंधित ;बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियां बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत / अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- सम्बंधित समितियों व पंचायत के बैठको के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख ,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियो द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्राशसनिक स्वीकृत की पत्रावलियां ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियां ,
- कार्य की माप पुस्तिका,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ ,
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा र **84181.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि <u>"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये</u> " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **84181.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **42090.50** तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री राम लखन** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **42090.50** सचिव-**ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बन्नाम सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

<u>प्रस्तर सं० -461:-</u> ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **<u>चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान मद</u>** से रुपये **584750.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे -

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से सम्बंधित ;बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियां बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत / अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- सम्बंधित समितियों व पंचायत के बैठको के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख ,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियो द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्राशसनिक स्वीकृत की पत्रावलियां ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियां ,
- कार्य की माप पुस्तिका,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ ,
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा र **584750.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि <u>"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये</u> " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **584750.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **292375.00** तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री राम लखन** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **292375.00** सचिव-**ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बन्नाम सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

<u>प्रस्तर सं० -462:-</u> ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **<u>14वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद</u>** से रुपये **26500.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे -

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से सम्बंधित ;बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियां बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत / अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- सम्बंधित समितियों व पंचायत के बैठको के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख ,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियो द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्राशसनिक स्वीकृत की पत्रावलियां ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियां ,
- कार्य की माप पुस्तिका,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ ,
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा र **26500.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि <u>"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये</u> " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **26500.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **13250.00** तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री राम लखन** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **13250.00** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बन्नाम सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

<u>प्रस्तर सं० -463:-</u> ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **<u>15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद</u>** से रुपये **835615.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे -

- ग्राम पंचायत विकास योजना को नियमानुसार तैयार किए जाने से सम्बंधित ;बैठकों व कार्यवाहियों की सम्पूर्ण पत्रावलियां बैठकों की जारी कार्यवृत्ति एवं बैठकों की फोटोग्राफ ,
- सक्षम स्तर से स्वीकृत / अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- सम्बंधित समितियों व पंचायत के बैठको के कार्यवाही रजिस्टर ,
- नियमानुसार प्रमाणित **कोशबही एवं बैंक पासबुक** ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख ,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियो द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्राशसनिक स्वीकृत की पत्रावलियां ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियां ,
- कार्य की माप पुस्तिका,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ ,
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा र **835615.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि <u>"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये</u> " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **835615.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **417807.50** तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री राम लखन** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **417807.50** सचिव-**ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री बन्नाम सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

<u>प्रस्तर सं० -464:-</u> मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति <u>आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009</u> की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 1188312.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 1188312.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 1188312.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राम लखन से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री बन्नाम सिंह से वसूली की जाए |

127.ग्राम पंचायत- अमरौली विकास खण्ड- तालग्राम

<u>प्रस्तर सं० -465:-</u> ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **<u>पंचम राज्य वित्त अनुदान मद</u>** से रुपये **299499.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे -

- सक्षम स्तर से स्वीकृत / अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- सम्बंधित समितियों व पंचायत के बैठको के कार्यवाही रजिस्टर ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख ,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियो द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्राशसनिक स्वीकृत की पत्रावलियां ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियां ,
- कार्य की माप पुस्तिका,

- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ ,
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा रु **299499.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **299499.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **149749.50** तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **149749.50** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री रमेश जाटव** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -466:- ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान मद** से रुपये **87821.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे -

- सक्षम स्तर से स्वीकृत / अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- सम्बंधित समितियों व पंचायत के बैठको के कार्यवाही रजिस्टर ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख ,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियो द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्राशसनिक स्वीकृत की पत्रावलियां ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियां ,
- कार्य की माप पुस्तिका,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ ,
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,

- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा रु **87821.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **87821.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **43910.50** तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **43910.50** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री रमेश जाटव** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -467:- ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **14वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद** से रुपये **29230.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे -

- सक्षम स्तर से स्वीकृत / अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- सम्बंधित समितियों व पंचायत के बैठको के कार्यवाही रजिस्टर ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख ,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियो द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्राशसनिक स्वीकृत की पत्रावलियां ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियां ,
- कार्य की माप पुस्तिका,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ ,
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,

- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा रु **29230.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **29230.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **14615.00** तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **14615.00** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री रमेश जाटव** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -468:- ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान मद** से रुपये **191346.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे -

- सक्षम स्तर से स्वीकृत / अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- सम्बंधित समितियों व पंचायत के बैठको के कार्यवाही रजिस्टर ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख ,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियो द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्राशसनिक स्वीकृत की पत्रावलियां ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियां ,
- कार्य की माप पुस्तिका,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ ,
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,

- परिसंपत्ति पंजिका ,
- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा रु **191346.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **191346.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **95673.00** तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **95673.00** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री रमेश जाटव** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -469:- ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा वर्ष 2020-21 में **01.04.2020 से 31.03.2021** तक में (ई ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि के **बहुद्देश्यी पंचायत भवन अनुदान मद** से रुपये **175264.00** का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल मस्टर रोल / ट्रांसफर विवरण) मूल पत्रावलियाँ एवं अन्य अनिवार्य यथावश्यक सहवर्ती मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे -

- सक्षम स्तर से स्वीकृत / अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (वार्षिक कार्ययोजना)
- सम्बंधित समितियों व पंचायत के बैठको के कार्यवाही रजिस्टर ,
- स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख ,
- स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन ,
- सक्षम अधिकारियो द्वारा कार्य की तकनीकी , वित्तीय और प्राशसनिक स्वीकृत की पत्रावलियां ,
- सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित करने , प्राप्त होने व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की समस्त पत्रावलियां ,
- कार्य की माप पुस्तिका,
- समस्त निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय दिनांकित फोटोग्राफ ,
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,
- सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका ,
- परिसंपत्ति पंजिका ,

- स्टॉक रजिस्टर इत्यादि **लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से** ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा रु **175264.00** के दर्शित व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा बैंक पासबुक उपलब्ध न कराए जाने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

उक्त स्थिति के अधीन ग्राम पंचायत अमरौली द्वारा दर्शित व्यय की लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि न हो पाने के कारण उक्त दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियनों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " | के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' यह कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसुली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः दर्शित व्यय की धनराशि रु **175264.00** में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रु **87632.00** तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा/रहे हो से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि **87632.00** सचिव- **ग्राम पंचायत (ग्रा.पं. वि. अधिकारी) श्री रमेश जाटव** या/व अन्य सभी जो तत्कालीन व्यय के लिए अधिकृत रहा रहे हो, से सुसंगत ब्याज सहित वसूली की जाए|

प्रस्तर सं० -470:- मनरेगा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269 / सम्प्रेक्षा/आ०रि०/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं। अतः मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर-7के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 320193.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्ययों की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप समस्त व्यय प्रमाणकविहीन रहा। पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रु. 320193.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु. 320193.00 की सुसंगत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह से एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश जाटव से वसूली की जाए |

जनपद- कानपुर देहात मण्डल- कानपुर

वर्ष 2021-22

विकास खण्ड- अकबरपुर

प्रारूप 4

संस्था का नाम -ग्राम पंचायत

1-ग्राम पंचायत -गुटैया

प्रस्तर सं 1- वित्तीय वर्ष 2021-22 प्रिया सॉफ्ट फीडिंग में ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के चतुर्थ / पंचम राज्य वित्त एवं 14/15 वा केंद्रीय वित्त मद से रूपया 1062805.00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषवही बैंक स्टेटमेट कार्य योजना प्रस्ताव वाउचर फाइल एमबी बुक, मस्टर रोल, वित्तीय तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृति कार्यप्रति प्रमाणपत्र, कार्य की स्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निमार्ण कार्य पजिका, परिसंपत्ति पंजिकास्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति को अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा।उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है की पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 को नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (१) (क) में विनिदिष्ट विशिष्टयों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के पृष्ट संख्या 36,37 पर उल्लखित प्राविधानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ.द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत गुटैया द्वारा वर्ष 2021-2022 में जांच की गई धनराशि रूपया 1062805.00 गबन की श्रेणी में आती है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रूपया 1062805.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार से रू0 531402.5 तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी) श्री शिवम अग्निहोत्री से रू 531402.5 से ब्याज सहित वसूली जौंचोपरान्त संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली -1947 के नियम 256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं 01)

2. ग्राम पंचायत रहनीयापुर -

प्रस्तर सं 2- ग्राम पंचायत की 21-22 की लेखा परीक्षा में कैश बुक एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण पत्र, प्राप्ति भुगतान विवरण पत्र, चल-अचल संपत्ति पंजिका, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए जा सके अतः संबंधित जांच नहीं की जा सकी एवं प्रिया सॉफ्ट मैं दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः रुपए 416000.00 का व्यय संदिग्ध रहा। अधिभार की कार्रवाई व वसूली ग्राम प्रधान अवधेश पाल से रू0 208000.00 से एवं सचिव जितेंद्र से रू0 208000.00 सेब्याजसहितवसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 3)

विकास खण्ड-डेरापुर

3. ग्राम पंचायत महुआ -

प्रस्तर सं 3-ग्राम पंचायत की 21-22 की लेखा परीक्षा में कैश बुक एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड, व्ययप्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण पत्र,प्राप्ति भुगतान विवरण पत्र,चल-अचल संपत्ति पंजिका, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए जा सके अतः संबंधित जांच नहीं की जा सकी एवं प्रिया सॉफ्ट मे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। रुपए 14,21,031.00 का व्यय संदिग्ध रहा अतः

गबन मानते हुए अधिभार की कार्रवाई व वसूली ग्राम प्रधान गीता देवी एवं सचिव अमित त्रिपाठी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 3)

4 . ग्राम पंचायत शाही

प्रस्तर सं 4-ग्राम पंचायत की 21-22 कीलेखा परीक्षा में व्ययप्रमाणकएवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए जा सके अतः संबंधित जांच नहीं की जा सकीएवं कैश बुकमे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी अतः रुपए 12,17,068.00 का व्यय संदिग्ध रहा अतः गबन मानते हुए अधिभार की कार्रवाई व वसूली ग्राम प्रधान अमित कुमार एवं सचिव राघवेंद्र से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 3)

5 . ग्राम पंचायत कटेही

प्रस्तर सं 5- ग्राम पंचायत की 21-22 की लेखा परीक्षा में व्ययप्रमाणकएवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए जा सके अतः संबंधित जांच नहीं की जा सकी एवं कैश बुक मे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी अतः रुपए 12,46,565.00 का व्यय संदिग्ध रहा अतः गबन मानते हुए अधिभार की कार्रवाई व वसूली ग्राम ग्राम प्रधान किरण देवी एवं सचिव आशीष केसरवानी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 3)

6 . ग्राम पंचायत भड़ागाव भिकखी

प्रस्तर सं 6-ग्राम पंचायत की 21-22 की लेखा परीक्षा में कैश बुक एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड,व्ययप्रमाणक,बैंक स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण पत्र,प्राप्ति भुगतान विवरण पत्र, चल-अचल संपत्ति पंजिका, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए जा सके अतः संबंधित जांच नहीं की जा सकी एवं प्रिया सॉफ्ट मे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी अतः रुपए 24,36,209.00 का व्यय संदिग्ध रहा गबन मानते हुए अधिभार की कार्रवाई व वसूली ग्राम प्रधान अंशु चतुर्वेदी एवं सचिव हरनाथ संखवार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 3)

7 . ग्राम पंचायत खजूरी

प्रस्तर सं 7- ग्राम पंचायत की 21-22 की लेखा परीक्षा में कैश बुकएवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड, व्ययप्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण पत्र , प्राप्ति भुगतान विवरण पंत्र, चल-अचल संपत्ति पंजिका, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए जा सके अतः संबंधित जांच नहीं की जा सकीएवं प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी अतः रुपए 12,42,731.00 का व्यय संदिग्ध रहा गबन मानते हुए अधिभार की कार्रवाई व वसूली ग्राम प्रधान अनामिका एवं सचिव हरनाथ संखवार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 3)

8 . ग्राम पंचायत नंदगाँव

प्रस्तर सं 8- ग्राम पंचायत नंदगाँव की 21-22 की लेखा परीक्षा में कैश बुकएवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड, व्ययप्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण पत्र , प्राप्ति भुगतान विवरण पंत्र, चल-अचल संपत्ति पंजिका, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए जा सके अतः संबंधित जांच नहीं की जा सकीएवं प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी अतः रुपए 10,29,172.00 का व्यय संदिग्ध रहा गबन मानते हुए अधिभार की कार्रवाई व वसूली ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार एवं सचिव राघवेंद्र से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 3)

9. ग्राम पंचायत अंबियापुर

प्रस्तर सं 9- ग्राम पंचायत की 21-22 की लेखा परीक्षा में कैश बुक एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण पत्र ,प्राप्ति भुगतान विवरण पत्र,चल-अचल संपत्ति पंजिका, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए जा सके अतः संबंधित जांच नहीं की जा सकी एवं प्रिया सॉफ्ट मे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी अतः रुपए 10,20,071.00 का व्यय संदिग्ध रहा गबन मानते हुए अधिभार की कार्रवाई व वसूली ग्राम प्रधान विवेक कुमार एवं सचिव हरनाथ संखवार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 3)

10. ग्राम पंचायत भड़ावल

प्रस्तर सं 10- ग्राम पंचायत की 21-22 की लेखा परीक्षा में कैश बुकएवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड, व्ययप्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण पत्र ,प्राप्ति भुगतान विवरण पत्र, चल-अचल संपत्ति पंजिका, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए जा सके अतः संबंधित जांच नहीं की जा सकी एवं प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी अतः रुपए 15,31,839.00 का व्यय संदिग्ध रहा गबन मानते हुए अधिभार की कार्रवाई व वसूली ग्राम प्रधान अशोक कुमार एवं सचिव राघवेंद्र से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 3)

11. ग्राम पंचायत अकारू

प्रस्तर सं 11- ग्राम पंचायत की 21-22 की लेखा परीक्षा में कैश बुक एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड, व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण पत्र, प्राप्ति भुगतान विवरण पत्र, चल-अचल संपत्ति पंजिका, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए जा सके अतः संबंधित जांच नहीं की जा सकी एवं प्रिया सॉफ्ट मैं दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी अतः रुपए 16,36,676.00का व्यय संदिग्ध रहा गबन मानते हुए अधिभार की कार्रवाई व वसूली ग्राम प्रधान अनामिका एवं सचिव अमित त्रिपाठी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 3)

विकास खण्ड- राजपुर

12.ग्राम पंचायत मुबारकपुर

प्रस्तर सं 12 - वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया-1637293. 00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट तकनिकी स्वीकृति, वित्तीय व प्रसाशानिक स्वीकृति, वाउचर, फाइल (पत्रवाली), एमबी, मस्ट मस्टर रोल, तीनो स्तरों की फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी। भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप कोषबहीमें दर्शित व्ययकी पुष्टि न की जा सकी ।उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम सख्या 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या - 36 -37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत मुबारकपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रुपया 1637293.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं 01)

13 ग्राम पंचायत दयानतपुर

प्रस्तर सं 13- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया-1388309.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा,एस्टीमेट तकनिकी स्वीकृति, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वाउचर, फाइल (पत्रवाली), एम बी, मस्टर रोल, तीनो स्तरों की फोटो, कार्य रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जित्तके परिणाम स्वरूप कोषबही में दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी।उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या -36 -37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत दयानतपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रुपया-1388309.00 गबन की श्रेणी में आता है। जित्तकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री अश्वनी कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी कु. दीक्षा अवस्थी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

14. ग्राम पंचायत रतापुर

प्रस्तर सं 14 - वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया-925211.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्शा, एस्टीमेट तकनिकी स्वीकृति, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वाउचर, फाइल (पत्रवाली), एमबी, मस्टर रोल, तीनो स्तरों की फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप कोषबही में दर्शित व्ययकी पुष्टि न की जा सकी।

उक्त के सम्बन्ध में उलखनीय है की पचायत राज नियमवला के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियो के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या - 36 -37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत रतापुर द्वारा वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रुपया 925211.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री से व ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप पटेल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

15. ग्राम पंचायत जैसलपुर महदेवा

प्रस्तर सं 15 - वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग / ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया 1089068.00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी प्रसाशानिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा।

उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिदिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में क्ति एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या 36-37 पर उल्विखित प्राविधानानुसार यदि दशयि गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत जैसलपुर महदेवा द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 1089068.00 गबन की श्रेणी में आती है अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया 1089068.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकेश तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकाश अधिकारी) श्री संदीप कुमार पटेल से ब्याज सहित वसूली जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

16. ग्राम पंचायत अनवा

प्रस्तर सं 16 -वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया-1700956.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट तकनिकी स्वीकृति, वित्तीय व प्रसाशानिक स्वीकृति, वाउचर, फाइल (पत्रवाली), एमबी, मस्टर रोल, तीनो स्तरों की फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप कोषबही में दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी

उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियो के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या - 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक

(वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत अनवा द्वारा वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रुपया 1700956.00 नबन की श्रेणी में आता है | जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री श्रीमती कल्लन देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार पटेल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

17. ग्राम पंचायत खोजा रामपुर बांगर

प्रस्तर सं 17 -वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1057056.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट तकनिकी स्वीकृति, वित्तीय व प्रसाशानिक स्वीकृति, वाउचर, फाइल (पत्रवाली), एमबी, मस्टर रोल, तीनो स्तरों की फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र निर्माण रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी किये गए । ३। जिसके परिणाम स्वरुप कोषबहीमें दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियो के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या 36 -37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत खोजा रामपुर बांगर द्वारा वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रुपया -में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री कमलेश से रू. 528528.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री चंद्रजीत पटेल से रु. 528528.00 की ब्याज सहित वसूली जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं 01)

18. ग्राम पंचायत खासबरा

प्रस्तर सं 18-वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया-1899822.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट तकनिकी स्वीकृति, वित्तीय व प्रसाशानिक स्वीकृति, वाउचर, फाइल (पत्रवाली), एमबी मस्टर रोल, तीनो स्तरों की फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरुप कोषबहीमें दर्शित व्ययकी पुष्टि न की जा सकी । उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियो के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पस्वायती 6 (2) के उपनियम (१) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियो के अनुसार पंचायतराज विभाग में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या - 36 -37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत खासबरा द्वारा वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रुपया 1899822.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राम दर्शनी व ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती दीक्षा अवस्थी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

19. ग्राम पंचायत आलमपुर

प्रस्तर सं 19 -वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया-1932939.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, तकनिकी स्वीकृति, वित्तीय व प्रसाशानिक स्वीकृति, वाउचर, फाइल (पत्रवाली), एमबी, मस्टर रोल, तीनो तीनो स्तरों की फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप कोषबहीमें दर्शित व्ययकी पुष्टि न की जा सकी ।

उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या -256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियो के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या - 36 -37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी ।

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत आलमपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रुपया 1932939.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री सहनाज अराफ व ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी श्री चंद्रजीत पटेल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

20. ग्राम पंचायत उधौपुर राजौली

प्रस्तर सं 20-वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया-1429316.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट तकनिकी स्वीकृति, वित्तीय व प्रसाशानिक स्वीकृति, वाउचर, फाइल (पत्रवाली), एमबी मस्टर रोल, तीनो स्तरों की फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके परिणाम स्वरुप कोषबहीमें दर्शित व्ययकी पुष्टि न की जा सकी।उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के पृष्ट संख्या-36 -37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार -- यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत उर्धोपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रुपया 1429316.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री हरी सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री चंद्रजीत पटेल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

21. ग्राम पंचायत गौरी -रतन बांगर

प्रस्तर सं 21 -वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया 1143451.00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक म मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी प्रसाशानिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से से उक्त दर्शित / अहित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । अत; मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा ।

उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमदली के अध्याय 13 के नियम संख्या -256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या - 36-37 पर उलिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत गौरी रतन बांगर द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 1143451.00 गबन की श्रेणी में आती है अत; प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रयासाफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय का धनराशि रुपया 1143451.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती दीक्षा से तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकाश अधिकारी) श्री चन्द्रजीत पटेल से ब्याज सहित वसूली जांचोपरांत उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

22. ग्राम पंचायत फिरोजपुर

प्रस्तर सं 22 - वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया-1169763-00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट तकनिकी स्वीकृति, वित्तीय व प्रसाशानिक स्वीकृति, वाउचर, फाइल (पत्रवाली), एमबी,

मस्टर रोल, तीनो स्तरों की फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप कोषबहीमें दर्शित व्ययकी पुष्टि न की जा सकी।उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम सख्या 256 (2) के उपनियम (१) (क) में विनिद्रिस्ट विाशाष्टयों के अनुसार पचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या 36 -37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत फिरोजपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रुपया 1169763-00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरला देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी श्री चंद्रजीत पटेल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

विकास खण्ड- संदलपुर

23 . ग्राम पंचायत अकना

प्रस्तर सं 23 -वर्ष 2021-22 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार, ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रु.422010.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परंतु दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष वाउचर फाइल, एम०बी०, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, वित्तीय /तकनीकी,प्रशासनिक स्वीकृति आदि आभिलेख बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसके प्रमाणस्वरूप किया गया व्यय प्रमाणक विहीन रहा। विवरण निम्नवत है:-

निर्माण कार्य का नाम	कार्य- मद	धनराशि	दिनांक	व्यय प्रमाणक सं
मनोज के घर से वीरेन्द्र के घर तक इन्टरलॉर्किंग निर्माण	1) निर्माण सामग्री 2) लेबर 3) रोड़ी व ईंट क्रय 4) इन्टरलॉर्किंग क्रय	4198.00 13610 9550.00 58292.00	17/06/21 17/06/21 18/06/21 18/06/21	12 13 14 15
	योग	85650.00		
रामजानकी के घर से सियाराम के घर की ओर इन्टरलॉर्किंग कार्य	1) निर्माण सामग्री 2) लेबर 3) रोड़ी व ईंट क्रय 4) इन्टरलॉर्किंग क्रय	20748.00 30590.00 23719.00 115286.00	20/08/21 20/08/21 20/08/21 20/08/21	- - - -
	योग	190343.00		
राजनरायण के घर से रघुवीर के घर तक इन्टरलॉर्किंग कार्य	1) लेबर 2) रोड़ी व ईंट क्रय 3) इन्टरलॉर्किंग क्रय	23540.00 14364.00 108113.00	24/12/21 24/12/21 24/12/21	
	योग	146017.00		

इस प्रकार कुल रु.422010.00 प्रमाणक विहीन व्यय रहा। उक्त के संबंध मे उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं 256(2) के उपनियम (1)(क) मे निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत विभाग उ.प्र.ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 प्रस्तर 8 क पृष्ठ के संबंध मे कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धंरावशी को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव से की गई चाहिए। अत: ग्राम प्रधान मोहिनी देवी तथा तत्कालीन सचिव श्री विवेक तिवारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं 24)

प्रस्तर सं 24- वित्तीय वर्ष 2021-22 को लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 04.09.22 व्यय प्रमाणक सं 83 द्वारा पंचायत भवन फर्निचर क्रय हेतु विधि कोंटरकटर को रु.30600.00 व्यय किया गया ।परंतु ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए जाने से पूर्व में स्टॉक की स्थिति,फर्निचर क्रय की आवश्यकता,क्रय के पश्चात स्टॉक की स्थिति इत्यादि का विवरण अज्ञात रहा।

स्टॉक रजिस्टर केअभाव मे क्रय की वास्तविक आवश्यकता अज्ञात रहती है जिसके सापेक्ष व्यय का औचित्य तथा उसके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है । स्टॉक रजिस्टर की अनुपलब्धता के कारण उक्त व्यय अनियमित रहा जिसकी वसूली ग्राम प्रधान मोहिनी देवी तथा तत्कालीन सचिव श्री विवेक तिवारी से की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं 26)

<u>24 ग्राम पंचायत सतौरा</u>

प्रस्तर सं 25 - वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग / ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया 2191655.00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी, प्रसाशानिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | अत; मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियो के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या - 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार - यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।
उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत सतौरा द्वारा वर्ष की गई धनराशि रुपया - 2191655.00 गबन की श्रेणी में आती है अत; प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया 2191655.00 में से 50 प्रतिसत धनराशि रूपया -10958275.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अलका वर्मा से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रुपया -10958275.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकाश अधिकारी) श्री राजेश शर्मा से ब्याज सहित वसूली जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियो के सज्ञान में लाया जाता है । (मूल आपत्ति सं 01)

<u>25 ग्राम पंचायत रेवा</u>

प्रस्तर सं 26 - ग्राम पंचायत रेवा की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग / ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया 1422582.00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी, प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | अत; मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा ।उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की में विनिद्रिस्ट विशिष्टियो के पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या -256 (2) के उपनियम (1) (क) अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार - यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।
उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत रेवा द्वारा वर्ष 2021 22 में व्यय की गई धनराशि रु - 1422582.00 गबन की श्रेणी में आती है अत; प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया 1422582.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामाकंती तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकाश अधिकारी) श्री राजेश शर्मा से ब्याज सहित वसूली जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज

नियमवाली 1947 के नियम 256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं 1)

26. ग्राम पंचायत भंदेमऊ

प्रस्तर सं 27 - ग्राम पंचायत भंदेमऊ की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 3385455.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के आला आलावा अन्य कोई भी अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट , तकनिकी स्वीकृति, वित्तीय व प्रसाशानिक स्वीकृति, वाउचर, फाइल (पत्रवाली), एमबी, मस्टर रोल, तीनो स्तरों की फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप कोषबहीमें दर्शित व्ययकी पुष्टि न की जा सकी ।उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत भंदेमऊ द्वारा वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रु.3385455.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सबिता देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं 1)

27.ग्राम पंचायत नधौआ

प्रस्तर सं 28 - ग्राम पंचायत नधौआ की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग / ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया 1445566.00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी, प्रसाशानिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | अत; मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । ग्राम पंचायत नधौआ द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया - 1445566.00 गबन की श्रेणी में आती है अत; प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया 1445566.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकाश अधिकारी) श्री धर्मेन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं 01)

28. ग्राम पंचायत लाडपुर छिवना

प्रस्तर सं 29 -ग्राम पंचायत लाडपुर छिवना की वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 20000.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल / अनयूज्ड चेक्स, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनिकी / प्रसाशानिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार- बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणक विहीन रहा ।ग्राम पंचायत लाडपुर छिवना द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 20000.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

29. ग्राम पंचायत अमौली कुर्मियान

प्रस्तर सं 30 -ग्राम पंचायत अमौली कुर्मियान की वित्तीय वर्ष 2021-22में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1365918.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दशरि गये व्यय की पुष्टि में गोपाली बैंक स्टेटमेंट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल / अनयूज्ड चेक्सबैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनिकी / प्रसाशानिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार- बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

ग्राम पंचायत अमौली कुर्मियान द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 1365918.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान सरिता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

30. ग्राम पंचायत कौरुवा

प्रस्तर सं 31 -ग्राम पंचायत कौरुवा की वित्तीय वर्ष 2122 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1393581.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु की परिचीत आदि अटेटमेट बाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल / अनयूज्ड चेक्सबैंक समायोजन स्टेटमेट वितीयन्त तकनिकी / प्रसाशानिक बार- बार मांगे जाने बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड वर्ग एक पैरा 270 के अनुसार प्रत्येक कार्यलय को अपनी क्षमता से प्राप्त सभी धन और उसके सं वित्त रण के लिए कोषबही रखना चाहिए मनरेगा योजना और स्वच्छ भारत अभियान की कोषबही का निर्माण कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण इन योजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी तथा इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है की इनकी कोषबही का निर्माण ही न किया गया हो। अतः मनरेगा योजना से सम्बंधित कराये गए कार्यों एवं स्वच्छ भारत अभियान योजना कराये गए कार्यों की आवश्कता जाँच 16 ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय नहीं की जा सकी। विभागीय अधिकारियो का ध्यान समुचित निर्देश दिए जाने की तरफ आकृष्ट किया जाता है।ग्राम पंचायत में ग्राम निधि -1 (प्रथम) में कराये गए कार्यों के संदर्भ में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र (रूपपत्र 41) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गए जो नियम 209 के अंतर्गत आवश्यक है। किन्तु कार्यपूर्ति (रूपपत्र 41) / उपभोग प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराइ गयी। इसके अतिरिक्त ग्राम निधि 1 (प्रथम) में कराये गए कार्यों से सम्बंधित परिसंपत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं हुआ। जबकि शासनादेश सं0 2705/38-4-92 दिनांक 03.11.1992 के अनुसार वर्षवार सर्जित परिसम्पत्तियो का विवरण तैयार होना चाहिए। जिससे कार्य की पुनरावर्त्ति की स्थिति स्पष्ट रहे। इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही वांछनीय है। ग्राम पंचायत कौरूया द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 1393581.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त बसूली ग्राम प्रधान श्री सुमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री धीरज कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

31. ग्राम पंचायत हरपुरा

प्रस्तर सं 32 -ग्राम पंचायत हरपुरा की वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1654324.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, बाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल / अनयूज्ड चेक्सदेक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनिकी प्रसाशानिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार- बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

ग्राम पंचायत हरपुरा द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 1654324,00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी श्री संतोष पाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

32. ग्राम पंचायत ररौंख

प्रस्तर सं 33-वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1022898.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल,

कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल / अनयूज़्ड चिक्केस, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनिकी / प्रसाशानिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार- बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दशयि गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ- साथ ड.पी.र.ओ द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत ररौंख द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 1022898.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक तिवारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

विकास खण्ड- अमरौधा

33. ग्राम पंचायत सिकमापुर-

प्रस्तर सं 34 -वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1,67,699.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गए व्यय की पुष्टि के कोष बही,बैंक स्टेटमेंट, बाउचर फाइल, एमबी बुक,मस्टर रोल,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

ग्राम पंचायत सिकमापुर वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रुपया 167699.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री छोटे लाल व ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी श्री दिग्विजय से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

34 ग्राम पंचायत चांदापुर

प्रस्तर सं 35 -ग्राम पंचायत चांदापुर विकास खंड-अमरौधा की वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 3563411.50 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल /अनयूज्ड चेक्सबैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनिकी / प्रसाशानिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार- बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

ग्राम पंचायत चांदापुर विकास खंड-अमरौधा द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 3563411.50 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री साधना कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी श्रीगती प्रतिभा गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं 01)

35. ग्राम पंचायत चपरेहटा

प्रस्तर सं 36 - ग्राम पंचायत चपरेहटा की वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 786899.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल / अनयूज्ड चेक्सबैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनिकी / प्रसाशानिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

ग्राम पंचायत चपरेहटा द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 786899.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार यादव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

36 -ग्राम पंचायत -चपरघटा

प्रस्तर संख्या 37 -ग्राम पंचायत चपरघटा विकास खंड अमरौधा के वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रियासॉफ्ट फीडिंगके अनुसार ग्राम निधि प्रथम में बैंक खाते से रूपए 1400951.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया परन्तु दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में कोष बही बैंक

स्टेट मेंट वाउचर फाइल ऍम बी बुक मास्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बैंक स्टेटमेंट वित्तीय तकनीकी प्रशासनिक स्वीक्रति आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके परिणाम स्वरुप प्रमाणक विहीन रहा।
उक्त सम्बन्ध में उल्लेखनीय है की पंचायत राज नियमावली के अध्याय १३ के नियम संख्या 256 के उपनियम (1) क में विनिदिष्ट विशिस्तिया के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायत में वित्त एवं लोन प्रशेध हेतु लेखा मनुमल के अध्याय 8 के प्रष्ठ 8 क प्रष्ठ स.36-37 पर उल्लिखित प्रविधानुशार यदि दर्शाए गए के सम्बन्ध में प्रमाणक वौचार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाये यसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड सहिंता की धरा 409 के तहत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।
उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत चपरघटा द्वारा वर्ष 2021-22 मे व्यय की गई धनराशि रुपया गबन की श्रेणी मे आता है जिसकी संयुक्त वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान रीमा निषाद तथा ग्राम पंचायत अधिकयारी ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार यादव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या -11)

37. ग्राम पंचायत सिथराखुर्द

प्रस्तर संख्या 38 - वित्तीय वर्ष 2021-22 मे परिसॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 2054622.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैi परंतु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोषबही बैंक स्टेटमेंट वॉउचर फाइल ऍम बी बुक मास्टर रोल कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र चैक बुक काउन्टर फाइल बिना इस्तेमाल किये चेक बैंक समायोजन स्टेटमेंट वित्तीय तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमानकविहीन रहा।
उक्त के संबंध मे उल्लेखनीय है की पंचायत राज नियमावली अध्याय 13 के नियम संख्या -256 (2) के उपनियम (1) (क) मे विनीदृष्ट विसिस्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों मे वित्त अवाम लेख प्रबंध हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क प्रष्ठ संख्या - 36-37 पर उभिखित प्रविधनुसार यदि दरसाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणक (वॉउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी i वसूली के साथ साथ डी.पी.आर.ओ..द्वारा भारतीय दंड सहीनता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।
उक्त के नियम के आलोक मे ग्राम पंचायत सिथराखुर्द द्वारा वर्ष 2021-22 मे व्यय की गई धनराशि रुपया 2054622.00 गबन की श्रेणी मे आता है i जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री जितेंद्र कटियार एवयं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री विपिन यादव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या -12)

38.ग्राम पंचायत सालारपुर

प्रस्तर सं 39 - वित्तीय वर्ष 2021-22 प्रिया फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान केमद सेरुपया 1045119.00 धनराशि पंचायत निमार्ण हेतु आहरित एनबी बुक, मस्टर क्रके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, बाउचर फाइल, एन रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल / अनयूज़्ड चिक्केस, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय /तकनिकी / प्रसाशानिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रत्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।
उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या - 256 (2) के उपनियम् (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रत्तर 8 क पृष्ट संख्या-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि किए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (याउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। बसूली के साथ- साथ ड.पी.र.ओ द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।
उक्त नियन के अलोक में ग्राम पंचायत सालारपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 1045119.00 गबन की श्रेणी में आता है।। जिसकी संयुक्त रूप से वसूली ग्राम प्रधान श्री कृपा शंकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री पुनीत त्रिपाठी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है| (मूल आपत्ति संख्या -1)

39 ग्राम पंचायत अटवा

प्रस्तर सं 40- विकास खंड अमरौधा 2021-22 की वित्तीय वर्ष में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया-915687.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर फाइल,

एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफाइल / अनयूज़्ड चिक्केस, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनिकी / प्रसाशानिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिदिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के पृष्ट संख्या - 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दशयि गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ- साथ डी..पी.र.ओ द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा ।

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत अटवा विकास खंडू अमरौधा द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 915687.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री योगेंद्र सिंह एवं ततकालीन ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी रिचा सचान तथा अखिलेश कुशवाहा से से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या -1)

40 .ग्राम पंचायत अंगूरी

प्रस्तर सं 41 - वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 में से 522688-00 विभिन्न मद में व्यव करना दर्शाया गया परंतु इसके सापेक्ष व्यय पत्रावली व्यय प्रमानक इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया विवरण निम्नवत है-

क्र	दिनांक	धनराशि	प्रमाणक संख्या
1	9/4/21	20000.00	1
2	12/4/21	19851.00	2
3	23/4/21	30000.00	3
4	26/4/21	19890.00	4
5	13/6/21	19222,00	5
6	13/6/21	20000.00	6
7	13/6/21	3500.00	7
8	4/07/21	14825.00	8
9	4/7/21	54000.00	9
10	18/8/21	20000.00	10
11	18/8/21	20000.00	11
12	18/8/21	30000.00	12
13	18/8/21	20000.00	13
14	31/8/21	16800.00	14
15	31/8/21	27000.00	15
16	31/8/21	35000.00	16
17	31/8/21	16000.00	17
18	31/8/21	5600.00	18
19	31/8/21	20000.00	19
20	31/8/21	70000.00	20
21	31/8/21	41000.00	21
	योग	**522688.00**	

उक्त विभिन्न मद में व्यय कुल रु 522688-00 भुगतान किया गया जिसके सापेक्ष कोई भी विवरण फाइल अथवा पत्रवाली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 क में विनिप्रदिष्ट विशिष्टियों के अनुसार, पंचायत राज विभागउप्र म दाव्रारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ सं 36-37 पर उल्लिखित प्रावआन के अनुसार, यदि दरशाए गए व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ततकालीन ग्राम प्रधान तथा संबधित सचिव से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत अंगूरी दवारा व्यय की गई धनराशि रु 522688.00 व्यय प्रमाणक तथा पत्रावली के अभाव में गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री पुनीत त्रिपाठी तथा ततकालीन ग्राम प्रधान श्रीकृष्ण से से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या -1)

विकास खण्ड- रसूलाबाद

41 . ग्राम पंचायत - भवनपुर

प्रस्तर सं 42 - ग्राम पंचायत भवनपुर की वित्तीय वर्ष 2021-22 लिखे परीक्षा में अभिलेख वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए परीक्षा में 21-22 में हैंड पंप की मरम्मत रिवोर एवं उच्चीकरण पर कुल व्यय रु 77280.00 सापेक्ष हैंड पंप मरम्मत स्थल सूची मिस्त्री/मजदूरी भुगतान प्राप्त रसीद क्रय सामग्री के व्यय प्रमाणक तकनीकी व वित्तीय स्वीकृत मरम्मत मांग पत्र स्टॉक पंजिका व परिसंपत्ति रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि सहायक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें उक्त धनराशि का आहरण प्रमाण विहीन व अपुष्ट रहा। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8. के प्रस्तर 8 के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक बाउचर/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उस धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से 500-50 के अनुपात में की जानी अपेक्षित है। साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भरतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। उक्त नियम के अलोक ग्राम पंचायत भवनपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय/ आहरित की गई धनराशि रु0 77280.00 गबन की श्रेणी में आता है। प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूध व्यय की धनराशि रू0 77280.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका सिहं एवं तत्कालीन सचिव श्री ऊदन सिंह से से ब्याज सहित वसूली बसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 06)

प्रस्तर सं 43 - ग्राम पंचायत भवनपुर की लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 में दिनांक 15.09.2021 को बाऊचर सं0 05 व 06 से क्रमशः रू0 10000.00 10000.00 कुल रू0 20000.00 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे स्पष्ट है कि उक्त व्यय को काल्पनिक दर्शाकर अपरहण किया गया। तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका सिहं एवं तत्कालीन सचिव श्री ऊदन सिहं से से ब्याज सहित वसूली सयुक्त बसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 07)

42. ग्राम पंचायत रसूलाबाद देहात

प्रस्तर सं 44 -ग्राम पंचायत रसूलाबाद देहात की वित्तीय वर्ष 2021-22 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 15.11.2021 को बैंक आफ बडौदा शाखा रसूलाबाद देहात के ख0सं0 20302 केन्द्रीय वित्त से मजदूरी के नाम पर ग्राम प्रधान श्री उदयप्रताप द्वारा रू० 29390.00 आहरित किये गये उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में अभिलेख/बाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए अतः अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय को लेखा परीक्षा की दृष्टि से ग्राम प्रधान व सचिव ने काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू0 29390.00 का अपहरण किया गया जिसकी बसूली सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है। पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) क में विनिद्रिस्ट विशिष्टियो के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8. के प्रस्तर 8 के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक बाउचर/अभिलेख उपलब्ध नही कराया जाता है। तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये मानते हुये उस धनराशि की बसूली ग्राम प्राधान तथा

संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से 50:50 के अनुपात में की जानी अपेक्षित है। साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भारतीय दण्ड सहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत रसूलाबाद देहात द्वारा वर्ष-2021-22 में व्यय/आहरित की गई धनराशि रू० 29390.00 गबन की श्रेणी में आता है। प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूध व्यय की धनराशि रू0 29390.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उदय प्रताप एवं तत्कालीन सचिव श्री अवधेश सिहं से से ब्याज सहित वसूली बसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 03)

43 ग्राम पंचायत- अपौना

प्रस्तर सं 45 -ग्राम पंचायत अपौना की कोषवही दिनांक 03.02.2022 की बाउचर सं0 30 से अहरित धनराशि रू0 20330.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक सहित अन्य अभिलेख यथा कार्ययोजना स्वीकृत स्टीमेट व वित्तीय स्वीकृत कार्यपूर्ती माप पुस्तका, मस्टर रोल,स्टाक पंजिका व परिसम्पत्ति तीनों चरण के जी०पी०एस० फोटोग्राफ अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा की दृष्टि से अभिलेखों के अभाव में स्पष्ट है, कि ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपरहण किया गया।

ग्राम अपौना पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में व्यय/आहरित की गई धनराशि रू0 20330.00 गबन की श्रेणी में आता है। प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूध व्यय की धनराशि रू0 20330.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूपम एवं तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार से से ब्याज सहित वसूली बसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 06)

44. ग्राम पंचायत सजावारपुर

प्रस्तर सं 46 -ग्राम पंचायत सजावारपुर की वित्तीय वर्ष 2021-22 लेखा परीक्षा में अभिलेख/बाउचर दिनांक 10.05.2021 पी०एफ०एम०एस० स० आर0 52100247686 से रू0 19300.00 क्रमशः पी०ए०एम०एस० सं० 52100248674 रू0 19910.00 कुल रू0 39710.00 के बाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए अतः ग्राम पंचायत सजावारपुर के प्राप्त बैंक स्टेट मैट के आधार दर लेखा परीक्षा की गई बैंक स्टेट मैट के आधार पर ग्राम निधि राज्य वित्त आयोग के खाता सं0 क्रमशः 7264 से रू0 39710.00 कुल धनराशि 39710.00 रु० आहरित किया गया है। परन्तु इसके सापेक्ष व्यय की गयी पुष्टि से संबंधित आवश्यक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें उक्त धनराशि आहरण प्रमाण विहीन व अपुष्ट रहा । उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है। पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) क में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8. के प्रस्तर 8 के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक बाउचर/अभिलेख उपलब्ध नही कराया जाता है। तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये मानते हुये उस धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है। साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भरतीय दण्ड सहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम के अलोक ग्राम पंचायत सजावारपुर द्वारा वर्ष-2021-22 में व्यय/आहरित की गई धनराशि रू० 39710.00 गबन की श्रेणी में आता है। प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूध व्यय की धनराशि रू0 39710.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री अवधेश पटेल से से ब्याज सहित वसूली बसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं 03)

45. ग्राम पंचायत भीतरगांव

प्रस्तर सं 47 - ग्राम पंचायत भीतरगांव की वित्तीय वर्ष 2021-22 लेखा परीक्षा में अभिलेख/बाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए अतः ग्राम पंचायत भीतरगांव के प्राप्त बैंक स्टेट मैट के आधार दर लेखा परीक्षा की गई बैंक स्टेट गैट के आधार ग्राग निधि राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त आयोग के खाता सं0 क्रमशः 07271 से रू0 632819.00 व खाता सं0 20335 से रू0 1042717.00 कुल धनराशि 1675536 रू0 आहरित किया गया हैं। परन्तु इसके सापेक्ष व्यय की गयी पुष्टि से संबंधित आवश्यक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें उक्त धनराशि आहरण प्रमाण विहीन व अपुष्ट रहा। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है। पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) क में विनिद्रिस्ट विशिष्टियो के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु

मैनुअल के अध्याय 8. के प्रस्तर 8 के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक बाउचर/अभिलेख उपलब्ध नही कराया जाता है। तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये मानते हुये उस धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है। साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भरतीय दण्ड सहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।
उक्त नियम के अलोक मे ग्राम पंचायत भीतरगांव द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय/आहरित की गई धनराशि रू० 1675536.00 गबन की श्रेणी में आता है। प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूध व्यय की धनराशि रू0 1675536.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयचन्द्र एवं तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार से से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं 03)

46.ग्राम पंचायत भीटी कुर्सी

प्रस्तर सं 48 -ग्राम पंचायत भीटीकुर्सी की वित्तीय वर्ष 2021-22 लेखा परीक्षा में अभिलेख/बाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए अतः ग्राम पंचायत भीटीकुर्सी के प्राप्त बैंक स्टेट गेट के आधार दर लेखा परीक्षा की गई बैंक स्टेट मैट के आधार ग्राम निधि राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त आयोग के खाता सं० क्रमशः 18003 से रू0 479896.00 व खाता सं0 20320 से रू0 429880.00 कुल धनराशि 909776.00 रु० आहरित किया गया है। परन्तु इसके सापेक्ष व्यय की गयी पुष्टि से संबंधित आवश्यक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें उक्त धनराशि आहरण प्रमाणक विहीन व अपुष्ट रहा। उक्त के संबंध में अवेखनीय है। पंचायती राज नियगावली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) क में विनिद्रिस्ट विशिष्टियो के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8. के प्रस्तर 8 के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानुसार यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक बाउचर/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गहन मानते हुये मानते हुये उस धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है। साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भारतीय दण्ड सहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।उक्त नियम के अलोक मे ग्राम पंचायत भीटीकुसी द्वारा वर्ष 2021 22 में व्यय/आहरित की गई धनराशि रू0 909776.00 गबन की श्रेणी में आता है। प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूध व्यय की धनराशि रू0 909776.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निशा देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं 03)

47. ग्राम पंचायत खेड़ा कुर्सी

प्रस्तर सं 49 -ग्राम पंचायत खेडाकुर्सी की वित्तीय वर्ष 2021-22 लेखा परीक्षा में अभिलेख बाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए अतः ग्राम पंचायत खेडाकुर्सी के प्राप्त बैंक स्टेट मैट के आधार दर लेखा परीक्षा की गई बैंक स्टेट मैट के आधार ग्राम निधि राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त आयोग के खाता सं0 क्रमशः 7275 से रू0 383147.00 व खाता सं0 20273 से रू0 343670.00 कुल धनराशि 726817.00 आहरित किया गया है। परन्तु इसके सापेक्ष व्यय की गयी पुष्टि से संबंधित आवश्यक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें उक्त धनराशि आहरण प्रमाण विहीन व अपुष्ट रहा। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है। पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) क में विनिद्रिस्ट विशिष्टियो के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8. के प्रस्तर 8 के पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक बाउचर/अभिलेख उपलब्ध नही कराया जाता है। तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुये मानते हुये उस धनराशि की बसूली ग्राम प्राधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव की जानी अपेक्षित है। साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
उक्त नियम के अलोक ग्राम पंचायत खेडाकुर्सी द्वारा वर्ष-2021-22 में व्यय/आहरित की गई धनराशि रू० 726817.00 गबन की श्रेणी में आता है। प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूध व्यय की धनराशि रू0 726817.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पावनी एवं तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं 03)

48 ग्राम पंचायत थान हमीरपुर

प्रस्तर सं 50 -ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष थान हमीरपुर 20221-22 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 2041336.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल / अनयूज्ड चेक्सबैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनिकी / प्रसाशानिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार- बार भागे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।

ग्राम पंचायत थान हमीरपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 2041336.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 03)

49. ग्राम पंचायत सिमरामऊ

प्रस्तर सं 51 -ग्राम पंचायत सिमरामऊ की वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 2329646-00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटरफॉइल / अनयूज्ड चेक्सबैंक समायोजन स्टेट्मेंट, वित्तीय / तकनिकी / प्रसाशानिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा।उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत सिमरामऊ विकास खंड- रसूलाबाद द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 2329646-00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री मानवेंद्र बहादुर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 03)

विकास खण्ड- सरवनखेड़ा

50 . ग्राम पंचायत बिल्टी

प्रस्तर सं 52 -ग्राम पंचायत बिल्टी की वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रिया सॉपट/ई- ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त खाता स0 18743 से रू0 679414.00 एवं 14/15 वां केन्द्रीय वित्त खाता स0 38338 से रू0 203667.00 कुल धनराशि रू0 883081.00 आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख कोषवही तथा बाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये। जिसके परिणम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

ग्राम पंचायत बिल्टी द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रू0 883081.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अन्जना सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री जय सिहं से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 03)

51. ग्राम पंचायत धन्जुआ पहाड़पुर

प्रस्तर सं 53 -ग्राम पंचायत धन्जुआपहाड़पुर की वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रिया सॉपट/ई- ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त खाता स0 18773 से रू0 292998.00 एवं 14/15 वां केन्द्रीय वित्त खाता स0 38347 से रू0 374296.00 कुल धनराशि रू0 667294.00 आहरित करके व्यय दर्शाया गया हैं। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख कोषवही तथा बाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल,

कार्य पूर्ति, चेक बुक काउंटरफॉइल, बैंक समायोजन स्टेटमेंट वित्तीय/तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार- बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये। जिसके परिणम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।

ग्राम पंचायत धन्जुआ द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रू0 667294.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रश्मि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अक्षय यादव व दीक्षा सचान से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 03)

विकास खण्ड- झींझक

52. ग्राम पंचायत चिरखीरी

प्रस्तर सं 54 -ग्राम पंचायत चिरखीरी की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग / ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया 1573352-00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी, प्रसाशानिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | अत; मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा ।उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत चिरखीरी द्वारा वर्ष 2021 - 22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 1573352-00 गबन की श्रेणी में आती है अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया 1573352-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भूरेलाल तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकाश अधिकारी) श्री रजनीश वर्मा से ब्याज सहित वसूली जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

बैंक पास बुक तथा मूल कोषबही अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तिविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्रामस्वराज / प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिनं है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृषट किया जाता है। (मूल आपत्ति सं 01)

53. ग्राम पंचायत नाहिली-

प्रस्तर सं 55 -ग्राम पंचायत नाहिली की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग /ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया 1333489.00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमवी बुक, मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी, प्रसाशानिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा ।

ग्राम पंचायत नाहिली द्वारा वर्ष 202122 में व्यय की गई धनराशि रुपया - 1333489-00 गबन की श्रेणी में आती है अत; प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया 1333489-00 में से 50 प्रतिसत धनसशी रूपया -666744-05 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संदीप कुमार से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रुपया 666744-05 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकाश अधिकारी) श्री राहुल भारती से ब्याज सहित वसूली जांचोपरांत

संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

54-ग्राम पंचायत गढ़ी मेहरा

प्रस्तर सं 56 -ग्राम पंचायत गढ़ी मेहरा की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग / ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया 1603334-00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी, प्रसाशानिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा |

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत गढ़ी मेहरा द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 1603334-00 गबन की श्रेणी में आती है अत; प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया 1603334-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकाश अधिकारी) श्री आशीष मिश्रा से ब्याज सहित वसूली जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं 01)

55 .ग्राम पंचायत कुदौली मढौली

प्रस्तर सं 57. ग्राम पंचायत कुदौली मढौली की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग / ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया 2431925-00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी, प्रसाशानिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | अत; मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा ।पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या - 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा -409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत कुदौली मदौल द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 2431925-00 गबन की श्रेणी में आती है अत; प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया 2431925-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री यदुनाथ तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकाश अधिकारी) श्री अनुराग त्रिवेदी से ब्याज सहित वसूली जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं 01)

56. ग्राम पंचायत कटिका

प्रस्तर सं 58 -ग्राम पंचायत कटिका की वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया-769864.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख कार्यवाही राजस्टर, कार्ययोजना, नजरा नक्सा, एस्टानंट तकनिका स्वीकृति, वित्तीय व प्रसाशानिक स्वीकृति, वाउचर, फाइल (पत्रवाली), एमबी, मस्टर रोल, तीनो स्तरों की फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण

रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप कोषबहीमें दर्शित व्ययकी पुष्टि न की जा सकी।

ग्राम पंचायत कटिका द्वारा वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रुपया 769864-00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पिंकी देवी से रू. 384932-00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती स्नेहलता से रु. 198268-50 एवं श्री देवी प्रसाद रु. 186663-50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

57 **<u>ग्राम पंचायत मलिगांव</u>**

प्रस्तर सं 59 -ग्राम पंचायत मलगांव की वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया-4118717.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, तकनिकी स्वीकृति, वित्तीय व प्रसाशानिक स्वीकृति, वाउचर, फाइल (पत्रवाली), एमबी, मस्टर रोल, तीनो स्तरों की फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गए । जिसके परिणाम स्वरुप कोषबहीमें दर्शित व्ययकी पुष्टि न की जा सकी ।

ग्राम पंचायत मलगांव द्वारा वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रुपया 4118717.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश से रू. 2059358.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री देवी प्रसाद से रू 281659-00 एवं श्रीमती स्नेहलता से रू 1777699-50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

<u>58. ग्राम पंचायत रतनपुर खास</u>

प्रस्तर सं 60 -ग्राम पंचायत रतनपुर खास की वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया-6433049.00 की धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के आलावा अन्य कोई भी अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, तकनिकी स्वीकृति, वित्तीय व प्रसाशानिक स्वीकृति, वाउचर, फाइल (पत्रवाली), एमबी, मस्टर रोल, तीनो स्तरों की फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख बार- बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप कोषबहीमें दर्शित व्ययकी पुष्टि न की जा सकी ।

उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत रतनपुरखास द्वारा वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय रुपया - 6433049.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी सयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री मुनेश कुमार से रू 3216524-00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी श्री देवीलाल से रू 1759181-50 एवं श्रीमती स्नेहलता से से रू 1457343-50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

<u>59. ग्राम पंचायत शाहपुर डेरापुर</u>

प्रस्तर सं 61 -ग्राम पंचायत शाहपुर डेरापुर की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग / ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया - 2266451.00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी/प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टा रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | अत; मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा |

ग्राम पंचायत शाहपुर डेरापुर द्वारा वर्ष 2021 - 22 में व्यय की गई धनराशि रुपया-2266451.00 गबन की श्रेणी में आती है अत; प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया 2266451.00 में से 50 प्रतिसत धनराशि रूपया -1133225.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रुपया 1133225.5 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकाश अधिकारी) श्री आशीष मिश्रा से ब्याज सहित वसूली

जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

60. ग्राम पंचायत रामपुर टप्पेवान

प्रस्तर सं 62 -ग्राम पंचायत रामपुर टप्पेवान की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग / ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया - 1914971.00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, बुक, मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी, प्रसाशानिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | अत; मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा।उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा -409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा । उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत रामपुर टप्पेवान द्वारा वर्ष 2021 22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 1914971.00 गबन की श्रेणी में आती है अत; प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया-1914971.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मिलान देवी से तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकाश अधिकारी) श्री सुशील चौधरी से ब्याज सहित वसूली जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं 01)

61. ग्राम पंचायत जलिहापुर

प्रस्तर सं 63 - ग्राम पंचायत जलिहापुर की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग /ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया 4148600.00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी, प्रसाशानिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा ।

ग्राम पंचायत जलिहापुर द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 4148600.00 गबन की श्रेणी में आती है अत; प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया 4148600.00 में से 50 प्रतिसत धनराशि रूपया -2074300.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रुपया 2074300.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकाश अधिकारी) श्री राहुल भारती से ब्याज सहित वसूली जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही आपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं 01)

62. ग्राम पंचायत पहरौली

प्रस्तर सं 64-ग्राम पंचायत पहरौली की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग / ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया- 78817.00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना,

नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी, प्रसाशानिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | अत; मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या - 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ- साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा -409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा । उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत परहुली द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया - 78817.00 गबन की श्रेणी में आती है अत; प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया 78817.00 में से 50 प्रतिसत धनराशि रूपया - 39408.5 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रुपया-39408.5 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकाश अधिकारी) श्री अनुराग त्रिवेदी से ब्याज सहित वसूली जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमवाली 1947 के नियम 256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं 01)

63. <u>ग्राम पंचायत लगरथा</u>

प्रस्तर सं 65 -ग्राम पंचायत लगरथा की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग / ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया 1832090.00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, गस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी, प्रसाशानिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अहित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा ।उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा ।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत लगरथा द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनराशि रुपया 1832090.00 गबन की श्रेणी में आती है अत; प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया-1832090.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामचंद्र तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकाश अधिकारी) श्री रजनीश वर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

<u>64 . ग्राम पंचायत किशौरा</u>

प्रस्तर सं 66 -ग्राम पंचायत किशौरा की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग / ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड प्रविष्टीयों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के पंचम राज्य वित्त एवं 15 वां केंद्रीय वित्त मद से रुपया 5554160.00 धनराशि आहरित कर के व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, नजरी नक्सा, एस्टीमेट, वाउचर फाइल, एमबी बुक, मस्टर रोल, वित्तीय, तकनिकी, प्रसाशानिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसम्पति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित / अर्हित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी | अत; मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के

अध्याय-13 के नियम संख्या -256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या - 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा -409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत किशौरा द्वारा वर्ष 2021 22 में व्यय की गई धनराशि रुपया - 5554160.00 गबन की श्रेणी में आती है अत; प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रयासाफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपया 5554160.00 मे से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी से रु 2777080-00 तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रुपया -2777080.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत / विकाश अधिकारी) श्री राहुल भारती से ब्याज सहित वसूली जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में वसूली अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं 01)

विकास खंड मलासा

65 ग्राम पंचायत बरवा रसूलपुर

प्रस्तर सं 67 - ग्राम पंचायत बरवा रसूलपुर के वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के खातों से रुपए 1557347 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परंतु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोष बही, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर फाइल एवं मास्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक समायोजन स्टेटमेंट प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके परिणाम स्वरुप में प्रमाण विहीन रहा।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज्य नियमावली अध्याय 13 के अनुसार नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायत प्रबंधन के अध्याय 8(क) की पृष्ठ संख्या 36-37 यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणित वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता हो तो दर्शी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसे धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत बकरा रसूलपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गई धनु राशि रुपए 1557347.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुबीना बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक यादव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं 01)

विकास खंड मैथा

66 ग्राम पंचायत मलिकपुर-

प्रस्तर सं 68- वर्ष 2021-22 में प्रिबासोपट/ई ग्राम स्वराज के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से कुल धनराशि रुपए 1567823.00 व्यय की पुष्टि में कैश बुक बैंक स्टेटमेंट, कार्य योजना, एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, माल आपूर्ति चालान, स्टॉक रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर. एम. बी., तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र एवं परिसंपत्ति रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण / गबन कर लिया गया है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर व्यय की गई धनराशि रुपए 1567823.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान, तत्कालीन ग्राम सचिव, एवं तत्कालीन प्रशासक से निम्न अनुसार की जानी अपेक्षित है-

(अ) अप्रैल 2021 से जून 2021 तक के मध्य व्यय की गई धनराशि रुपए 28670.00 में तत्कालीन प्रशासक श्री उपेंद्र सिंह एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान / विकास अधिकारी श्रीमती शशि वाजपेई से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(ब) जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक के मध्य व्यय की गई धनराशि रुपए 1539153.00 में से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सोनी देवी एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान / विकास अधिकारी श्रीमती शशि बाजपेई से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

67.ग्राम पंचायत ककरदही-

प्रस्तर सं 69 -वर्ष 2021-22 में प्रियासोफ्ट/ई ग्राम स्वराज के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से कुल धनराशि रुपए 2214207.00 व्यय की पुष्टि में कैश युक बैंक स्टेटमेट, कार्य योजना, एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, माल आपूर्ति चालान, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, एम. बी., तकनीकी, प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र एवं परिसंपति रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण गबन कर लिया गया है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर व्यय की गई धनराशि रुपए 2214207.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान, तत्कालीन ग्राम सचिव, एवं तत्कालीन प्रशासक से निम्न अनुसार की जानी अपेक्षित है-(अ) अप्रैल 2021 से जून 2021 तक के मध्य व्यय की गई धनराशि रुपए 100390.00 में से तत्कालीन प्रशासक श्री उपेंद्र सिंह से रुपए 50195.00 एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान / विकास अधिकारी श्रीमती शशि वाजपेई से रुपए 50195.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (**ब**) जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक के मध्य व्यय की गई धनराशि रुपए 2113817.00 में से तत्कालीन याम प्रधान श्रीमती गुड्डन देवी से रुपए 1056908.50 एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान/ विकास अधिकारी श्रीमती शशि बाजपेई से रुपए 1056908.50 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

68. ग्राम पंचायत अरसदपुर

प्रस्तर सं 70- की वित्तीय वर्ष 2021-22 की बैंक पासबुक में दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2022 के मध्य रूपए 275465.00 व्यय किया गया दर्शित है जिसकी पुष्टि में दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2022 की कोषबही, व्यय प्रमाणक एवं संबंधित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके परिणाम स्वरुप बैंक पासबुक में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लिखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दशीये गए व्यय के संबंध में कोई प्रामाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन माना जाएगा तथा इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी।

ग्राम पंचायत अरसदपुर द्वारा दिनांक 01.012022 से 31.032022 के मध्य व्यय रुपए 275465.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री खुशी लाल एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती निर्मला सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं01)

69.ग्राम पंचायत बिक्रमपुर

प्रस्तर सं 71- वर्ष 2021-22 में कैश बुक के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से कुल धनराशि रुपए 1170455.00 व्यय की पुष्टि में कैश बुक एवं बैंक पासबुक के अलावा कार्य योजना, एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, माल आपूर्ति चालान, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, एम. बी., तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र एवं परिसंपति रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण / गबन कर लिया गया है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर व्यय की गई धनराशि रुपए 1170455.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान, तत्कालीन ग्राम सचिव, एवं तत्कालीन प्रशासन से निम्न अनुसार की जानी अपेक्षित है-

(अ) अप्रैल 2021 से जून 2021 तक के मध्य व्यय की गई धनराशि रुपए 396380.00 में तत्कालीन प्रशासक श्री उपेंद्र सिंह एवं तत्कालीन ग्राम/विकास अधिकारी श्री आकाश कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(ब) जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक के मध्य व्यय की गई धनराशि रुपए 774075.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रवती एवं तत्कालीन ग्राम / विकास अधिकारी श्री आकाश कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं01)

70 ग्राम पंचायत फतेहपुर

प्रस्तर सं 72-वर्ष 2021-22 में कैश युक के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से कुल धनराशि रुपए 1094586.00 व्यय की पुष्टि में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अलावा कार्य योजना, एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, माल आपूर्ति चालान, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टोक रजिस्टर. एम. बी., तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य पूर्ति उपभोग प्रमाण पत्र एवं परिसंपत्ति रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-चार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः अभिलेखों का प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण गबन कर लिया गया है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर व्यय की गई धनराशि रुपए 1094586.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान, तत्कालीन ग्राम सचिव, एवं तत्कालीन प्रशासक से निम्न अनुसार की जानी अपेक्षित है-

(अ) अप्रैल 2021 से जून 2021 तक के मध्य व्यय की गई धनराशि रुपए 69900.00 में से तत्कालीन प्रशासक श्री उपेंद्र सिंह व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती शशि वाजपेई से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(ब) जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक के मध्य व्यय की गई धनराशि रुपए 1024686.00 से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू लता एवं तत्कालीन ग्राम /विकास अधिकारी श्रीमती शशि बाजपेई से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

71. ग्राम पंचायत मदारपुर गाजीउद्दीनपुर

प्रस्तर सं 73- वर्ष 2021-22 में या बुक के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से कुल पनराशि रुपए 1097317.00 व्यय की पुष्टि में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अलावा कार्य योजना, एस्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, माल आपूर्ति चालान, स्टोक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, एम. बी. तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, विस्तरीय फोटोग्राफ, कार्य पूर्ति उपभोग प्रमाण पत्र एवं परिसंपति रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अल अभिलेखों का प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि उक्त धनराशि का अनियमित रूप से आहरण कर अपहरण गबन कर लिया गया है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत अधिभार की कार्यवाही कर व्यय की गई धनराशि रुपए 1097317.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान, तत्कालीन ग्राम सचिव, एवं तत्कालीन प्रशासक से निम्न अनुसार की जानी अपेक्षित है-

(अ) अप्रैल 2021 से जून 2021 तक के मध्य व्यय की गई धनराशि रुपए 199117.00 में से तत्कालीन प्रशासक श्री उपेंद्र सिंह एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान विकास अधिकारी श्री आकाश कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(ब) जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक के मध्य व्यय की गई धनराशि रुपए 898200.00 में से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कलिता देवी एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान विकास अधिकारी श्री आकाश कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)

72. ग्राम पंचायत अलियापुर

प्रस्तर सं 74- दिनांक 29.03.2022 को रुपए 20000.00 एवं दिनांक 30.03.2022 को रुपए 6000.00 कुल रुपए 26000.00बैंक आफ बडौदा खाता संख्या 1350010003980 से आहरित किया गया है किंतु उसे संस्था की कैश बुक में दर्शित न कर एवं उक्त धनराशि के सापेक्ष यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रामाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन माना जाएगा और इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से की जाएगी।अतः उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 के तहत अधिकार की कार्यवाही कर धनराशि रुपए 26000.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री आकाश कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं01)